सर्व शिक्षा अभियान

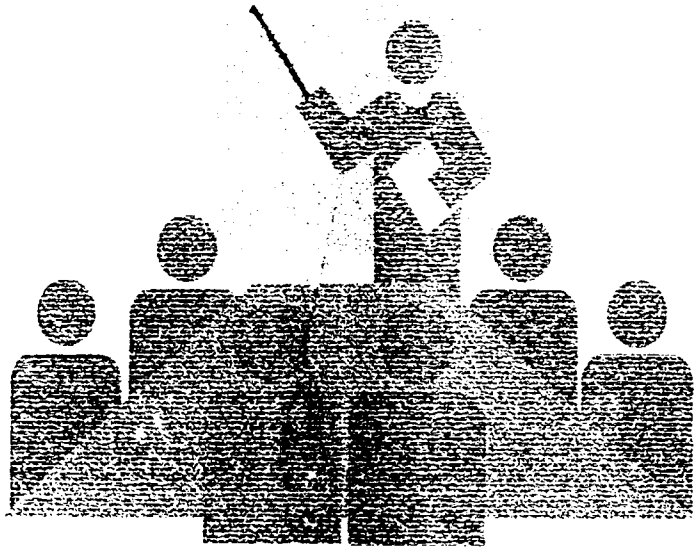

जनपद अल्मोड़ा
वार्षिक कार्ययोजना
वर्ष 2002–03

NIEPA DC
D11901

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11901
Date 27-06-2003

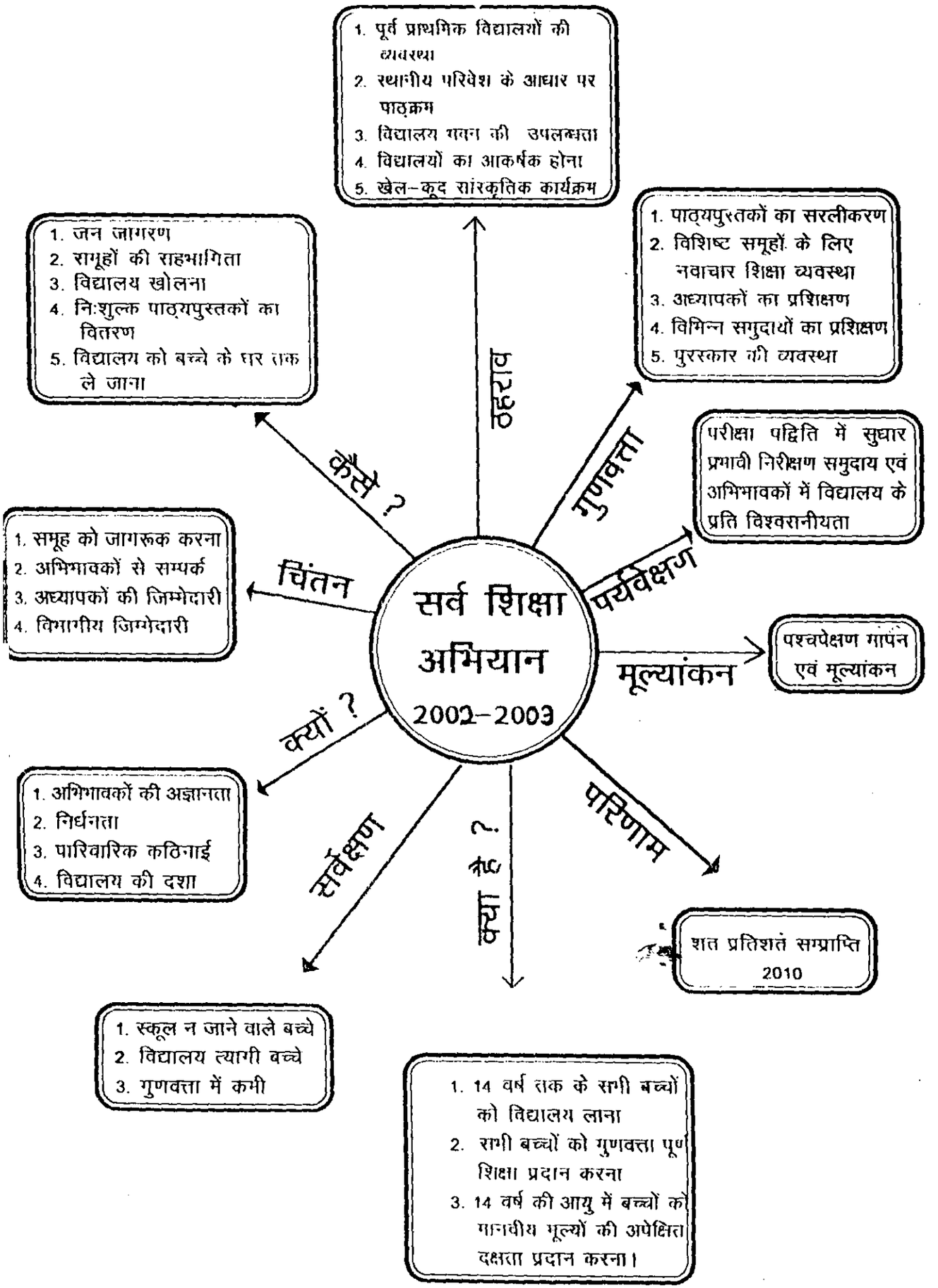
सर्व शिक्षा अभियान
2002–2003
ठहराव
1. पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था
2. स्थानीय परिवेश के आधार पर पाठ्यक्रम
3. विद्यालय गमन की उपलब्धता
4. विद्यालयों का आकर्षक होना
5. खेल–कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम
गुणवत्ता
1. पाठ्यपुस्तकों का सरलीकरण
2. विशिष्ट समूहों के लिए नवाचार शिक्षा व्यवस्था
3. अध्यापकों का प्रशिक्षण
4. विभिन्न समुदायों का प्रशिक्षण
5. पुरस्कार की व्यवस्था
पर्यवेक्षण
परीक्षा पद्धिति में सुधार प्रभावी निरीक्षण समुदाय एवं अभिभावकों में विद्यालय के प्रति विश्वसनीयता
मूल्यांकन
पश्चपेक्षण मापन एवं मूल्यांकन
परिणाम
शत प्रतिशत सम्प्राप्ति 2010
क्या ?
1. 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय लाना
2. सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना
3. 14 वर्ष की आयु में बच्चों को मानवीय मूल्यों की अपेक्षित दक्षता प्रदान करना।
सर्वेक्षण
1. स्कूल न जाने वाले बच्चे
2. विद्यालय त्यागी बच्चे
3. गुणवत्ता में कमी
क्यों ?
1. अभिभावकों की अज्ञानता
2. निर्धनता
3. पारिवारिक कठिनाई
4. विद्यालय की दशा
चिंतन
1. समूह को जागरूक करना
2. अभिभावकों से सम्पर्क
3. अध्यापकों की जिम्मेदारी
4. विभागीय जिम्मेदारी
कैसे ?
1. जन जागरण
2. समूहों की सहभागिता
3. विद्यालय खोलना
4. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण
5. विद्यालय को बच्चे के घर तक ले जाना

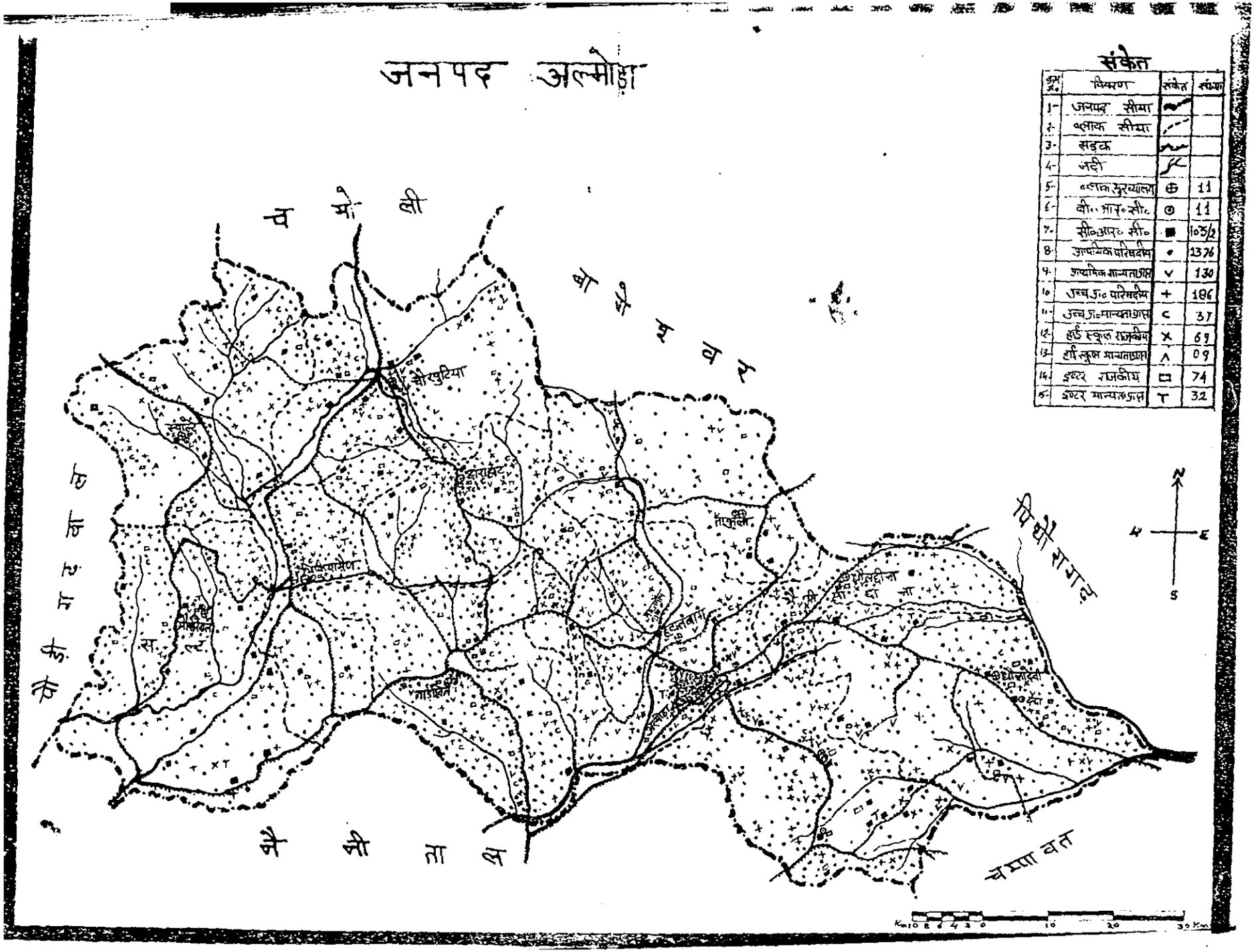

जनपद अल्मोड़ा

संकेत

क्रम सं०	विवरण	संकेत	संख्या
1-	जनपद सीमा	~	
2-	ब्लाक सीमा	- - -	
3-	सड़क	~	
4-	नदी	~	
5-	ब्लाक मुख्यालय	⊕	11
6-	बी० आर० सी०	⊙	11
7-	सी०आर० सी०	■	103/2
8-	प्राथमिक परिषदीय	•	1376
9-	प्राथमिक मान्यताप्राप्त	v	130
10	उच्च प्रा० परिषदीय	+	186
11-	उच्च प्रा० मान्यताप्राप्त	c	37
12-	हाई स्कूल राजकीय	×	69
13-	हाई स्कूल मान्यताप्राप्त	∧	09
14-	इण्टर राजकीय	▭	74
15-	इण्टर मान्यताप्राप्त	T	32

विवरणिका

अध्याय	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय जनद अल्मोड़ा	01–16
2.	शैक्षिक परिदृश्य	10–25
3.	नियोजन प्रक्रिया	33–50
4.	सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	51–55
5.	समस्यायें एवं रणनीति	56–59
6.	सर्व शिक्षा अभियान – इन्टरवेंशन	60–90
7.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	91–96
8.	परियोजना की उपलब्धियां एवं चुनौतियां	97–100
9.	2002–03 वार्षिक कार्य योजना	101–107
10.	बजट	108–125
11.	परिशिष्ट	126–137

अध्याय–एक

जनपद–अल्मोड़ा परिचय

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः।

पूर्वा परौ तोय निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ।

परिचय :–

मध्य हिमालय की शिवालिक श्रेणियों के मध्य स्थित जनपद अल्मोड़ा अपनी प्राकृतिक सौन्दर्य एवं सुरम्य छटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर निवास करने वाला समाज वर्ण एवं संस्कारों से पोषित वृहत्त भारतीय समाज का ही एक अविभाज्य अंश है। यहाँ की संस्कृति विशुद्ध रूप से भारतीय है।

जनपद अल्मोड़ा की लोक संस्कृति, साहित्य व सामाजिक परम्पराओं का अपना विशिष्ट महत्व है। हिमालय की सुरम्य गोद ने अनेकों मनिषियों को आध्यात्मिक प्ररेणा प्रदान की,जिससे इस क्षेत्र को देव–भूमि की संज्ञा से विभूषित किया गया है। यहाँ पर ज्योतिष, व्याकरण, वैदिक साहित्य, संस्कृत, कर्मकांड मीमांसा, दर्शन आदि विधाओं का विकास हुआ और इन विधाओं का विशाल साहित्य सृजित किया गया। ये सभी रचनाएं भारतीय समाज की अमूल्य धरोहर हैं, जो अपने आप में अनेकानेक विशिष्टताओं को समेटे हुए हैं।यहाँ के निवासी विभिन्न धर्मों में आस्था रखते हुए अनेकता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। अनेकों विदेशी यहाँ के रीति रिवाजों एवं संस्कृति का अनुकरण करते हुए देखे जा सकते हैं।

जनपद अल्मोड़ा की प्राकृतिक विशेषताओं के अतिरिक्त, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक विशेषताओं का भी अपना विशिष्ट महत्व है। यह नगर दीर्घकाल तक चन्द राजाओं की राजधानी रहा है, जिनके शासन काल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ जो आज भी पुरातत्व की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें कटारमल (कोसी) का सूर्य मन्दिर द्वाराहाठ के मृत्युंजय तथा जागेश्वर का ज्योर्तिलिंग मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। चन्द राजाओं के द्वारा प्रारम्भ नंदा देवी मेला आज पूरे कुमाऊँ व गढवाल में प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानन्द ने वर्ष 1892 से 1894 तक अल्मोडा नगर का भ्रमण कर यहाँ के जनमानस को अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परिचित कराया, उनकी स्मृति में बना श्री रामकृष्ण मिशन आज भी अपनी आध्यात्मिक गतिविधिओं का केन्द्र बना हुआ है। गुरूदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने अपनी विश्व प्रसिद्ध साहित्यिक कृति "गीतान्जलि" को इसी नगर में लिखना प्रारम्भ किया था। गुरूदेव टैगोर के निवास स्थल पर आज कटक पालिका का विश्राम स्थल है।

भौगोलिक संरचना:–

जनपद अल्मोड़ा $79^{0}2'$ पूर्व $80^{0}6'$ पूर्व देशान्तर एवं $29^{0}25'$ उत्तर तथा $30^{0}01'$ उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है । यह जनपद कुमाऊँ मण्डल के पाँच जनपदों नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर व उधमसिंह नगर के मध्य स्थित है । इसके पूर्व में चम्पावत व पिथौरागढ़, दक्षिण में नैनीताल, पश्चिम में पौड़ी तथा उत्तर में चमोली व बागेश्वर जनपद स्थित है । इसका कुल क्षेत्रफल 496864 हेक्टेयर तथा जनसंख्या 630446 है । इस जनपद में स्थित अनेक स्थानों का पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है । भौगोलिक संरचना के अनुसार जहाँ इसकी भटकोट, पिनाथ, जागेश्वर, मनीला व बिनसर जैसी सुरम्य पर्वत चोटियाँ हैं वहीं रामगंगा की घाटी वाला क्षेत्र चौखुटिया, भिकियासैंण, मासी, गगास नदी का क्षेत्र तथा कोसी नदी का सोमेश्वर घाटी क्षेत्र मैदानी भू–भाग है । घाटी क्षेत्र में जहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है वहीं पर्वत श्रेंणियों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष व जड़ी बूटियाँ पैदा होती है । जिनमें से कुछ अत्यन्त बहुमूल्य हैं । इन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अनेकों दुलर्भ वन्य जीव जन्तु पाए जाते हैं।

दर्शनीय स्थल :–

जागेश्वर, चितई, रानीखेत, बिनसर, कौसानी, बिनसर–महादेव, मनिला, द्रोणागिरि, गणनाथ आदि स्थान पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से दर्शनीय हैं।

1. जागेश्वर :– जागेश्वर धाम जनपद मुख्यालय से 38 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । जागेश्वर धाम शिव के ज्योतिर्लिंगों में से आठवॉ ज्योतिर्लिंग स्थित है । देश विदेश के धर्मिक तथा पर्यटक लोग जागेश्वर दर्शन को आते हैं । यह सथान 6000' की ऊँचाई पर स्थित है । श्रावण मास में यहॉ पर धार्मिक अनुष्ठान व मेला आयोजित किया जाता हैं ।

2. चितई :– अल्मोड़ा नगर से 10 कि0मी0 की दूरी पर चितई में गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है जहॉ पर लोग अपनी मनौतियां मनाने के लिए आते हैं । गोलू देवता को न्याय का देवता के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त है । अन्याय से पीड़ित लोग अपनी पुकार यहां पर लिखकर करते हैं। जिसका प्रतिफल उन्हें तत्काल प्राप्त होता है ।

3. रानीखेत :– रानीखेत कुमाऊँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है । यहॉ से हिमालय की चोटियो के दर्शन होते हैं । यहॉ पर कुमाऊँ रेजीमेन्ट का मुख्यालय है ।यहॉ चिलियानौला में बिडला मंदिर, चौबटिया का फल उद्यान सेवों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ।

4. बिन्सर :– यह स्थान अल्मोड़ा से 25 कि0 मी0 की दूरी पर समुद्र सतह से 7000र की ऊँचाई पर स्थित एक रमणीय स्थल है । यहॉ पर वन विभाग का अभारण्य भी है।

राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी ने भी इस जनपद के कई स्थानों का भ्रमण किया था, प्रसद्धि पर्यटन स्थल कौसानी में ही महात्मा गॉधी ने अनाशक्ति योग की रचना की थी। आज भी कौसानी में उनकी स्मृति में अनाशक्ति आश्रम संचालित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान अल्मोड़ा कारागार में रहकर "डिस्कवरी आफ इन्डिया" के कुछ पृष्ठों की रचना की थी उनकी स्मृति में इस कारागार में आज भी एक कक्ष "नेहरू कक्ष" के नाम से जाना जाता है।

इस जनपद ने राजनीतिक क्षेत्र में भी अनेक महान विभूतियों को जन्म दिया जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें स्व0 रामसिंह धौनी, स्व0 देवसिंह दानू, नरसिंह, ठीका सिंह और बद्रीदत्त पाण्डे आदि प्रमुख हैं। इन शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की याद में आज भी लमगड़ा, सल्ट, स्याल्दे में क्रमशः जैती, खुमाड़ एवं देघाट में शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत रत्न पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन एवं उसके पश्चात् संयुक्त प्रान्त व उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री एवं भारत के गृहमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी, का जन्म इसी जनपद के समीपस्थ खूँट ग्राम में हुआ था।

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अनेकों विभूतियों ने अपनी कृतियों से देश को गौरवान्वित किया उनमें प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानन्दन पंत, प्रखर साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म इसी जनपद में हुआ । महान नृतक उदय शंकर ने भी अपनी साधना स्थली इसी स्थान को चुना, प्रसिद्ध कुमाऊँनी कवि सम्राट गौरदा, स्व0 मोहन उप्रेती की जन्म भूमि यही जनपद रहा है।

साहित्यिक व राजनीति के अतिरिक्त प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में भी इस जनपद के हजारों प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी उच्च प्रशासनिक क्षमता से देश को गौरवान्वित किया है जिनमें पश्चिम बंगाल व पंजाब के पूर्व राज्यपाल पद्म श्री भैरव दत्त पांडे का नाम उल्लेखनीय है ।

रक्षा के क्षेत्र में भी यहॉ के वीर सैनिकों ने समय–समय पर अपनी वीरता का परिचय देकर मातृभूमि का सम्मान बढ़ाया, और अनेकों वीर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गये । थल सेनाध्यक्ष स्व0 बी0सी0 जोशी का जन्म स्थल भी अल्मोड़ा नगर रहा।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक बोसीसेन द्वारा स्थापित कृषि अनुसन्धान शाला आज विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित होकर कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।पर्यावरण के क्षेत्र में स्थापित पं0 गोविन्द बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान बहु आयामी अनुसंधानों में निरन्तर कार्य कर रहा है, उक्त दोंनों संस्थानों से पूरा देश लाभान्वित हो रहा है।

सामाजिक संरचना :–

सामाजिक संरचना की दृष्टि से जनपद का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रति 1000 पुरूषों के सापेक्ष 1145 महिलाएं हैं तथा प्रत्येक विकास खंड में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग समान है । पर्वतीय क्षेत्र में महिलाएँ घरेलू कार्य के अतिरिक्त कृषि एवं पशुपालन से सम्बन्धित सभी कार्य जैसे पशुओ के लिए जंगल से घास की व्यवस्था, मवेशियों को चराने आदि का कार्य करती हैं । पर्वतीय क्षेत्र में जीवनयापन शैली काफी कठिन एवं मेहनतकश है । कृषि व पशुपालन का अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता हैं । निर्धन वर्ग में 6–14 वय वर्ग के बालक–बालिकाओं का सहयोग भी इन कार्यों के लिए लिया जाता है जिससे इस वर्ग में बालक तथा अधिकांश संख्या में बालिकाएं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं । इन्हीं कारणो से विद्यालयो में नामांकित बालक/बालिकाएं विद्यालयों में अधिकांशतः अनुपस्थित रहते हैं, परिणामस्वरूप वे धीरे–धीरे अपनी कक्षा में अन्य छात्रों से पिछड़ते चले जाते हैं और आगें चलकर परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं ।इस तरह के बच्चे विद्यालय छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। इन परिस्थितियों से ही विद्यालयों में ह्रास एवं अवरोध की दर में वृद्धि होती है । ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता का अभाव दिखाई देता है ।

बेरोजगारी तथा शिक्षा का रोजगारपरक न होने के कारण अभिभावकों में शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न हो रही है । इस दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा तथा उन्हें यह समझाना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी करना ही नही बल्कि किसी भी कार्य को अधिक दक्षता से करने के लिए शिक्षा उपयोगी होती है । इसके लिए विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां, मंच कार्यक्रम, नाटक, गीत,चर्चा–परिचर्चा, संवादों का सहारा लेकर ग्राम समाज स्तर पर तथा विद्यालय स्तर पर समय–समय पर कार्यक्रम आयोजित करने होंगे । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा और वे अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजने को प्रेरित होंगे ।

जनपद के त्वरित विकास हेतु यहॉ के नियोजन में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य; लघु उद्योग एवं व्यवसायिक शिक्षा को वरीयता देनी होगी तथा यहॉ उपलब्ध संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना होगा जिससे शिक्षा के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ रोजगार में वृद्धि होगी ।

5. **मानिला** :– यह स्थान भिकियासैन तहसील में अल्मोड़ा से 108 कि0मी0 की दूरी पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ।

6. **बिनसर महादेव** :– बिनसर महादेव में मन्दिरों का एक समूह है।यह रमणीक स्थल रानीखेत से 15 कि0 मी0 की दूरी पर लगभग 7000श की ऊँचाई पर है । यहाँ पर दूर–दूर से दर्शनार्थी आते हैं ।

7. **दूनागिरी** :– दूनागिरी एक प्रसिद्ध पर्यटक व धार्मिक स्थल है । यहाँ यपर विन्ध्यावासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है ।

8. **गणानाथ** :– गणानाथ का प्रसिद्ध शिव मंदिर प्राकृतिक गुफा में अवस्थित हैं । इसकी ऊँचाई समुद्र सतह से 6500श है । वैशाख, श्रावण, कार्तिक, माघ में यहाँ पर दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है ।

9. **द्वाराहाट** :– द्वाँराहाट का सम्बन्ध पीड़ियों से जुड़ा है । यह एक पर्यटक व धार्मिक स्थल है। यहाँ पर मृत्युंजय का प्रसिद्ध मंदिर है ।

10. **कटारमल** :– कटारमल अल्मोड़ा से 15 कि0 मी0 की दूरी पर कोसीके पास है । यह स्थान विश्वप्रसिद्ध सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है ।

प्रशासनिक स्वरूप :–

प्रशासनिक सुव्यवस्था की दृष्टि से अल्मोड़ा नगर जनपद को 03 तहसीलों अल्मोड़ा, रानीखेत एवं भिकियासैण तथा 11 विकास खंडों कमशः हवालबाग, लमगड़ा, धौलादेवी, भैसियाछाना, ताकुला, द्वाराहाट, ताड़ीखेत, चौखुटिया, स्याल्दे, भिकियासैण तथा सल्ट में विभक्त किया गया है । जनपद में 95 न्याय पंचायतें, 1026 ग्राम पंचायतें, 2145 राजस्वग्राम सम्मिलित हैं, जिनमें 90 ग्राम गैर आबाद हैं । सम्पूर्ण जनपद केवल 01 नगरपालिका अल्मोड़ा, 01 कटक पालिका रानीखेत, 01 नोटिफाइड एरिया द्वाराहाट नगर क्षेत्र के रूप में स्थित है ।

तालिका– 1.1

क्षेत्रफल	496864 हेक्टेयर
तहसील	03
विकासखंड	11
न्यायपचायत	95
ग्रामसभायें	1026
राजस्वग्राम	2145
बस्तियों की सख्या	2555
नगरीय क्षेत्र	03
नगर महापालिका	01
टाउनएरिया	01
वार्ड	30

श्रोत– प्रोविजनल साख्यकीय जनपद अल्मोड़ा 2001

तालिका– 1.3

जनसंख्या 1991–2001

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	जनगणना 1991						जनसंख्या 2001 अनुमानित					
		कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति की जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति की जनसंख्या		
		पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग
1	चौखुटिया	22453	27322	49775	4373	4974	9347	22501	28669	51170	4383	5219	9602
2	ताकुला	19988	23549	43537	6005	6292	12297	20031	24711	44742	6019	6602	12621
3	ताड़ीखेत	31456	34423	65879	7584	7823	15407	51523	36121	67644	7602	8208	15810
4	द्वाराहाट	27016	33184	60200	7179	7859	15038	27072	34822	61894	7194	8246	15440
5	धौलादेवी	28915	30358	59273	6746	6476	13222	28976	31856	60832	6761	6795	13556
6	भिकियासैंण	18727	23030	61757	3636	3944	7580	18766	24165	42937	3645	4138	7783
7	भैसियाछाना	10739	11335	22074	2831	2609	5440	10162	11896	22658	2840	2738	5578
8	लमगड़ा	21764	22849	44663	4818	4556	9374	21810	24028	45838	4828	4781	9609
9	स्याल्दे	22670	27427	50097	3506	3915	7421	22718	28781	51499	3513	4708	7621
10	सल्ट	29039	34174	63213	5152	5347	10799	29104	35860	64964	5166	5610	10776
11	हवालबाग	28793	30434	59227	7102	7250	14352	28854	31937	60791	7120	7607	14727
12	नगरक्षेत्र	30826	22681	53507	4623	3912	8535	30892	23799	56691	4633	4104	8737
13	वनक्षेत्र	566	214	780	105	57	162	567	225	792	105	59	164
14	योग	292952	321030	613982	63660	65014	123674	293576	336870	630446	63809	68215	132024

श्रोत –प्रोविजनल जनगणना भारत सरकार लखनऊ 2001

जनसंख्या :—

वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या 613982 थी जिसमें नगरीय 53507 जोकि कुल जनसंख्या का 8.71% है । इस जनपद के वन क्षेत्र में 780 लोग निवास करते हैं जो कि जनसंख्या का 0.12% है, शेष जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है जो कुल जनसंख्या का 91.17% है । जनपद की वर्ष 2001 की अनुमानित जनसंख्या 630446 है जिसमें पुरूषों की कुल जनसख्या 293576 हैं जबकि महिलाओं की कुल जनसंख्या 336870 है । इस आधार पर प्रति हजार पुरूषों के सापेक्ष 1145 महिलायें हैं जो उत्तराचल राज्य में विशेष स्थान रखता है । जनपद में जनसंख्या का घनत्व 205 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । अनुसूचित जाति की कुल अनुमानित जनसंख्या 132024 है जो कुल जनसंख्या का 20.94% है । जो निम्नांकित तालिका में वर्णित है।

तालिका—1.2

जनपद की विकास खण्डवार जनसंख्या

क0स0	विकास खंड का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001
1	चौखुटिया	49775	51170
2	तकुला	43537	44742
3	ताड़ीखेत	65879	67644
4	द्वाराहाट	60200	61894
5	धौलादेवी	59273	60832
6	भिकियासैंण	41757	42937
7	भैसियाछाना	22074	22658
8	लमगड़ा	44663	45838
9	स्याल्दे	500697	51499
10	रूल्ट	63213	64964
11	हवालबाग	59227	60971

श्रोत--जनगणना निदेशालय-- लखनऊ

स्वास्थ्य सुविधायें–

जनपद के सभी विकास खण्डों में एक–एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर एलोपेथी एवं आयुर्वेदिक औषधालय हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गई है । इन चिकित्सालयों में साधारण रोगियों के इलाज की व्यवस्था है। गम्भीर रूप से बिमार व्यक्तियों की चिकित्सा व्यवस्था जनपद स्तर पर ही है । अति गम्भीर व विशेष बिमारियों के लिए जनपद में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है । समुचित चिकित्सा व्यवस्था न होने से भी यहाँ पर पलायन की प्रवृत्ति बढ रही है जिसका प्रभाव प्राथमिक शिक्षा पर भी पड़ रहा है और छात्र अभिभावकों के साथ प्रवेश हेतु अन्यत्र चले जाते हैं जिस कारण यहाँ नामांकन का प्रतिशत कम होता जाता है ।

आर्थिक पक्ष :–

आर्थिक दृष्टि से अल्मोड़ा की अधिकांश जनता बहुत पिछड़ी हुई है जिस कारण निर्धनता का प्रतिशत काफी ज्यादा हैं । बुनियादी स्तर पर देखा जाए तो इसका मुख्य कारण यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। जनपद की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जिनकी आर्थिक स्थिति पूर्णतया वहाँ पर होने वाले कृषि व्यवसाय पर आधारित है जिसकी उत्पादकता का प्रतिशत अत्यन्त न्यून है । कृषि योग्य भूमि की उर्वरकता ना के बराबर हैं जिस कारण मेहनत के अनुरूप उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है । समय–समय पर होने वाले कृषि अनुसंधानों को लागू करने से यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले अवरोध दूर किए जा सकते हैं।

कृषि के अलावा कुछ अन्य व्यवसाय जैसे भेड़ पालन, मौन पालन, मुर्गी पालन तथा दुग्ध व्यवसाय भी यहाँ पर प्रचलित है, लेकिन यह व्यवसाय भी कुछ लोगों व क्षेत्रों तक ही सीमित है । उपरोक्त परिस्थितियां ग्रामीण जनता को पलायन के लिए प्रेरित करती हैं । कृषि, बागवानी, पशुपालन, मौनपालन व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

जनपद में उद्योगों का अभाव है एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जनपद उद्योग रहित है विभिन्न प्रकार के उद्योगों के स्थापित होने से बेरोजगारी की समस्या और पलायन की प्रवृत्ति दूर हो सकती है । यहा पर प्रचलित परम्परागत, कृषि व वनों पर आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है । जनपद के आर्थिक रूप से पिछडे होने का प्रभाव प्राथमिक शिक्षा पर भी दिखाई देता है । जनपद की विकासखंड वार आर्थिक वर्गीकरण निम्नांकित तालिका में देखा जा सकता है।

तालिका–1.4

जनसंख्या वर्ष 1991	कुल	613982
	पुरूष	292952
	महिलाएँ	321030
जनसंख्या वर्ष 2001(अनुमानित)	कुल	630446
	पुरूष	293576
	महिला	336870
	वृद्धि दर	3.14
	घनत्व(प्रति वर्ग किमी0)	205
	लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरूष)	1147 (महिलाएँ)
	अनुसूचित जाति पुरूष	63809
	अनुसूचित जाति महिला	68215
0–6 वय वर्ग के बच्चों की संख्या	कुल	95914
	बालक	49790
	बालिका	46124

श्रोत:–जनगणना निदेशालय– लखनऊ

तालिका 1.5

साक्षरता	कुल	398391	74.53%
	पुरूष	219784	90.15%
	महिला	178607	61.43%

श्रोत:–जनगणना निदेशालय– लखनऊ

तालिका–1.6

व्यवसायिक परिदृश्य

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	कृषक	कृषि श्रमिक	पशुपालक	उद्योग, खान–खोदन
1	चौखुठिया	16231	294	251	62
2	ताकुला	11983	431	204	509
3	ताड़ीखेत	16853	173	506	08
4	द्वाराहाट	17187	387	282	62
5	धौलादेवी	25259	49	181	–
6	भिकियासैंण	13422	74	08	01
7	भैसियाछाना	8480	14	146	37
8	लमगड़ा	13534	80	172	04
9	स्याल्दे	19485	19	74	--
10	सल्ट	25592	35	3	---
11	हवालबाग	9143	198	521	36
12	नगरक्षेत्र	––	251	18	50
	योग–	177169	2005	2526	769

श्रोत – सांख्यिकी पत्रिका अल्मोड़ा, 1997

भूमि उपयोग प्रकार :–

जनपद का कुल क्षेत्रफल 496864 हेक्टेयर है जिसमें 304155 हेक्टेयर क्षेत्र वनों से आच्छादित है । कुल कृषिगत भूमि 104305 हेक्टेयर है जिसमें नदी, नाले, अधिवास, रास्ते एवं चरागाह सम्मिलित हैं ।

तालिका–1.7

भूमि उपयोग प्रकार

क0सं0	वर्गीकरण क्षेत्र	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल का प्रतिशत
1	प्रतिबंधित	496864	सम्पूर्ण
2	वनक्षेत्र	304155	61.2%
3	कृषि योग्य	104305	20.99%
4	सिंचित क्षेत्र	7414	1.49%
5	असिंचित क्षेत्र	15332	3.08%
6	चरागाह	28448	5.72%

तालिका में क्षेत्रफल के अन्तर्गत उद्यान कृषि के अतिरिक्त परती भूमि नहीं जोडी गई है ।

फसली प्रकार :–

जनपद की प्रमुख फसलों में धान, गेहूँ, मडुवा, जौं, बाजरा, मादिरा, मक्का, उरद, भट, रामदाना/चुआ, सोयाबीन, गहत, रैंस एवं मसूर प्रमुख हैं ।

तलाऊ भूमि नदियो के किनारे की सिंचित एवं उपजाऊ भूमि है ।

उपजाऊ भूमि उच्च पर्वतीय भागों की असिंचित एवं उपजाऊ भूमि है ।

तलाऊ भूमि में गेहूँ व धान का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है । मडुवा, झुंगरा, मक्का, मसूर, उरद, भट, गहत तथा निम्न कोटि के धान का उत्पादन उपजाऊ क्षेत्रों में होता है ।

नगरीय क्षेत्रों के निकटवर्ती ग्रामों में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है । बैगन, कद्दू, ककड़ी, तुरई, लौकी, बीन, आलू, टमाटर, भिण्डी, लहसून, प्याज, गोभी, अदरक, हल्दी, अरबी, गेठी, चिचिण्डा, मिर्च आदि का उत्पादन प्रमुख रूप से अधिक मात्रा में होता है । जनसंख्या दबाव के कारण सब्जियों और खाद्यान्न की आपूर्ति शत–प्रतिशत नहीं हो पाती है फलस्वरूप बाहय जनपदों से सब्जी, दालो, व अन्य खाद्यान्नों का आयात किया जाता है । असिंचित क्षेत्रों की भूमि में अधिकाधिक फलों का उत्पादन किया जाता है ।

तालिका–1.8

मुख्य फसलें

क0सं0	खरीफ	रबी
1.	धान 25998 हेक्टेयर	गेहूँ 40121 हेक्टेयर
2	मडुवा 3540 हेक्टेयर	जौं 3843 हेक्टेयर
3.	झुंगरा/सावा 13234 हेक्टेयर	

इन्फ्रास्ट्रक्चर :–

परिवहन एवं संचार– जनपद में कुल सडकों की लम्बाई लगभग 1870 किमी0 है यातायात हेतु राज्य परिवहन निगम, कुमाऊँ मोटर्स यूनियन की बसें, निजी गाडियों तथा टैक्सी आदि की सुविधा उपलब्ध है । जनपद से रेलवे स्टेशन 90 किमी0 की दूरी पर काठगोदाम में स्थित है । अल्मोड़ा जनपद रेलवे सुविधा से वंचित है । संचार की सभी सुविधायें वर्तमान में जनपद के अधिकांश जगहों पर है ।

विद्युत– जनपद के लगभग 1783 ग्राम विद्युतीकरण से संतृप्त हैं । दूरस्थ स्थानों में नेडा द्वारा वैकल्पिक उर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया है । उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने से निकट भविष्य में सभी ग्रामों को विद्युतीकृत करने हेतु सरकार योजना बना रही है।

सिंचाई– जनपद में छोटी–छोटी नहरों एवं गूलों तथा हाईड्राम द्वारा सिंचाई की जाती है ।

बैंक– जनपद में प्रमुख बैंको के रूप में स्टेट बैंक आफ इन्डिया, जिला सहकारी बैंक, नैनीताल बैंक, अर्बन कॉ–ओपरेटिव, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक आफ इडिया, सेन्ट्रल बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक आदि कार्यशील हैं ।

अधिवासीय संरचना :–

अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण क्षेत्र विषम भोगोलिक परिस्थितियों में स्थित होने के कारण जनपद की जनसंख्या के वितरण में भी काफी असमानता है । जनपद के कुल 2145 राजस्व ग्रामों की 2555 बस्तियों में से 1093 ग्रामों की आबादी 200 से 499 के मध्य है, 221 ग्रामों की आबादी 500 से 999 के मध्य, 35 ग्रामों की आबादी 1000 से 1499 के मध्य, 04 ग्राम 1500 से 1099 के मध्य तथा 04 ग्राम 2000 से 4999 के मध्य की आबादी वाले हैं । ग्रामों में जनसंख्या का घनत्व कम है । स्थानीय स्तर पर रोजगार न होने के कारण भी आबादी विरल है । प्रायः पुरूष उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा आजीविका हेतु जनपद से बाहर पलायन कर जाते हैं । इसी प्रकार विषम भौगोलिक परिस्थिति का प्राथमिक शिक्षा में भी व्यापक असर पडता है । गॉव व विद्यालय के बीच स्थित नदी, नाले में पुल का ना होना, ग्राम व विद्यालय के बीच घने जंगल का अवरोध होने से भी प्राथनिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावित होते हैं । इन असुविधाओ के दूर होने से भी प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ सकता है तथा ह्रास एवं अवरोध में भी कमी लाई जा सकती है ।

तालिका–1.9

अधिवास प्रकार

क्र0सं0	विवरण	200 से कम	200 से 499	500 से 999	1000 से 1499	1500 से 1999	2000 से 4999	5000 से अधिक
1	ग्रामों की संख्या	1093	789	221	34	04	04	--
2	कुल प्रतिशत	50.95	36.78	10.30	1.59	0.19	0.19	–

श्रोत – सांख्यिकी पत्रिका अल्मोडा, 1997

बेसिक शिक्षा संगठन :–

वर्ष 1972 से पूर्व बेसिक शिक्षा का दायित्व जिला परिषदों के पास था । 1 अगस्त, 1972 से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया । यह परिषद पूरे प्रदेश की बेसिक शिक्षा की नीतियों तथा कार्यक्रमों का संचालन करती है । उत्तरांचल राज्य में अभी प्रदेश स्तर पर बेसिक शिक्षा परिषद का गठन नहीं किया गया है । वर्तमान में शिक्षा के संगठनात्मक स्वरूप को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है ।

बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त अनुदानों के आहरण वितरण तथा वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव हेतु वर्ष 1986 से लेखा संगठन की स्थापना की गई । लेखा संगठन में एक लेखाधिकारी व अन्य कर्मचारी होते हैं । बेसिक शिक्षा के विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए विभिन्न स्तर पर कमेटियां बनी हैं जैसे स्थानान्तरण समिति, सामग्री क्रय समिति, विद्यालय स्थल चयन समिति, क्रीड़ा समिति आदि ।

पूर्व में शिक्षकों के प्रशिक्षण का दायित्व दीक्षा विद्यालयों का होता था अब 1990 से दीक्षा विद्यालय के स्थान पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है । इस संस्था का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है । इस संस्था का कार्य पाठ्यक्रम निर्माण, शोधकार्य, सेवारत एवं सेवापूर्व प्रशिक्षण देना है ।

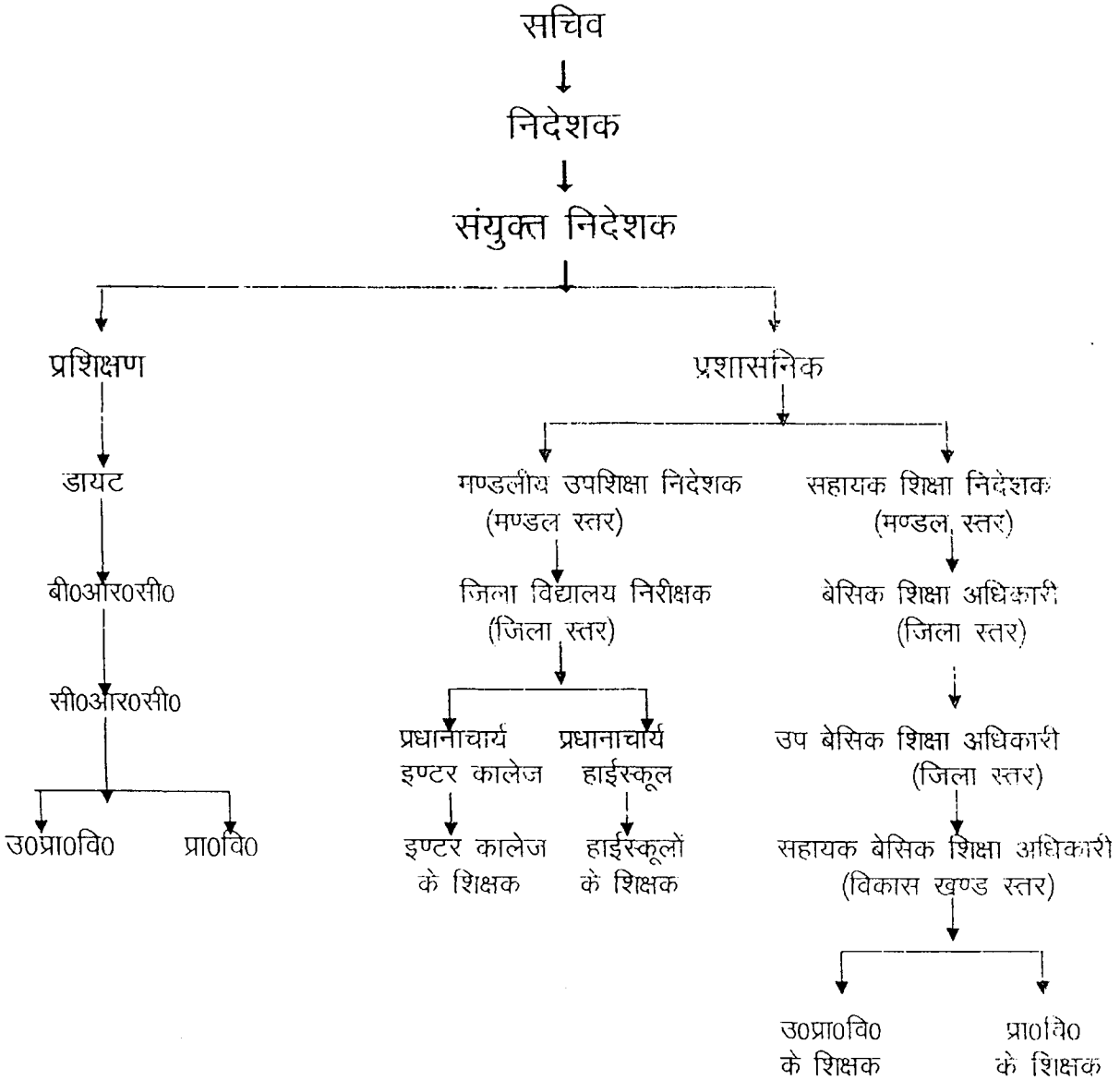

बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त अनुदानों के आहरण वितरण तथा वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव हेतु वर्ष 1986 से लेखा संगठन की स्थापना की गई। लेखा संगठन में एक लेखाधिकारी व अन्य कर्मचारी होते हैं। बेसिक शिक्षा के विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए विभिन्न स्तर पर कमेटियां बनी है, जैसे स्थानान्तरण समिति, सामग्री क्रय समिति, विद्यालय चयन समिति, क्रीडा समिति आदि। पूर्व में शिक्षकों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व दीक्षा विद्यालयों का होता था अब दीक्षा विद्यालय के स्थान पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है। इस संस्था का प्रशासनिक नियत्रंण राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। इस संस्था का कार्य पाठ्यक्रम निर्माण, शोध कार्य, सेवारत एवं सेवापूर्व प्रशिक्षण देना है।

बाल समेकित परियोजना :–

इस परियोजना के अन्तर्गत 3–6 वय वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा की व्यवस्था आंगनबाड़ी केन्द्रों मेंप्रदान की जाती है । इसके अलावा कामकाजी महिलाओं/गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण अनकी देखभाल की व्यवस्था भी इस योजना के अन्तर्गत की जाती है। बाल समेकित परियोजना का संगठनात्मक निम्नांकित है ।

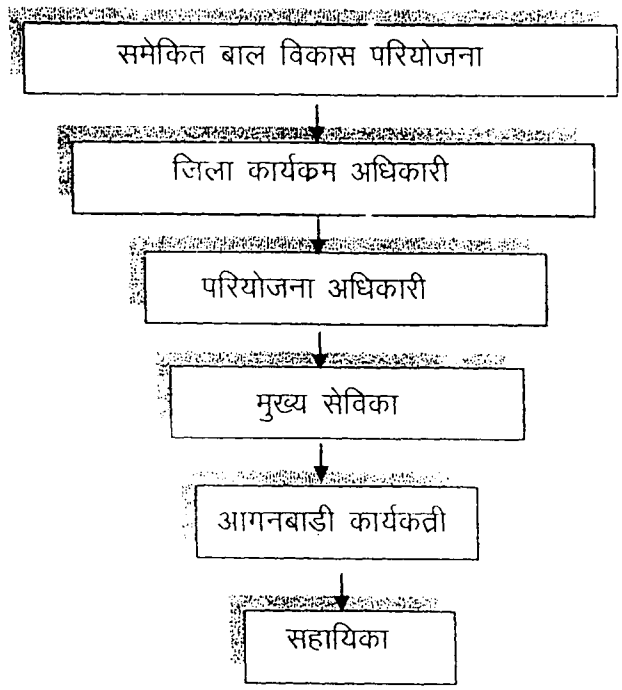

वर्तमान समय में अल्मोडा जनपद के 08 विकास खण्डों में बाल समेकित योजना के अन्तर्गत 397 आगंनबाडी केन्द्र संचालित हैं । केवल 03 विकास खण्डों में योजना लागू नहीं है।

कुछ समय पूर्व तक जनपद में अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था थी ।अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में भी बहुत से ऐसे बच्चों को जिन्होंने विद्यालय छोड दिया था और विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं आ रहे थे उन्हें कक्षा 5 तक की शिक्षा देने के उपरान्त उन्हें नियमित रूप से विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने योग्य बनाया, जिससे बहुत से निर्धन तथा विद्यालय छोड़ गये छात्र लाभान्वित हुए । विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम जनसंख्या वाले ग्रामों/बस्तियों में भी प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलबध कराई जानी आवश्यक है।

जनपद में विकास खण्डवार शैक्षिक स्थिति :–

वर्तमान में जनपद में परिषदीय व राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1376 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 186 है। यद्यपि जनसंख्या के आधार पर विद्यालयों की संख्या पर्याप्त प्रतीत होती है परन्तु, पर्वतीय क्षेत्र की अति दुष्कर एवं जटिल परिस्थितियों को देखते हुए यह संख्या कम है । आंगनबाडी कार्यक्रम केवल 08 विकास खण्डों तक के कतिपय विद्यालयों में सीमित हैं इसलिए पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा दी जानी आवश्यक होगी ।

वर्ष 2001 में जनपद के 1376 प्राथमिक विद्यालयों में कुल 2550 तथा 186 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 786 शिक्षक कार्यरत हैं । वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में 40:1 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति का प्राविधान है, साथ ही प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 02 शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जानी है । इसी प्रकार 100 छात्र संख्या तक केवल 02 शिक्षकों की व्यवस्था का प्राविधान है । जनपद में 1160 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनकी छात्र संख्या 100 से कम है । इन विद्यालयों के लिए न्यूनतम 2320 शिक्षकों की आवश्यकता हैं 204 विद्यालय ऐसे है जिनकी छात्र संख्या 100 से अधिक परन्तु 200 से कम है । औसतन 04 शिक्षक प्रति विद्यालय के हिसाब से इन विद्यालयों में 816 शिक्षको की आवश्यकता हैं । 12 प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जिनमें छात्र संख्या 200 से अधिक है इन विद्यालयों के लिए छात्र अध्यापक मानक के अनुसार न्यूनतम 05 की दर से 60 शिक्षको की आवश्यकता है। इस प्रकार वर्तमान समय में कुल संचालित 1376 विद्यालयों में से ग्रामीण 1359 विद्यालयों में 3140 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं जिसमें से 2512 शिक्षक कार्यरत है तथा नगर क्षेत्र के 17 विद्यालयों में 38 शिक्षक कार्यरत हैं। वर्ष 2002–03 में 46 नये विद्यालय प्रस्तावित हैं जिनमें न्यूनतम 92 शिक्षकों की व्यवस्था की है । वर्ष 2003–04 में 15 पूर्व प्राथमिक विद्यालयो तथा वर्ष 2005–06 में 22 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण विद्यालयों का स्वरूप प्रदान किया जायेगा । इन पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के लिए 74 शिक्षकों के पद सृजित किए जायेंगे ।

तालिका–1.10

छात्रों की संख्याओं के अनुसार परिषदीय प्राथमिक विद्यालय

क0सं0	नाम विकास खण्ड	50 से कम	50 से 100 तक	100 से 150 तक	150 से 200 तक	200 से अधिक	योग
1	चौखुटिया	53	38	10	03	02	106
2	ताकुला	31	24	21	03	02	81
3	ताड़ीखेत	74	63	11	02	01	151
4	द्वाराहाट	39	62	20	02	01	124
5	धौलादेवी	72	56	25	03	02	158
6	भिकियासैंण	84	27	06	01	01	119
7	भैसियाछाना	66	06	01	–		73
8	लमगड़ा	66	45	15	02	01	129
9	स्याल्दे	57	52	18	01	–	128
10	सल्ट	59	66	18	12	01	156
11	हवालबाग	58	45	27	30	01	134
12	नगरक्षेत्र	10	07	–	–	–	17
	योग–	669	491	172	32	12	1376

श्रोत – जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय अल्मोड़ा ।

तालिका–1.11

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या

क0सं0	विकास खंड का नाम	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
		विद्यालयों की संख्या	कार्यरत अध्यापक संख्या	विद्यालयों की संख्या	कार्यरत अध्यापक संख्या
1	चौखुटिया	106	199	14	56
2	ताकुला	81	197	11	49
3	ताड़ीखेत	151	301	21	100
4	द्वाराहाट	124	264	17	74
5	धौलादेवी	158	260	23	78
6	भिकियासैंण	119	194	15	65
7	भैसियाछाना	73	120	10	41
8	लमगडा	129	201	19	84
9	स्याल्दे	128	204	14	57
10	सल्ट	156	246	20	89
11	हवालबाग	134	326	17	82
12	नगरक्षेत्र	17	38	5	11
	योग–	1376	2550	186	786

श्रोत– जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय अल्मोड़ा ।

अध्याय 2

शैक्षिक परिदृश्य

मनुष्य को विकास के लिए ज्ञान, कर्मयोग की आवश्यकता होती है । ज्ञान शब्द विशद रूप में प्रयुक्त होते है । शिक्षा भी ज्ञान का एक पहलू है । जनपद अल्मोड़ा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता है लेकिन यहाँ की विषम भौगोलिक स्थलाकृतियाँ एवं अवरोधों से जनपद में विद्यमान शिक्षा व्यवस्था में कतिपय बिन्दुओं में विस्तृत कार्यवृत अपनाने की आवश्यकता है । इस हेतु जनपद का जनसंख्या, साक्षरता, शैक्षिक संस्थानों की उपलब्धता, सेवित, असेवित बस्तियों की संतृप्तता तथा विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवेचन करना अति आवश्यक है ।

नेशनल सैंपल ऑरगेनाइजेशन सर्वेक्षण 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 630446 है जिनमें से 293576 पुरूष तथा 336870 महिलाएँ हैं । जनपद की जनसंख्या वृद्धि दर 2.61 प्रतिशत है जो उत्तरांचल में सबसे कम है । पुरूषों की अपेक्षा महिला वृद्धि दर अधिक है। एक हजार पुरूषों के सापेक्ष 1147 महिलायें हैं जो इस बात का द्योतक है कि जनपद में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है ।

तालिका – 2.1

जनसंख्या वृद्धि–दर

1991 की जनसंख्या			2001 की प्रोविजनल संख्या			वृद्धि प्रतिशत		
कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	कुल
613982	292952	311030	630446	293576	336870	0.098	4.10	2.61

स्रोतः– भारत की जनगणना 2001 प्रोविजनल

साक्षरता : –

जनपद अल्मोडा भौगोलिक रूप से विषमता लिए हुए है जिस कारण जनपद की जनसंख्या में असमानता है । नेशनल सेम्पल ऑर्गेनाइजेशन सर्वेक्षण 2001 के अनुसार जनपद की कुल आबाद 6030446 है । जनपद की साक्षारता दर 74.53 प्रतिशत है जिनमें से 90.15 % पुरूष तथा 61.43 % महिलायें साक्षर हैं । 2001 की प्रोविजनल जनसंख्या में 1991 की जनसंख्या के सापेक्ष साक्षरता दर मे 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । जिसका विवरण निम्न सारिणी द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

पिछले चार दशकों की जनगणना के अनुसार जनपद में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत

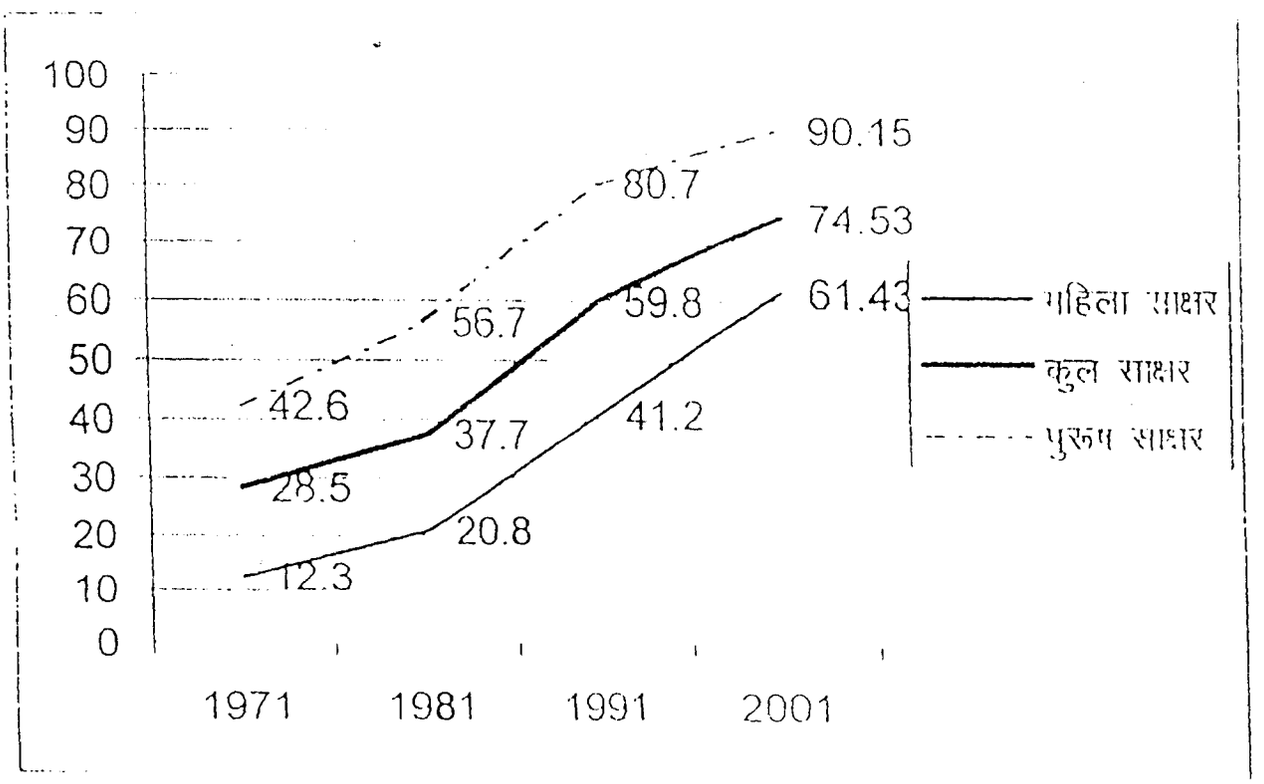

जनपद–अल्मोडा

तालिका – 2.2

साक्षरता दर

1991 में साक्षरता का प्रतिशत			2001 साक्षरता का प्रतिशत			वृद्धि प्रतिशत		
कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	कुल
59.83	80.78	41.32	74.53	90.15	61.43	9.37	20.11	14.70

श्रोतः– भारत की जनगणना 2001 प्रोविजनल

उपरोक्त सारिणी से साक्षरता का प्रतिशत तथा साक्षरता में वृद्धि स्पष्ट है जहॉ साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई है वहीं प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत से जनपद साक्षरता प्रतिशत अधिक है ।

तालिका 2.3

प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत	जनपद का साक्षरता प्रतिशत
72.28	74.53

विकासखण्डवार जनपद का साक्षरता प्रतिशत निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है :–

तालिका 2.4

जनपद की विकासखण्डवार साक्षरता

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	1991		2001	
		जनसंख्या	साक्षरता	प्रोजेक्टेड जनसंख्या	साक्षरता
1	चौखुटिया	49775	62.7	51170	
2	ताकुला	43537	62.4	44742	
3	ताडीखेत	65879	64.3	67644	
4	द्वाराहाट	60200	59.2	61894	
5	धौलादेवी	59273	46.9	60832	
6	भिकियासैन	41757	60.3	42937	
7	भैसियाछाना	22074	50.3	22658	74.53
8	लमगड़ा	44663	51.7	45838	
9	स्याल्दे	50697	54.2	51499	
10	सल्ट	63213	53.9	64964	
11	हवालबाग	59227	60.9	60791	

श्रोतः– भारत की जनगणना 2001 प्रोविजनल

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए कक्षा एक से कक्षा आठ तक की शिक्षा सुविधा को जो कि मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया जा रहा है, को अधिक पुष्ट करना होगा ।

जनपद की शैक्षिक संस्थाओं का विवरण :–

जनपद में विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ संचालित है कहीं पर राजकीय, बेसिक शिक्षा परिषद तथा कहीं पर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित जो जनपद को शिक्षा सुविधा प्रदान कर रही है। जनपद में कुल 1506 प्राथमिक विद्यालय जिनमें से 1376 परिषदीय/शासकीय व 130 मान्यता प्राप्त हैं, 224 उ0प्रा0वि0 है जिनमें से 186 परिषदीय/शासकीय तथा 38 मान्यता प्राप्त हैं। आंगनबाडी केन्द्र भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहें हैं वर्तमान में 397 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। नगरक्षेत्र में 2 मकतब/मदरसे व 3 संस्कृत पाठशालाएँ भी स्थापित हैं। माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध 117 परिषदीय/शासकीय व 41 मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक अनुभाग है। जनपद में हाईस्कूलों की संख्या 78 है जिनमें से 69 शासकीय तथा 9 मान्यता प्राप्त हैं, इण्टरमीडिएट विद्यालयों की कुल संख्या 106 है जिनमें से 74 शासकीय व 32 अशासकीय हैं, इसके अतिरिक्त 1 नवोदय विद्यालय तथा 2 केन्द्रीय विद्यालय माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधा प्रदान कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए जनपद में कुमाऊँ विश्वविद्यालय अग्रणी है तथा 4 डिग्री कालेज, 2 स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जनपद में 13 आई0टी0/पॉलिटेक्निक संस्थान व 1 इंजीनियरिंग कालेज अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु 1 विकलांग स्कूल भी जनपद में स्थापित है परन्तु वर्तमान स्थिति के अनुसार विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है अतः उक्त सुविधा हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवासीय विकलांग विद्यालय प्रस्तावित किया गया है। जनपद में बालिका विद्यालयों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। बालिकाओं की शिक्षा में अपेक्षित सुधार लाने के लिए बालिका विद्यालयों का अधिक खोला जाने की आवश्यकता है। क्योंकि बालिकाएँ सुदूरवर्तीय क्षेत्रों से दूरस्थ स्थानों तक शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा पाती हैं। जनपद में शैक्षिक संस्थाओं का विकासखण्डवार विवरण अग्रांकित तालिकाओं में दर्शाया गया है :–

तालिका – 2.5

शैक्षिक संस्थाएँ

क0सं0	विद्यालयों के प्रकार	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	1359	17	1376	113	17	130	1472	34	1506	26	05	31
2.	मा0 वि0 से सम्बद्ध प्रा0 अनुभाग	–	01	01	01	14	15	01	15	16	–	–	–
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	181	05	186	36	02	38	217	07	224	–	–	–
4.	मा0वि0 से सम्बद्ध उ0प्रा0 अनुभाग	110	07	117	30	10	41	140	17	157	–	–	–
5.	केन्द्रीय विद्यालय	01	01	02	–	–	–	01	01	02	–	–	–
6.	नवोदय विद्यालय	01	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	–
7.	हाईस्कूल	68	01	69	08	01	09	76	02	78	–	–	–
8.	इण्टरमीडिएट	69	05	74	23	09	32	–	14	106	–	–	–
9.	डिग्री कालेज	04	–	04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	02	02	–	–	–	–	02	02	–	–	–
11.	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	01	01	–	01	01	–	–	–
12.	आई0टी0आई0 / पालीटैक्निक	07	06	13	–	–	–	07	06	13	–	–	–
13.	कम्प्यूटर संस्थान	01	–	01	–	01	01	–	02	02	–	–	–
14.	ऑगन बाड़ी केन्द्र	397	–	397	–	–	–	397	–	397	–	–	–
15.	मकतब / मदरसे	–	–	–	–	02	02	–	02	02	–	–	–
16.	संस्कृत पाठशालाएँ	–	–	–	02	01	03	02	01	03	–	–	–
17.	विकलांगों हेतु स्कूल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01	01
18.	पुस्तकालय	01	03	04	–	–	–	01	03	04	–	–	–
19.	इंजीनियरिंग कालेज	01	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	–

श्रोत :– जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक कार्यालय, अल्मोड़ा

तालिका – 2.6

जनपद के विद्यालयों का विवरण

क्र0 सं0	विकासखण्ड	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक					हाईस्कूल					इण्टरमीडिएट कालेज				
		परि0	मा0	योग	परि0		मा0			राज0		मा0			राज0		मा0		
					बा0	बालि0	बा0	बालि	योग	बा0	बालि0	बा0	बालि	योग	बा0	बालि	बा0	बालि	योग
1	चौखुटिया	106	9	115	13	1	5	–	19	5	1	2	–	8	6	1	1	–	8
2	ताकुला	81	9	90	8	3	–	–	11	2	–	–	–	2	5	1	2	–	8
3	ताड़ीखेत	151	17	168	19	2	7	–	28	4	1	–	–	5	9	1	4	–	14
4	द्वाराहाट	124	14	138	13	4	7	–	24	8	2	1	–	11	5	1	3	–	9
5	धौलादेवी	158	11	169	19	4	1	–	24	5	–	–	–	5	8	–	2	–	10
6	भिकियासैण	119	6	125	12	3	1	–	16	5	1	–	–	6	7	–	4	–	11
7	भैसियाछाना	73	7	80	8	2	1	–	11	1	1	–	–	2	3	–	–	–	3
8	लमगड़ा	129	9	138	17	2	2	–	21	9	2	–	–	11	4	–	1	–	5
9	स्याल्दे	128	8	136	12	2	6	–	20	6	1	4	–	11	5	–	3	–	8
10	सल्ट	156	6	162	18	2	3	–	23	8	1	1	–	10	9	–	3	–	12
11	हवालबाग	134	23	157	11	6	3	1	21	4	–	–	–	4	7	–	5	–	12
12	नगरक्षेत्र	17	11	28	3	2	1	–	6	–	1	1	–	2	1	1	2	2	6
	योग	1376	130	1506	153	33	37	1	224	57	11	9	–	77	69	5	30	2	106

श्रोत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, अल्मोड़ा

छात्र नामांकन :–

जनपद अल्मोडा में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की गणना वर्ष 2000–2001 को आधार मानकर समस्त विद्यालयों के माध्यम से कराई गयी, 6–11 वय वर्ग के कुल 1491 बच्चे ऐसे प्राप्त हुए जो विद्यालयी सुविधा से वंचित हैं । इसमें से विद्यालय न जाने वाले बालकों की संख्या 694 तथा बालिकाओं की संख्या 797 है। 6–11 वय वर्ग के बच्चों का विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका – 2.7

विकास खण्डवार 6–11 वय वर्ग के बच्चों का विवरण

क0स0	विकासखंड का नाम	6–11 वय वर्ग के कुल बच्चे			6–11 वय वर्ग के विद्यालय जाने वाले बच्चे			6–11 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	चौखुटिया	4502	4413	8915	4476	4382	8858	26	31	57
2	ताकुला	4049	4102	8151	4018	4047	8065	31	55	86
3	ताडीखेत	6592	7001	13593	6513	6909	13422	79	92	171
4	द्वाराहाट	5195	5203	10398	5154	5158	10312	41	45	86
5	धौलादेवी	5434	5557	10991	5268	5402	10670	166	155	321
6	भिकियासैण	2916	3135	6051	2890	3100	5990	26	35	61
7	भैसियाछाना	2016	2063	4079	2002	2040	4042	14	23	37
8	लमगडा	4517	4226	8743	4476	4173	8649	41	53	94
9	स्याल्दे	5413	5502	10915	5344	5430	10774	69	72	141
10	सल्ट	5906	5720	11626	5767	5574	11341	139	146	285
11	हवालबाग	5649	5732	11381	5598	5655	11253	51	77	128
12	नगरक्षेत्र	2009	2024	4033	1998	2011	4009	11	13	24
योग		54198	54678	108876	53504	53881	107385	694	797	1491

श्रोत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा

विद्यालय न जाने वाले कुल 1491 बच्चों में अनुसूचित जाति के 6–11 वय वर्ग के 823 बालक/बालिकाएँ हैं जिनमे 372 बालक व 451 बालिकाएँ हैं। इन 1491 बालक/बालिकाओं के लिए 46 प्राथमिक विद्यालय व 51 शिक्षाघर तथा 32 घुमन्तु अध्यापकों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान में की गयी है इस सुविधा को उपलब्ध कराने के बाद सभी

तालिका

जनपद अल्मोड़ा में विकलांग बच्चों की स्थिति

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	अपग		गूंगे / बहरे		नेत्रहीन		अंधापन		मंदबुद्धि		योग	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	ताकुला	3	3	–	3	–	–	–	–	–	1	3	7
2.	ताड़ीखेत	4	4	1	2	–	–	–	–	2	1	8	2
3.	हवालबाग	6	6	3	–	–	–	2	1	2	10	13	17
4.	स्याल्दे	14	10	1	1	–	–	1	–	4	–	20	11
5.	लमगड़ा	–	3	3	–	–	–	1	–	–	3	3	9
6.	चौखुटिया	1	2	7	2	–	1	–	–	2	2	10	7
7.	धौलादेवी	6	1	–	–	1	–	–	–	2	2	9	3
8.	भैसियाछाना	9	2	4	6	–	–	3	1	2	2	18	11
9.	द्वाराहाट	2	3	–	1	–	–	1	–	–	–	3	4
10.	सल्ट	4	1	–	–	–	–	1	–	3	2	8	3
11.	भिकियासैण	2	2	–	–	–	–	1	–	3	3	6	5
12.	नगरक्षेत्र												
	योग	51	34	19	16	1	1	10	2	20	26	101	79

श्रोत– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा

विद्यालय आने योग्य बालक/बालिकाओं को विद्यालयें में प्रवेश दिलाकर प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाएगी।

तालिका – 2.8

विकास खण्डवार 6–11 वय वर्ग के अनु0जाति के बच्चों का विवरण

क0स0	विकासखंड का नाम	6–11 वय वर्ग के कुल बच्चे			6–11 वय वर्ग के विद्यालय जाने वाले बच्चे			6–11 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	चौखुटिया	1072	1154	2226	1048	1125	2173	24	29	53
2	ताकुला	1233	1404	2637	1204	1362	2566	29	42	71
3	ताड़ीखेत	1328	1468	2796	1285	1427	2712	43	41	84
4	द्वाराहाट	1087	1130	2217	1048	1087	2135	39	43	82
5	धौलादेवी	1106	1306	2412	1050	1216	2266	56	90	146
6	भिकियासैण	807	912	1719	783	887	1670	24	25	49
7	भैसियाछाना	504	617	1121	493	597	1090	11	20	31
8	लमगडा	1013	1218	2231	978	1184	2162	35	34	69
9	स्याल्दे	1302	1511	2813	1268	1474	2742	34	37	71
10	सल्ट	1262	1552	2814	1228	1514	2742	34	38	72
11	हवालबाग	1548	1563	3111	1516	1524	3040	32	39	71
12	नगरक्षेत्र	182	219	401	171	206	377	11	13	24
योग		12444	14054	26498	12072	13603	25675	372	451	823

श्रोत :जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा

11–14 वय वर्ग के बच्चों का बस्तीवार सर्वेक्षण किया गया है और यह पाया गया कि अभी भी 2247 ऐसे बालक/बालिकाएँ जो उच्च प्राथमिक स्तर की सुविधा से वंचित है जिन्हे विद्यालय में लाने के लिए 54 उच्च प्राथमिक तथा 30 कमोत्तर कक्षाय खोली जानी प्रस्तावित हैं जिनके द्वारा उच्च प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं को इन विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन 2247 में से 407 बालक व 1840 बालिकाएँ हैं। उच्च प्राथमिक शिक्षा से वंचित कुल बच्चों की संख्या में से 1662 बालक/बालिकाएँ अनुसूचित जाति की है। इन पर सर्वशिक्षा अभियान में विशेष ध्यान दिया गया है। 11–14 वय वर्ग के बच्चों का विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका – 2.9

विकास खण्डवार 11–14 वय वर्ग के बच्चों का विवरण

क0स0	विकासखंड का नाम	11–14 वय वर्ग के कुल बच्चे			11–14 वय वर्ग के विद्यालय जाने वाले बच्चे			11–14 वय वर्ग के विद्यालय जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	चौखुटिया	1915	2020	3935	1887	1880	3767	28	140	168
2	ताकुला	1895	1956	3851	1870	1821	3691	25	135	160
3	ताडीखेत	3149	3834	6983	3128	3714	6842	31	150	181
4	द्वाराहाट	2656	3001	5657	2606	2791	5397	50	210	260
5	धौलादेवी	2443	2714	5157	2413	2479	4892	30	235	265
6	भिकियासैण	1632	1629	3261	1597	1489	3086	35	140	175
7	भैसियाछाना	738	806	1544	713	676	1389	25	130	155
8	लमगडा	1566	1653	3219	1527	1485	3012	39	168	207
9	स्याल्दे	2208	2150	4358	2167	1968	4135	41	182	223
10	सल्ट	3091	3128	6219	3053	2938	5991	38	190	228
11	हवालबाग	2637	2651	5288	2582	2526	5108	55	125	180
12	नगरक्षेत्र	1508	1935	3443	1498	1900	3398	10	35	45
योग		25438	27477	52915	25041	25667	50708	407	1840	2247

श्रोत :जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा

अनुसूचित जाति की अधिकांश बालिकायें उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा से वंचित हैं जिनके लिए बालिका विद्यालय/निकटवर्ती उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा उनके लिये उन्हीं की बस्ती में शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

तालिका – 2.10

विकास खण्डवार 11–14 वय वर्ग के अनु0 जाति के बच्चों का विवरण

क0स0	विकासखंड का नाम	11–14 वय वर्ग के कुल बच्चे			11–14 वय वर्ग के विद्यालय जाने वाले बच्चे			11–14 वय वर्ग के विद्यालय जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग			बालक	बालिका	योग	
1	चौखुटिया	417	541	958	400	411	811	17	130	147
2	ताकुला	648	492	1140	634	372	1006	14	120	134
3	ताडीखेत	845	908	1753	823	770	1593	22	138	160
4	द्वाराहाट	922	848	1770	905	706	1611	17	142	159
5	धौलादेवी	623	621	1244	582	476	1058	41	145	186
6	भिकियासैण	326	395	721	306	280	586	20	115	135
7	भैसियाछाना	207	224	431	197	126	323	10	98	108
8	लमगडा	348	389	737	325	247	572	23	142	165
9	स्याल्दे	431	414	845	407	288	695	24	126	150
10	सल्ट	582	651	1233	557	507	1064	25	144	169
11	हवालबाग	957	855	1812	946	759	1705	11	96	107
12	नगरक्षेत्र	154	140	294	146	106	252	8	34	42
योग		6460	6478	12938	6228	5048	11276	232	1430	1662

श्रोत :जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा

नामांकन प्राथमिक सतर एवं जी0 ई0 आर0
तालिका 2.11

वर्ष	6–11 वय वर्ग की कुल बालगणना			कुल छात्र संख्या			जी0ई0आर0 प्रतिशत	6–11 वय वर्ग के अनु0 जाति की कुल बालगणना			विद्यालय जाने वाले अनु0 जाति के बच्चे			जी0ई0 आर0 प्रतिशत
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
01–02	54198	54678	108876	53504	53881	107385	98.5	12444	14054	26498	12072	13603	25675	98.89
02–03	55390	55881	111271	55908	56854	112762	101.35	12718	14363	27081	13709	14616	28253	101.32

नामांकन उच्च प्राथमिक सतर एवं जी0 ई0 आर0
तालिका 2.12

वर्ष	11–14 वय वर्ग की कुल बालगणना			कुल छात्र संख्या			जी0ई0आर0 प्रतिशत	11–14 वय वर्ग के अनु0 जाति की कुल बालगणना			विद्यालय जाने वाले अनु0 जाति के बच्चे			जी0ई0आर 0 प्रतिशत
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
01–02	25438	27477	52915	25041	25667	50708	95.28	6560	64078	12938	6228	5048	11276	87.15
02–03	25997	28081	54078	26560	28043	54031	99.91	6602	6630	13222	6460	6478	12938	97.85

जनपद में 6–11 वय वर्ग के 2001–02 में जी0ई0आर0 की दर 98.5 प्रतिशत है । वर्ष 02–03 में कुल 1451 विद्यालय न जाने वाले बच्चों को प्रविष्ट कर उपरान्त छात्र संख्या में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिससे जी0ई0आर0 का प्रतिशत 101.35 प्रतिशत होगा । इसी प्रकार 11–14 वय वर्ग में जी0ई0आर0 2001–95.28 है तथा 02–03 में 99.91 होगा ।

तालिका 2.13

परिषदीय विद्यालयों में नामांकन (धारण क्षमता)

वर्ष	वर्गीकरण	कक्षा 1			कक्षा 2						कक्षा 3						कक्षा 4						कक्षा 5					
		बा0	बालि0	योग	बा0	बालि0	योग	अनु	अन्यत्र	घर में	बा0	बालि0	योग	अनु	अन्यत्र	घर में	बा0	बालि0	योग	अनु	अन्यत्र	घर में	बा0	बालि0	योग	अनु	अन्यत्र	घर में
96–97	कुल	7792	8053	15845																								
	अनु0 जाति	1972	2175	4147																								
97–98	कुल				7328	6971	14299	747	675	124																		
	अनु0 जाति				1766	1690	34656	336	246	109																		
98–99	कुल										6604	6315	12919	738	526	116												
	अनु0 जाति										1567	1356	2943	238	168	107												
99–2000	कुल																5742	5742	11487	636	771	23						
	अनु0 जाति																1440	1284	2724	136	68	15						
2000–2001	कुल																						5548	5332	10780	349	336	22
	अनु0 जाति																						1365	1218	2583	71	61	9

श्रोत :जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि वर्ष 96–97 में कक्षा 1 में 7792 बालक 8053 बालिकाएँ कुल 15845 बच्चे नामांकित हुए। उक्त सभी बच्चे कक्षा 2 में प्रविष्ट हुए इनमें से 747 अनुर्तीण 675 अन्यत्र विद्यालयों में 124 बच्चे विद्यालय छोड़कर घर में रह गए। शेष 7328 बालक 6971 बालिकाएँ 14299 उर्त्तीण होने के पश्चात कक्षा 3 में प्रविष्ठ हुए। कक्षा 3 में 738 अनुर्तीण, 526 अन्यत्र 116 विद्यालय छोड़कर घर में रह गए। शेष 6604 बालक, 6315 बालिकाएँ, 12919 उर्त्तीण होने के पश्चात कक्षा 4 में प्रविष्ट हुए। इनमें से 638 उर्त्तीण, 771 अन्यत्र विद्यालयों में और 23 विद्यालय छोडकर घर में रह गए शेष 5742 बालक 5742 बालिकाएँ उर्त्तीण होने के पश्चात कक्षा 5 में प्रवष्टि हुए इनमें से शेष 69 अनुर्तीण, 336 अन्यत्र विद्यालयों में, 22 विद्यालय छोडकर घर में ही रह गए।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति के वर्ष 96–97 में 1972 बालक, 2175 बालिकाएँ, 4147 बच्चे कक्षा 1 में प्रविँष्ट हुए। उक्त सभी बच्चों में से कक्षा 2 में 336 उर्त्तीण, 236 अन्यत्र विद्यालयों में, 109 विद्यालय छोडकर घर में रह गए। शेष 1766 बालक, 1690 बालिकाएँ, 3456 बच्चे कक्षा 3 में प्रविष्ट हुए। इनमें से 238 अनुर्तीण, 168 अन्यत्र विद्यालयों में, 107 विद्यालय छोड़कर घर में रह गए। शेष 1987, 1356 बालिकाएँ 2943 बच्चे कक्षा 4 में प्रविष्ट हुए इनमें से 136 अनुर्तीण, 838 अन्यत्र विद्यालयों में 15 विद्यालय छोड़कर घर पर रह गए। शेष 1440 बालक, 1284 बालिकाएँ, 2724 बच्चे कक्षा 5 में प्रविष्ट हुए। इनमें से 71 उर्त्तीण, 61 अन्यत्र विद्यालयों में 9 विद्यालय छोडकर घर में रह गए। शेष 1365 बालक, 1288 बालिकाएँ, 2583 बच्चे उर्त्तीण हुए।

इन समस्त बातों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर निम्नांकित तथ्य सामने आते हैं–

1. धारण (Retention) – कुल 68.03 प्रतिशत
   71.02 प्रतिशत बालक
   66.21 प्रतिशत बालिकाएँ
   अनुसूचित जाति 62.5 प्रतिशत
   69.22 बालक
   56 प्रतिशत बालिकाएँ
2. शाला त्यागी (Drop Out) कुल 1.8 प्रतिशत | उक्त सभी बच्चे विद्यालय
   अनुसूचित जाति 5.79प्रतिशत | छोड़कर घर मे रह गए।

तालिका – 2.1

प्रा0वि0 से सेवित व असेवित बस्तियाँ का विवरण

क्र सं	विकास खण्ड का नाम	कुल बस्तियॉ	सेवित बस्तियाँ 1 किमी से कम दूर	असेवित बस्तियॉ 1 किमी से अधिक दूर	नये प्राथमिक विद्यालय खोलने से सेवित बस्तियॉ	शिक्षाधर खोलने से सेवित बस्तियॉ	घुमन्तु शिक्षक से सेवित बस्तियॉ
1	चौखुटिया	229	212	17	02	10	05
2	ताकुला	178	159	19	08	09	02
3	ताड़ीखेत	284	246	38	14	15	09
4	द्वाराहाट	205	182	23	06	09	08
5	धौलादेवी	312	250	62	24	25	13
6	भिकियासैण	203	190	13	04	06	03
7	भैसियाछाना	134	112	22	05	08	09
8	लमगड़ा	260	221	39	13	18	08
9	स्याल्दे	188	159	29	10	10	09
10	सल्ट	317	284	33	12	14	07
11	हवालबाग	245	237	08	04	02	02
	योग	2555	2252	303	102	126	75

श्रोत :जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोडा

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :–

जनपद में कुल 2555 बस्तियों में से 2181 बस्तियों में ही 3 किमी0 के भीतर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। शेष 374 बस्तियों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा सुविधा 3 किमी0 से अधिक दूरी पर उपलब्ध है। इन बस्तियों की उच्च प्राथमिक स्तर की सुविधा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 54 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 30 कमोत्तर कक्षाएँ खोली जायेंगी।

तालिका – 2.

उ0प्रा0वि0 से सेवित एवं असेवित बस्तियों का विवरण

क्र. सं.	विकास खंड का नाम	कुल बस्तियाँ	सेवित वस्तियाँ 3 किमी से कम दूरी पर	असेवित वस्तियाँ 3 किमी से अधिक दूरी पर	नये उ0 प्रा0 वि0 से सेवित बस्तियाँ	क्रमोत्तर कक्षाओं से सेवित बस्तियाँ
1	चौखुटिया	229	211	18	11	07
2	ताकुला	178	158	20	12	08
3	ताड़ीखेत	284	245	39	28	11
4	द्वाराहाट	205	180	25	19	06
5	धौलादेवी	312	256	56	39	17
6	भिकियासैण	203	181	22	13	09
7	भैसियाछाना	134	113	21	15	06
8	लमगड़ा	260	221	39	29	10
9	स्याल्दे	188	140	48	33	15
10	सल्ट	317	259	58	42	16
11	हवालबाग	245	217	28	20	08
	योग	2555	2181	374	261	113

श्रोत :जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा

विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का विवरण :--

तालिका – 2.

प्राथमिक स्तर	ग्रामीण	नगर क्षेत्र	योग
1. प्राथमिक विद्यालय भवन	1359	17	1376
i. एक कक्षीय विद्यालय की संख्या	16	02	18
ii. दो कक्षीय विद्यालय की संख्या	1127	02	1129
iii. तीन कक्षीय विद्यालय की संख्या	115	02	117
iv. चार कक्षीय विद्यालय की संख्या	17	–	17
v. पांच कक्षीय विद्यालय की संख्या	06	–	06
vi. भवनहीन	03	11	14
vii. पुनर्निर्माण	75	–	75

viii. मरम्मत योग्य विद्यालय	लघु मरम्मत	वृहत मरम्मत	योग
	159	51	210
ix. शौचालय	शौचालय युक्त	शौचालय विहीन	आवश्यकता
	88	1288	1288
x. हैण्डपम्प / पेयजल	पेयजल युक्त	पेयजल विहीन	आवश्यकता
	135	1241	1241
xi. चहारदीवारी प्राथमिक विद्यालय	चहारदीवारी युक्त	चहारदीवारी विहीन	आवश्यकता
	97	1279	1279
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय	कुल	भवनयुक्त	भवनहीन एवं ध्वस्त
	186	168	18
i. मरम्मत योग्य	लघु मरम्मत	वृहत मरम्मत	भवनहीन एवं ध्वस्त पुर्ननिर्माण योग्य
	75	17	18
ii. एक कक्षीय	—	—	—
iii. दो कक्षीय विद्यालय	02	—	—
iv. तीन कक्षीय विद्यालय	50	—	—
v. चार कक्षीय विद्यालय	116	—	—
vi. पांच कक्षीय विद्यालय	—	—	—
vii. पांच से अधिक कक्षीय विद्यालय			
viii. शौचालय	शौचालय युक्त	शौचालय विहीन	आवश्यकता
	53	133	133
ix. पेयजल	पेयजल युक्त	पेयजल विहीन	आवश्यकता
	25	161	161
x. चहारदीवारी	चहारदीवारी युक्त	चहारदीवारी विहीन	आवश्यकता
	15	171	171

श्रोत :जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा

अध्याय - 3

जनपद की नियोजन प्रकिया

सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य स्कूल न जाने वाले बच्चों का 2002 तक संपूर्ण नामांकन कर स्कूल में भर्ती करना है । उनका विद्यालय में नियमित ठहराव सुनिश्चित करते हुए जनपद के विद्यालयों में ड्राप आउट दर को शून्य तक लाना है, जिसके लिए इस योजना को गॉव के प्रत्येक घर तक पहुँचाना होगा ताकि गॉव का प्रत्येक घर स्कूल के प्रति अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सके । गॉव के बच्चे, अभिभावक तथा स्कूल में एक अच्छा समन्वय स्थापित हो सके इसके लिए योजना में सूक्ष्म नियोजन आवश्यक है ।

सूक्ष्म नियोजन (Micro-planning) :

मुख्य योजना को विकेन्द्रीकृत करना सूक्ष्म नियोजन है। वर्तमान समय तक योजना का अन्तिम बिन्दु जिला होता था लेकिन शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार, प्रचार तथा प्रसार जिला स्तर से संभव नहीं हो रहा है । क्योंकि प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जनपद के सुदूर ग्रामीण क्षत्रों में स्थित हैं । वर्तमान सर्वशिक्षा योजना को गांव तथा बस्ती प्रत्येक घर तक पहुंचाना है इसी को सर्वशिक्षा अभियान का सूक्ष्म नियोजन कहा जायेगा । विद्यालय गांव में स्थित हैं इसलिए गांव सूक्ष्म नियोजन का अन्तिम लक्ष्य है । गांव को नियोजन की इकाई मानते हुए जनपद में प्रत्येक गांव में परिवार सर्वेक्षण पंजिका बनायी गयी है । जिसमें प्रत्येक परिवार के सदस्यों की जाति/लिंग की अंकना की गयी है । इसमें परिवार के मुखिया, परिवार के सभी सदस्यों तथा नवजात शिशुओं की विस्तृत अंकना की गयी है । इस गणना के पश्चात पूर्व में गणना की तुलना करने पर विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात हो गयी । इन आंकडों का विकास खण्ड तथा जिला स्तर पर संकलन किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान की योजना को तैयार किया गया है । इससे स्कूल न जाने वाले बच्चों तथा शाला त्यागी को स्कूली शिक्षा की मुख्यधारा से जोडा जा सकेगा । उक्त आंकडों के विश्लेषण द्वारा ही नये स्कूलों की संख्या, घुमन्तु शिक्षक शिक्षा केन्द्र ई0जी0एस0 आदि शिक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है । इसी संख्या के आधार पर स्कूलों में नये कक्षा कक्षों का निर्माण किया गया है । इस

संख्या के आधार पर गाव से लेकर जिले तक संसाधनों की आवश्यकता, अध्यापकों की आवश्यकता, अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का निर्धारण किया जा सकेगा ।

सूक्ष्म नियोजन में गांव को समझना है कि उसमें रहने वाले बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाय किस तरह से सभी बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ा जाय । गांव की जानकारी के उपरान्त ही गांव की आवश्यकताओं को जाना जा सकेगा । इससे विद्यालय शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकेगा । सूक्ष्म नियोजन के अंतर्गत गांव की स्कूल पंजिका का निर्माण किया गया है जिसमें विद्यालाय से संबंधित समस्त सूचनाओं की अंकना की गयी है ।

स्कूल चलो अभियान :

जनपद में एक जुलाई 2001 तक सघन रूप से स्कूल चलो अभियान चलाया गया. यह प्रयास किया गया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चे विद्यालय में प्रविष्ट हों । प्रत्येक विद्यालय में बालगणना कार्य अद्यतन किया गया तथा ग्राम एवं बस्ती स्तर पर प्रभात फेरियॉ निकाली गयी तथा संकुल स्तर पर गोष्ठियॉ आयोजित कर शिक्षा के महत्व पर चर्चा की गयी यह क्रम विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर भी किया गया । जनपद स्तर पर स्कूल चलो अभियान में बच्चों के साथ–साथ विधायक बारानण्डल, जिलाधिकारी, अध्यक्ष नगरपालिका अल्मोड़ा, जिला विद्यालय निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, अध्यापक एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे जिसका प्रचार प्रसार मीडिया द्वारा किया गया ।

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक / विचार विमर्श से निकले बिन्दुओं का विवरण
12 जून 2001	जिला कार्यालय अल्मोड़ा	जिलाधिकारी अल्मोड़ा, उपजिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक	जिले की कोर समिति का गठन एवं जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया ।
14 जून 2001	समस्त विकास खण्ड कार्यालय	क्षेत्र प्रमुख / खण्ड विकास अधिकारी / स0 बे0 शि0 अधि0 / ज्येष्ठ प्रमुख / संकुल विद्यालयों के प्र0 अ0।	खण्ड स्तरीय कोर टीम का गठन एवं सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।
5,6,7 जुलाई 2001	रूलेक देहरादून	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं स0 बे0 शि0 अधिकारी एवं प्राचार्य डाइट, प्रवक्ता डाइट	सर्व शिक्षा अभियान पर राज्य स्तरीय कार्यशाला (3 दिवसीय)
18 जुलाई 2001	कार्यालय उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	स0 बे0 शि0 अधिकारी 14, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये एवं विचार विमर्श तथा सर्वेक्षण कराने की रणनीति तैयार की गयी प्रपत्रों का वितरण
19 जुलाई	डाइट अल्मोड़ा	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, स0 बे0 शि0 अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाइअ एवं वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट 1, प्रवक्ता डाइट 2	सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई, तीन दिवसीय कार्यशाला की योजना का निर्माण
18 अगस्त 2001	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय	समस्त स0 बे0 शि0 अ0–19, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी	पर्सपेक्टिव प्लान की प्रगति की समीक्षा की गई तथा ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें करने के निर्देश दिये गये ।

20 अगस्त 2001	कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी लमगड़ा	क्षेत्र प्रमुख / खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त ग्राम प्रधान लमगड़ा / स0 बे0 शि0 अ0 अल्मोड़ा	समस्त ग्राम प्रधानों को सर्व शिक्षा की जानकारी दी गई ।
30 अगस्त 2001	कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी द्वाराहाट	क्षेत्र प्रमुख / खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त क्षेत्र समिति के सदस्य गण	समस्त सदस्यों को शिक्षा समितियों को सक्रिय करने तथा सामुदायिक सहभागिता के लिए प्रेरित किया ।
28 अगस्त –01, 4–8, 12–16 सितम्बर 2001 तक	एन0 एस0 डाट मसूरी	जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / स0 बे0 शि0 अ0 / सेवा निवृत शिक्षा शास्त्री / वरिष्ठ प्रवक्ता / प्रवक्ता-2 डायट	प्लानिंग प्रोसेस के सम्बन्ध मे प्रशिक्षण लिया ।
29.9.2001	सर्व शिक्षा कार्यालय, देहरादून	शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल	शिक्षा निदेशक द्वारा एक वर्षीय एक्शन प्लान की विवेचना की गयी तथा पर्सपेक्टिव प्लान को तैयार करने के निर्देश दिए गए।
6.10.2001	जि0बे0शि0अ0, उ0बे0शि0अ0 एवं समस्त स0बे0शि0अ0	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सर्व शिक्षा का पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए।

विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों तथा फोकस ग्रुप तथा डिस्कशन से उभरे निष्कर्षों का विवरण संलग्न सारिणी में दिया गया है :–

क0	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या व विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
1.	12.8.2001	प्रा0पा0 महतगॉव	खण्डविकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रभारी संकुल प्रभारी एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कुल प्रतिभागी –07	बच्चों का विद्यालय न जाने का कारण उनके अभिभावकों का घरेलू कार्य एवं नौकरी में जाना है।
2.	18.8.2001	संकुल केन्द्र द्वाराहाट	बी0डी0ओ0, परियोजना अधिकारी सदस्य, ए0बी0एस0ए0 ग्राम प्रधान गणमानरू 4, अध्यापक एवं व्यक्ति पंचायत सदस्य कुल प्रतिभागी 9	अध्यापक द्वारा शिक्षण के अलावा अन्य कार्य करने से शिक्षण व्यवस्था में बाधा।
				बच्चों का नियमित विद्यालय में न जाना पोषाहार के अन्तर्गत नामांकन कराया जाना। किन्तु बच्चों का प्रतिदिन उपस्थिति न होना।
				अध्यापकों का देरी से विद्यालय में आना एवं जल्दी जाना। कक्षावार अध्यापकों को शिक्षण कार्य दिया जाये।
				अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से सम्पर्क
3.	11.8.2001	लमगड़ा विकासखण्ड	खण्ड विकास अधकिारी सहायक बेसिक शिक्षा	अधिकांश ग्राम प्रधानों व अन्य नागरिकों के बच्चों

			अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक सभी संकुल प्रभारी ग्राम प्रधान	का शिक्षित न होना, विद्यालय की कमी तथा शिक्षकों के अधिकतर अनुपस्थित रहने एवं रोजगारपरक शिक्षा का अभाव दर्शाया गया तथा इसके सुधारात्मक सुझाव दिये गये कि अध्यापकों को निवास से दूर वाले खण्ड में रखा जाये। कुछ प्रधानों ने सुझाव दिया कि उन्हें जिले के बाहर रखा जाये। बालिकाओं की शिक्षा कम होने के कारण विद्यालयों का दूर होना तथा सामाजिक व्यवस्था का अवरोध होना बताया। इस हेतु वैकल्पित शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र का सुझाव दिया गया।
4.	17.8.2001	प्रा0पा0 चौखुटिया	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी स0बे0शि0अ0 संकुल प्रभारी शिक्षक संद्य के मन्त्री ग्राम प्रधान–5	बैठक में विचार विमर्श में बात सामने उभर कर आयी कि अधिकांश बालिकायें विद्यालय नहीं जाती हैं । क्योंकि इन्हें छोटे–छोटे बच्चों की देख–रेख करनी पडती है। सयानी बालिकायें घरेलू कामकाज के

				कारणा विद्यालय नहीं आती । इनके लिए ई सी सी ई केन्द्र खोले जायें ताकि छोटे भाई–बहिनें इस केन्द्र में रहें और बालिकाएँ नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रह सकें । बालिकाओं का शिक्षा में कार्यानुभव को शामिल किया जाये ।
5.	19.8.2001	सेवा केन्द्र चचरोटी	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी । ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य ग्राम नागरिक – 18	विद्यालयों में मानक अनुसार शिक्षकों का न होना । चहारदीवारी का न होना । शिक्षकों में शिक्षण कार्य के प्रति रूचि नहीं है । मानक के अनुसार शिक्षक दिये जायें । विद्यालयों की चहारदीवारी बनवाई जायें, शिक्षकों से कोई अन्य कार्य न लिये जायें।
6.	25.8.2001	कार्यालय जिला बे0 शि0 अ0	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक जिला युवा कल्याण अधिकारी जिला सूचना अधिकारी ब्लाक प्रमुख लभगडा जिला समाज कल्याण	इस बैठक में निम्न मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई । विद्यालय असेवित क्षेत्र । शाला त्यागी के कारण। विद्यालयों भवनों तथा संसाधनों की स्थिति । विद्यालय कार्यक्रमों में

			अधिकारी ए0 बी0 एस0 ए0 – 3 स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि ग्राम प्रधान खत्याडी	जन सहभागिता के अभाव के कारण । अपवंचित वर्ग तथा बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी बाधायें । परिवार से सम्बंधित कारण जैसे बड़े बच्चों का कृषि कार्यों में संलग्न होना । गरीबी के कारण जीविकोपार्जन सम्बन्धी समस्याओं के चलते बच्चों का घरेलू कार्यों में लग जाना । परिवार के लोगों का निरक्षर होना जिसके विशेष रूप से बालिकाओं का निरक्षर रहना । सामाजिक सुरक्षा एवं भेद भाव ।
7.	11.10.2001	ब्लाक कार्यालय, लमगड़ा	क्षेत्र समिति के सदस्य तथा ग्राम प्रधान जिला पंचायत अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक स0बे0शि0अ0	सदस्यों को सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी दी गयी तथा उनसे सुझाव लिए गए।
8.	13.10.2001	ब्लाक कार्यालय, स्याल्दे	क्षेत्र प्रमुख एवं सदस्य ग्राम प्रधान स0बे0शि0अ0 प्रधानाध्यापक	सर्व शिक्षा अभियान के बारे में विचार–विमर्श किया गया।
9.	20.10.2001	उत्तराखण्ड सेवानिधि,	एनएसडार्ट, मंसूरी के सलाहकार, जनपद के विभिन्न	पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में

		अल्मोड़ा	विभागों के अधिकारी, क्षेत्र प्रमुख शिक्षाविद्, डाइट के प्रावार्य एवं प्रवक्ता, स्वयं सेवी संगठन के पदाधिकयारीं, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, वकील, आकाशवाणी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के उपाचार्य, प्रवक्ता, समस्त विकास खण्डों के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं सर्व शिक्षा अभियान के कोर ग्रुप के सदस्य	में विचार–विमर्श
10	23–12–01	प्रा0वि0द्वाराहाट	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,विकासखण्ड के समस्त अध्याापक–अध्यापिकाएँ	सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी दी गयी। अध्याापक–अध्यापिकाओं से योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु विचार विमर्श किया गया। विद्यालय के प्रत्येक कार्य में स्थानीय जनता का सहभागिता को सुनिश्चित किया गया। उक्त योजना के लिये आवश्यकीय आकडो व सूचनाओ को इकठ्ा करने के निर्देश दिये

				गये। वर्ष 2001–2002 की योजना के लिये प्रस्तावित कार्यो की समीक्षा की गयी। अध्याापक–अध्यापिकाओं को दायित्व के निर्वहन हेतु उनकी जबाबदेही सुनिश्चित की गयी
11	24–12–001	प्रा0वि0चौखुटिया	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,विकासखण्ड के समस्त अध्याापक–अध्यापिकाएँ	सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी दी गयी। अध्याापक–अध्यापिकाओं से योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु विचार विमर्श किया गया। विद्यालय के प्रत्येक कार्य में स्थानीय जनता का सहभागिता को सुनिश्चित किया गया। उक्त योजना के लिये आवश्यकीय आकडो व सूचनाओ को इकठ्ा करने के निर्देश दिये गये। वर्ष 2001–2002 की योजना के लिये प्रस्तावित कार्यो की समीक्षा की गयी। अध्याापक–अध्यापिकाओं को दायित्व के निर्वहन

				हेतु उनकी जबाबदेही सुनिश्चित की गयी
12	22–01–2002	प्रा0वि0महतगॉव (हवालबाग)	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड के समस्त अध्याापक–अध्यापिकाएँ	सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी दी गयी। अध्याापक–अध्यापिकाओं से योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु विचार विमर्श किया गया। विद्यालय के प्रत्येक कार्य में स्थानीय जनता का सहभागिता को सुनिश्चित किया गया। उक्त योजना के लिये सर्वेक्षणे हेतु प्रपत्रो की जानकारी दी गयी। वर्ष 2001–2002 की योजना के लिये प्रस्तावित कार्यो की समीक्षा की गयी। अध्याापक–अध्यापिकाओं को दायित्व के निर्वहन हेतु उनकी जबाबदेही सुनिश्चित की गयी
13	23–01–2002	प्रा0वि0सोमेश्वर (ताकुला)	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, विकासखण्ड के समस्त अध्याापक–अध्यापिकाएँ	सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी दी गयी। अध्याापक–अध्यापिकाओं से योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु विचार विमर्श किया गया।

				विद्यालय के प्रत्येक कार्य में स्थानीय जनता का सहभागिता को सुनिश्चित किया गया। उक्त योजना के लिये आवश्यकीय आकडो व सूचनाओ को इकठ्ठा करने के निर्देश दिये गये। वर्ष 2001–2002 की योजना के लिये प्रस्तावित कार्यो की समीक्षा की गयी। अध्याापक–अध्यापिकाओं को दायित्व के निर्वहन हेतु उनकी जबाबदेही सुनिश्चित की गयी
14	25–01–2002	प्रा0वि0डोटियालगॉव (ताकुला)	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, विकासखण्ड के समस्त अध्याापक–अध्यापिकाएँ	सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी दी गयी। अध्याापक–अध्यापिकाओं से योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु विचार विमर्श किया गया। विद्यालय के प्रत्येक कार्य में स्थानीय जनता का सहभागिता को सुनिश्चित किया गया। उक्त योजना के लिये आवश्यकीय आकडो व सूचनाओ को इकठ्ठा

				करने के निर्देश दिये गये। वर्ष 2001–2002 की योजना के लिये प्रस्तावित कार्यो की समीक्षा की गयी। अध्याापक–अध्यापिकाओं को दायित्व के निर्वहन हेतु उनकी जबाबदेही सुनिश्चित की गयी
15	08–02–2002	प्रा0वि0लमगडा	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, विकासखण्ड के समस्त अध्याापक–अध्यापिकाएँ	सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी दी गयी। अध्याापक–अध्यापिकाओं से योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु विचार विमर्श किया गया। विद्यालय के प्रत्येक कार्य में स्थानीय जनता का सहभागिता को सुनिश्चित किया गया। उक्त योजना के लिये आवश्यकीय आकडो व सूचनाओ को इकठ्ा करने के निर्देश दिये गये। वर्ष 2001–2002 की योजना के लिये प्रस्तावित कार्यो की समीक्षा की गयी। अध्याापक–अध्यापिकाओं

				को दायित्व के निर्वहन हेतु उनकी जबाबदेही सुनिश्चित की गयी
16	28–02–2002	प्रा0वि0दन्या (धौलादेवी)	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड के समस्त अध्यापक–अध्यापिकाएँ	सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी दी गयी। अध्यापक–अध्यापिकाओं से योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु विचार विमर्श किया गया। विद्यालय के प्रत्येक कार्य में स्थानीय जनता का सहभागिता को सुनिश्चित किया गया। उक्त योजना के लिये आवश्यकीय आकडो व सूचनाओ को इकठ्ठा करने के निर्देश दिये गये। वर्ष 2001–2002 की योजना के लिये प्रस्तावित कार्यो की समीक्षा की गयी। अध्यापक–अध्यापिकाओं को दायित्व के निर्वहन हेतु उनकी जबाबदेही सुनिश्चित की गयी

सूक्ष्म नियोजन को सुचारू रूप से कियान्वयन करने के लिए जिले से लेकर गांव तक अलग–अलग स्तरों में एक कोरग्रुप का गठन किया गया है । इस कोर ग्रुप का मुख्य कार्य

इसके क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था कैसे व्यवस्थित रखेंगे इस बात की जानकारी लेना है । जनपद में मुख्य नियोजन की प्रकिया निम्नवत रहेगी :–

(1) जिला कोर ग्रुप :–

जनपद में शिक्षा व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है । इसमें जिले के शिक्षाविद, वरिष्ठ नागरिक, अध्यापक, शिक्षा अधिकारी सम्मिलित हैं। इस ग्रुप द्वारा जिले भर के सभी विकास खण्डों में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक विकास खण्ड की आवश्यकताओं का अध्ययन करके उनको पूरा करने के लिए योजना तैयार कर सकेगा । जिला कोर ग्रुप का कार्य विकास खण्ड स्तर के कोर ग्रुप के साथ बराबर समन्वय स्थापित करना है।

(2) विकास खण्ड कोर ग्रुप :–

विकास खण्ड स्तर पर भी एक कोर ग्रुप का गठन किया जा चुका है जिसमें विकास खण्ड के शिक्षाविद्, अभिभावक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड के समन्वयक तथा सह–समन्वयक प्रमुख होंगे । इस कोर ग्रुप के सभी सदस्य विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों का नियोजन, आवश्यकता, संसाधनों की आपूर्ति के लिए कार्य, शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार कार्य, प्रतिमाह विकास खण्ड में गोष्ठी तथा चर्चा परिचर्चा करके विकास खण्ड के सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य कर सकेंगे ।

(3) ग्राम शिक्षा समिति :–

ग्राम शिक्षा समिति में शिक्षाविद्, गणमान्य नागरिक, स्वयं सेवक, महिलाएँ, पिछड़े वर्ग, अनु0 जाति/जनजाति, अभिभावक तथा उस विद्यालय के अध्यापक सम्मिलित किये जायेंगे । जनपद की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का एक मुख्य साधन व बिन्दु ग्राम शिक्षा समिति है। वर्तमान तक यही धारणा थी कि सरकार स्कूल खोलकर खुद इसकी व्यवस्था करती है तथा जनसहभागिता नहीं रहती थी । लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ग्राम शिक्षा समिति को प्रत्यक्ष रूप से गांव की शिक्षा व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है । सरकार के अलावा अब ग्राम शिक्षा समिति का भी प्रबन्धन में सहयोग एवं भागीदारी रह सकेगी। ग्राम शिक्षा समिति अपने गांव की आवश्यकता के अनुसार विद्यालय का नियोजन कर सकेगी। इससे बच्चों की उपस्थिति शत्–प्रतिशत अध्यापकों की उपस्थिति नियमित हो सकेगी । सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कभी–कभी अध्यापकों के एक साथ अवकाश में चले जाने से विद्यालय बन्द नहीं होगा । विद्यालय में पाठन का कार्य नियमित चलता रह सकेगा । ग्राम शिक्षा समिति में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इसलिए समस्याओं का समाधान भी शीघ्र होने लगेगा । जनसहभागिता के द्वारा विद्यालय के संसाधनों की व्यवस्था भी आसनी से हो सकेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति द्वारा गॉव स्तर पर अनेक कार्य भी संपादित किये जा सकेंगे ।

(I) ग्राम की जनगणना :– वर्तमान व्यवस्था मे विद्यालय में गांव की बालगणना जिसमें 6–11 व 11–14 वय वर्ग के बच्चों की अंकना मात्र रहती है । इस गणना के आधार पर नये संसाधनों की व्यवस्था अतिरिक्त कक्षा कक्ष आदि आवश्यकताओं का निर्धारण व निराकरण हो सकेगा । इस पंजिका में 0–3, 3–5, 6–11, तथा 11–14 वय वर्ग के बच्चों की लिंग व जातिवार गणना है ।

(II) विद्यालय सर्वेक्षण :–प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गणना करके सर्वेक्षण कार्य किया गया हैं । इसमें छात्र उपस्थिति, ह्रास अवरोध, अध्यापक उपस्थिति, परीक्षा की समीक्षा, लक्ष्य बिन्दुओं की समीक्षा की गयी है । भवनों की दशा, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की सुविधा का आंकलन, शौचालय, चहारदीवारी आदि की व्यवस्था भी की गयी है।

(III) विद्यालयों के लिए भूमि चयन :– नवीन विद्यालयों के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, ई0जी0एस0, घुमंतु शिक्षा केन्द्र का चयन समूह के सहयोग व सहमति से ही संभव है । पिछड़े वर्गों तथा पिछड़े क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया गया है ।

(IV) निर्माण कार्य :– वर्तमान समय में विद्यालयों का निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जाता है । जिससे विद्यालय भवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है तथा भवन गांव की आवश्यकता के अनुरूप समय पर नहीं बनते हैं । ग्राम शिक्षा समिति की सहभागिता से विद्यालय भवन गांव की आवश्यकता के अनुसार समय पर निर्मित हो सकेगा तथा विद्यालय भवन की गुणवत्ता भी

अच्छी होगी । समान्य रूप से भवन की कम लागत होगी तथा इसी बजट में विद्यालय के लिए अन्य संसाधनों की व्यवस्था की गयी है । शिक्षा विभाग के अधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान के सदस्य समय–समय पर निर्माण स्थल का पर्यवेक्षण करेंगे।

(V) शिक्षण कार्य :– शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा । नियमित अध्यापक न मिलने पर शिक्षा मित्र या शिक्षा आचार्य की व्यवस्था विभागीय निर्देश व मानकों के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति अतिशीघ्र कर सकेंगी जिससे विद्यालय में निरन्तरता आ सकेगी । ह्रास व अवरोध की समस्या में कमी आयेगी ।

(VI) गांव का मानचित्रण :– ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अपने गांव का शैक्षिक मानचित्रण भी किया जायेगा । इस मानचित्रण में गांव की समस्त जानकारियॉ अंकित की जायेंगी जिससे योजना बनाने में आसानी होगी ।जनपद के प्रत्येक गांव का मानचित्रण हों जाने पर से विकास खण्ड तथा जिले का भी मानचित्रण आसानी से हो जायेगा । मानचित्रण के पश्चात चर्चा–परिचर्चा करके समस्यांओं तथा अवरोधों का निवारण आसानी से हो सकेगा

4. अभियान का प्रचार–प्रसारः–

सर्व शिक्षा अभियान को चलाने के लिए जिला स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब इस अभियान को सीधे इकाई अर्थात गांव से जोड़ा गया है जनपद के साथ के गांव भी इस व्यवस्था में जुड़ गया है। गांव को लाभान्वित करना है अतः योजना का सीधे लाभ गांव तक आसानी से पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है।

5. बजटः–

जिला स्तर से बजट का आवंटन जिले की ईकाई को ध्यान में रख कर किया जायेगा प्रत्येक ईकाई की समीक्षा करने के उपरान्त उसी के अनुसार बजट का प्राविधान योजना में किया गया है । बजट बनाने में स्पष्टता तथा पारदर्शिता का ध्यान रखा गया है। इसका व्यय भी इकाई स्तर पर रहेगा । योजना के लक्ष्य की प्राप्ति बजट के सही उपभोग पर निर्भर करता है । बजट के उपभोग में जनसहभागिता सक्रिय है किसी भी स्तर पर बजट के दुरूपयोग की सम्भावना नही रह सकेगी। गांव की भौगोलिक स्थिति के अनुसार योजना में अन्तर आना स्वभाविक है। सड़क के समीप तथा सडक से दूरी बढ़ते रहने से बजट में अन्तर आते जायेगा। वर्तमान में जिला योजनाओं में इकाई को ध्यान में नहीं रखा जाता था लेकिन अब इकाई की स्थिति के अनुसार बजट का प्रावधान रखना विचारणीय होना चाहिये।

6. पर्यवेक्षण तथा शैक्षणिक सहयोगः–

योजनाओं के कियान्वयन के बाद प्रत्येक कार्य का पर्यवेक्षण किया जाना अनिवार्य अंग है जिससे कार्य की प्रगति का आंकलन हो सकेगा। जिला कोर ग्रुप तथा जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी, जिला स्तर पर, विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी विकास खण्ड स्तर पर तथा ग्राम

शिक्षा समिति गॉव में शिक्षा व्यवस्था का पर्यवेक्षण कार्य कर सकेंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समन्यवक तथा सह समन्वयक जनपद व विकास खण्ड स्तर पर अध्यापकों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करेंगे। उक्त दोनों अपना वार्षिक कैलैण्डर का निर्माण करेंगे तथा शैक्षिक सहयोग की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी। पर्यवेक्षण का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे प्रत्येक माह, प्रत्येक छः माह तथा वार्षिक समीक्षा होती रहेगी। इससे बजट का उपभोग, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, अध्यापकों की व्यवस्था आदि अवरोधों को दूर करने में सुविधा हो सकेगी। जनपद से वाह्य पर्यवेक्षक समिति भी सूचनाओं का संकलन करके किसी भी विद्यालय का पर्यवेक्षण कार्य कर सकती है । जन सहभागिता द्वारा पर्यवेक्षण कार्य भी पारदर्शी हो सकेगा। कोई भी अवरोध या कमी सभी की जानकारी में रहेगी तथा कमी का कारण भी मालूम हो सकेगा इससे इसका समाधान भी स्वतः हो सकेगा।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य तथा शिक्षा के मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–11 वय वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर तथा 11–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है । इस योजना के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक विद्यालयों में प्रवेश दिलाने तथा शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने तथा छात्र–छात्राओं का विद्यालयों में निश्चित अवधि तक ठहराव रखने के प्रयास किये जायेंगे । इन प्रयासों के अन्तर्गत प्रत्येक सेवित बस्ती में रहने वाले अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर समाज की इस दिशा में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये जायेंगे । सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक समूह की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी । इसके अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समितियों, अभिभावक शिक्षक समितियों का पुनर्गठन किया जायेगा तथा ग्राम पंचायातों की इस दिशा में भूमिका निर्धारित करने का प्रयास किया जायेगा । सर्वशिक्षा के इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाकर इसे एक मिशन का रूप दिया जायेगा तथा पूर्णरूप से यह प्रयास किया जायेगा कि वर्ष 2010 तक कोई भी बच्चा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा से वंचित न रहने पाये । सभी बच्चों का पूर्ण रूप से नामांकन का लक्ष्य तथा शाला त्यागी बच्चों की संख्या शून्य करने के लिए शिक्षा में इस प्रकार गुणवत्ता का सम्वर्द्धन किया जायेगा कि शिक्षा से छात्र–छात्राओं का नैतिक व सर्वांगीण विकास हो सके तथा शिक्षा जीवनोपयोगी हो ।

1. सर्व शिक्षा अभियान एक चरणबद्ध व समयबद्ध कार्यक्रम है ।
2. सर्व शिक्षा अभियान सम्पूर्ण देश में गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तम शिक्षा की मांग के अनुरूप है ।
3. सर्व शिक्षा अभियान बुनियादी शिक्षा के द्वारा सामाजिक न्याय व शिक्षा के मौलिक अधिकार को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है ।
4. सर्व शिक्षा अभियान में जनसहभागिता को सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबन्ध समितियों, अभिभावक शिक्षक संगठनों के सुदृढ पुनर्गठन मातृ समितियों का गठन, जन जातीय संगठन, स्वायत्तशासी परिषदों का गठन एवं विद्यालय प्रबन्धन के आधारभूत सिद्धान्तों का समावेश है ।
5. यह समग्र राष्ट्रीय शिक्षा की इच्छा शक्ति का निरूपण है ।

6. यह केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के मध्य चलाया जाने वाला एक साझा कार्यक्रम है ।

7. यह 6–14 वय वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापरक व प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने हेतु एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम है ।

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–11 वय वर्ग तथा 11–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक विद्यालयी शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारत किया गया है । इस अभियान का ध्येय सामाजिक, क्षेत्रीय व लैंगिक विषमताओं को दूर करते हुए समाज के सभी वर्गों की विद्यालय प्रबन्धन में सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित कर सभी ऐसे बच्चों को विद्यालय तक लाने का प्रयास है जो किन्हीं कारणों से विद्यालयी सुविधा से वंचित हैं ।

सर्व शिक्षा अभियान राज्य या राष्ट्रीय स्तर से निर्धारित कर प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है वरन् इस अभियान के अन्तर्गत सेवित बस्ती/ग्राम की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करने के उपरान्त जनपद स्तर पर कार्यक्रम तय किए गये हैं । इस प्रकार यह अभियान समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समाज की मांग के अनुसार चलाया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले 3–6 वय वर्ग के शिशुओं को भी 'आंगन बाड़ी' केन्द्रों तथा बालवाड़ी केन्द्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस दिशा में सार्थक प्रयास किये जायेंगे तथा आई0सी0डी0एस0 के सहयोग से चलाये जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी विद्यलयों से जोड़ने की योजना प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वजनीकरण व गुणवत्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य निम्न प्रकार है :–

1. वर्ष 2002 तक सभी बच्चों का प्राथमिक विद्यालय, शिक्षाघर आदि में नामांकन कराना।
2. सन् 2007 तक सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना ।
3. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना ।
4. प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता युक्त एवं समाजोपयोगी बनाना ।,
5. वर्ष 2010 तक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक आधार पर लैंगिक विषमताओं को दूर करना ।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11901
DOC, No. 25-05-2003
Date

6. प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों को पूर्ण शिक्षा प्राप्त कराने तक ठहराव को सुनिश्चित करना ।

7. शाला त्यागी बच्चों को पुनः विद्यालय की ओर प्रेरित कर उनकी संख्या को शून्य करना ।

8. बालिकाओं विशेषकर कमजोर वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा को सुव्यवस्थित करना।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक प्रकार की नवाचार योजनाओं को लागू करने की योजना है जिससे जनपद में शिक्षा का निरन्तर विकास होगा । सर्व शिक्षा अभियान को लागू किये जाने के उपरान्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का विद्यालयों में निर्धारित समय तक ठहराव बना रहेगा तथा ड्राप आउट की समस्या का समाधान होगा । विद्यालय बीच में छोडने की समस्या को दूर करने के लिए पहुंच, ठहराव, गुणवत्ता,सम्वर्धन को सुदृढ करना प्रस्तावित है । ठहराव को निश्चित करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ भौतिक संसाधन यथा पेयजल, शौचालय, चहारदीवारी, कक्षा–कक्षों की व्यवस्था किये जाने की योजना है ।

वर्तमान समय में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाल गणना के अनुसार बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाना है ।

तालिका 4.1

1. अल्मोड़ा जनपद की कुल जनसंख्या	:	1991–613982 2001–630446(प्रोविजनल)
2. पुरूषों की संख्या	:	1991–292952 2001–29357(प्रोविजनल)
3. महिलाओं की संख्या	:	1991–321030 2001–336870(प्रोविजनल)
4. अनु0 जाति की संख्या	:	1991–123674 2001–132024(प्रोविजनल)
5. प्रति हजार पुरूषों में स्त्रियों की संख्या	:	1991–1095 2001–1147(प्रोविजनल)
6. 6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या	:	108876
7. जनसंख्या घनत्व	:	205 प्रति वर्ग किलोमीटर
8. साक्षरता प्रतिशत	:	74.53 प्रतिशत

नामांकन तथा ठहराव के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु पहुॅच का विस्तार :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों के विद्यालयों में नामांकन तथा ठहराव के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बाल मेला, टी0 एल0 एम0 प्रदर्शनी, मातृ शिक्षक संघ की सक्रियता, खेल सुविधा, अनुसूचित जाति,अनु0 जनजाति की शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना, विकलांग बच्चों को चिन्हित करना, अवरोध के कारणों की पहचान कर उनके निराकरण हेतु

कार्यवाही करना, ग्राम शिक्षा समितियो का गठन करके उनको सशक्त बनाना, समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समाज के हर समूह का सहयोग प्राप्त करना तथा बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 केन्द्रों द्वारा निरन्तर शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण किया जाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है । सर्व शिक्षा अभियान का प्राथम उद्देश्य वर्तमान समग्र नामांकन दर में वृद्धि करना है । वर्तमान समय में नामांकन दर 98 प्रतिशत है । सर्व शिक्षा अभियान में इस लक्ष्य को शत् प्रतिशत किया जाना है । वर्तमान समय में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत कम है इसे भी शत प्रतिशत प्राप्त किया जाना है ।

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक ग्राम में जनसमुदाय को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही से अवगत कराने के अतिरिक्त शिक्षा हेतु जागरूक कर उनमें विद्यालय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाना तथा विद्यालय में बच्चों के प्रति पारिवारिक वातावरण बनाया जाना है। उस क्षेत्र के ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनो महिला मगल दलो, नेहरू युवक मंगल दलों, ज्ञान विज्ञान जत्थों एवं बुद्धिजीवी लोगों को इस अभियान में शामिल करते हुए उनके विचारों का विश्लेषण किया जायेगा ताकि उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सके । उनको विभिन्न प्रकार के दायित्वों को सौंपकर इस अभियान से जोड़ा जायेगा ।

धारण :–

सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा प्रमुख उद्देश्य यह है कि विद्यालय में नामांकित बच्चों को 6–11 वय वर्ग में कक्षा 5 तक की शिक्षा पूर्ण करने तक तथा 11–14 वय वर्ग में कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालयों में बनाये रखना है । वर्तमान समय में विद्यालयों में धारण क्षमता शत् प्रतिशत नहीं है । विद्यालय में नामांकित छात्र–छात्राएं 6–11 वय वर्ग में पूरे 5 वर्ष तथा 11–14 वय वर्ग में 3 वर्ष रहकर पूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं । उनमें से कुछ छात्र–छात्राएं बीच में ही विद्यालय छोड देते हैं। सर्व शिक्षा योजना में इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जायेगी कि प्रत्येक नामांकित छात्र–छात्रा निर्धारित अवधि की शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय में बने रहे । वर्तमान समय में बालिकाओं व अनुसूचित जाति के बच्चों में धारण दर न्यून है ।बालकों एवं बालिकाओं की धारण दर क्रमशः 71.02 तथा 66.21 प्रतिशत है जिसे बढ़ाकर शत प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के बच्चों में यह दर 62.28 प्रतिशत है जिसमें बालकों का 69.22 तथा बालिकओं का 56 प्रतिशत है इसे बढाकर शत प्रतिशत किया जाना है । धारण की क्षमता में वृद्धि के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी कि बच्चे विद्यालयों में नामांकन के उपरान्त पूर्ण

काल तक विद्यालयों में बने रह सकं और उन्हें गुणवत्ता परक, नैतिक मानदण्डों के अनुरूप जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त हो सके ।

सर्व शिक्षा कार्यक्रम :–

सर्व शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निम्न बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है:–

1. राष्ट्रीय मानदण्डों के तहत सभी बच्चों की पहुँच प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक सुलभ कराना ।
2. सभी वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना ।
3. सकल नामांकन अनुपात को शत प्रतिशत करना ।
4. बालक–बालिकाओं के सकल नामांकन के अन्तराल को न्यूनतम करना ताकि समाज में लैंगिक असमानता की विकृति दूर करना ।
5. ह्रास अवरोध की वर्तमान दर को कम करना तथा बालिकाओं की शिक्षा में आ रहे अवरोध को दूर करना ।
6. सामान्य वर्ग के बालकों के सापेक्ष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सकल नामांकन अनुपात को 62 से 100 प्रतिशत करना ।
7. सभी बच्चों के लिए हर सम्भव प्राथमिक शिक्षा एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना तथा आंगन बाड़ी केन्द्रों को सक्रिय करना तथा शिक्षा घरों की व्यवस्था करना ।

इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुछ गुणात्मक उद्देश्य भी निर्धारित किये गये हैं जो निम्न प्रकार है :–

1. ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक शिक्षा के प्रति इस प्रकार अभिप्रेरित किया जायेगा कि वे प्राथमिक शिक्षा के नियोजन, नवीन विद्यालयों के निर्माण तथा विद्यालय प्रबन्धन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके । इस हेतु समय–समय पर ग्रामीण समुदाय के अभिप्रेरण हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाये जायेंगे जिससे समुदाय के सभी समूह विद्यालय प्रबन्धन में अपना उत्तरदायित्व समझ सकें ।
2. इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे जिससे कि अनुसूचित जाति के बच्चे विद्यालय में नामांकन हेतु प्रेरित हो सकें तथा विद्यालयों में पूर्ण काल तक उनका ठहराव बना सकें ।
3. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अध्यापकों ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों, प्रशिक्षण संस्थान, विभागीय अधिकारियों के मध्य स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित किये जायेंगे जिससे कि मानवीय संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग सम्भव हो सके ।

अध्याय – 5

समस्या एवं रणनीति

सम्पूर्ण जनपद एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ के पहाड़ी ढलानों में बिखरी हुई आबादी/बस्तियाँ ही प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है । भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जलवायु, वनस्पति, कृषि, वनोपज व रहन--सहन आर्थिक दशा में स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। उत्क्रमणशील जनसंख्या की भी अपनी समस्या है । जनपद में अब तक कराये गये विशिष्ट समूहों के अध्ययन व विश्लेषण के उपरान्त उत्पन्न समस्याओं और उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष एक संतुलित व व्यावहारिक रणनीति बनाई गई है, जिसमें असेवित बस्तियों में शिक्षा घर, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय का खोला जाना है। नये भवनों का निर्माण, जीर्ण–शीर्ण भवनों की मरम्मत, छात्रसंख्या की वृद्धि पर अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण, अतिरिक्त अध्यापक, अध्यापिकाओं की तैनाती, पेयजल, शौचालय, खेल का मैदान तथा विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाने हेतु साजसज्जा, शिक्षण सहायक सामग्री, चहारदीवारी, रूचिपूर्ण शिक्षा आदि सम्बन्धी निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित है ।

पहुँच :		
समस्यायें		समाधान
1.	प्राकृतिक अवरोध– नदी, नाले, जंगल, कठिन रास्ते आदि के कारण स्कूल पहुँच में व्यवधान ।	इन समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा गारन्टी योजनान्तर्गत शिक्षा घर, घुमन्तू अध्यापकों की व्यवस्था द्वारा शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेंगे जो बाद में शिक्षा की मुख्य धारा से जुड जायेंगे
2.	असेवित बस्तियों का बना रहना ।	200 व उससे अधिक जनसंख्या व एक किमी0 से अधिक दूरी वाले ग्राम/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे जिनमें 20 से अधिक बच्चे होंगे । 20 से कम बच्चों पर शिक्षा घर की स्थापना ।
3.	विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की कमी	छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, पेयजल, शौचालय, क्रीडास्थल, चहारदीवारी एवं साज–सज्जा की व्यवस्था करना।
4.	व्यावसायिक शिक्षा का अभाव	उच्च प्राथमिक विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने व व्यवसाय विशेष में दक्षता बढाने, हेतु बालिकाओं के लिये, सिलाई, कढ़ाई, फल संरक्षण

		तथा बालकों के लिये काष्ठकला, पुस्तक कला चौक व मोमबत्ती निर्माण, चटाई निर्माण आदि तथा सभी बच्चों के लिये पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी ।
5.	जनसहभागिता का अभाव	स्थानीय लोगों की प्रतिभागिता बढ़ाने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय करना । महिला मंगल दल, राष्ट्रीय दिवसों पर स्थानीय जनता को आमंत्रित करना, माँ–बेटी मेलों का आयोजन किया जायेगा। इसी प्रकार बाल विकास परियोजना के कार्यकर्ता, कार्यकत्री, ए0एन0एम0 आदि का समय–समय पर विद्यालय आकर सलाह व समन्वय पर बल दिया जायेगा ।
6.	विद्यालयों में मानकानुसार शिक्षकों की कमी ।	विद्यालयों में मानकानुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी विषयाध्यापकों, विज्ञान, तृतीय भाषा आदि की नियुक्ति की जायेगी ।
ब–ठहराव		
1.	विद्यालय परिवेश का आकर्षक न होना ।	विद्यालय परिवेश को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाया जायेगा । कक्षा–कक्षों में सदवाक्य लेखन, चार्ट चित्रों से सजाया जायेगा । प्राप्त अनुदान से शिक्षण सहायक सामग्री का सृजन, कहानी चित्रण आदि का प्रयोग किया जायेगा ।
2.	पढने के प्रति बच्चों की अभिरूचि में कमी ।	रूचिपूर्ण शिक्षा के पाठ्यक्रम का समावेश। जैसे खेल विधि शिक्षण, नाटकों व मुखौटा आदि द्वारा शिक्षण करके बच्चों में शिक्षा के प्रति अभिरूचि पैदा की जा सकती है ।
3.	अध्यापकों की छात्र संख्या के सापेक्ष कमी ।	विद्यालयों में 40:1 के अनुपात में अध्यापकों, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों की व्यवस्था और ऐसे स्थान जहाँ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय एक साथ संचालित हैं, संयुक्त समय विभाजन चक्र का संचालन किया जायेगा ।
4.	अभिभावकों में शिक्षा के प्रति रूचि	अभिभावकों में सकारात्मक सोच पैदा करने हेतु

	का अभाव ।	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय करना व अध्यापक/अभिभावक गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा ।
5.	अध्यापकों से अतिरिक्त कार्य कराया जाना ।	अध्यापकों से राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में लगाये जाने से शिक्षण कार्य में व्यवधान पैदा होता है । यथासम्भव अन्य कार्यों में उन्हें न लगाकर शिक्षण कार्य के प्रति पूर्ण उत्तरदायी बनाया जायेगा । अच्छे शिक्षकों के लिये प्रतिवर्ष ब्लाक व जनपद व राज्य स्तर पर पुरस्कार की व्यवस्था की जायेगी।
6.	निर्धनता के कारण बच्चों के पास पुस्तकों/अभ्यास पुस्तिकाओं आदि की कमी।	कक्षा 1 से 8 तक समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जायेंगी ।
7.	ह्रास व अवरोध की समस्या	विद्यालयों में अध्यापकों की कमी, विद्यालय शिक्षण सामग्री की कमी व आकर्षक परिवेश न होने से व बच्चे की अभिरूचि न होने से वर्षभर में यथोचित शिक्षा स्तर की सम्प्राप्ति नहीं हो पाती है । रूचिकर शिक्षा, विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाकर बच्चों के अवरोध व ह्रास को शून्य स्तर तक कर दिया जायेगा।मूल्यांकन में सुधार भी उपचारात्मक उपाय है ।
8.	शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में ह्रास ।	शिक्षक का छात्रों के प्रति मृदु व्यवहार व मानवीय मूल्यों के समावेश हेतु समय–समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे ।
स– गुणवत्ता		
1.	पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अभाव	जनपद में बाल विकास कार्यक्रम द्वारा संचालित आई0सी0डी0एस0 केन्द्रों के अतिरिक्त समग्र ग्रामों/प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी ।
2.	बालिकाओं के शैक्षिक सम्प्राप्ति में कमी ।	क–समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण। गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा । ख–महिला प्रेरक समूहों, एम0टी0ए0, पी0टी0ए0,

		मीना कम्पेन, माँ--बेटी मेला आदि का आयोजन । ग--समस्त शिक्षकों को रूचिकर शिक्षण का सेवारत प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
3.	अध्यापक अभिभावकों एवं छात्रों में सामंजस्य की कमी ।	अभिभावकों का निरन्तर अध्यापक के साथ सम्पर्क बनाये रखने के लिये शिक्षण अभिभावक संगठन गठित करके बच्चों के शैक्षिक स्तर की जानकारी दी जायेगी । मासिक परीक्षाओं को नियमित रूप दिया जायेगा ।
4.	सतत मूल्यांकन का अभाव।	बच्चों का सतत मूल्यांकन मासिक, अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के रूप में किया जायेगा। मूल्यांकन के उपरान्त कमजोर बच्चों के लिये उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ।
5.	अध्यापक का शैक्षिक समस्याओं की सही पहचान न कर पाना ।	क्रियात्मक अनुसंधानों द्वारा अध्यापकों के लिये समस्याओं के तात्कालिक समाधान हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार शिक्षक शैक्षिक समस्याओं के त्वरित समाधान में सक्षम हो जायेंगे।
6.	विश्वसनीय आधारभूत आँकडों के अभाव के फलस्वरूप सही वस्तुस्थिति की जानकारी न होना।	ई0एम0आई0एस0 सैल की स्थापना करके ग्रास रूट स्तर के सही आँकड़े सीधे एन0आई0एस0 तक उपलबध कराये जायेंगे ।
7.	विकलांग बच्चों के लिये विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था की कमी ।	विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण करवाकर सूचना प्राप्त की जायेगी और जनपद स्तर पर एक आवासीय छात्रावास स्थापित कर विकलांग बच्चों की विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था की जायेगी ।
8.	सक्रिय सामाजिक सहभागिता का अभाव ।	यह आम धारणा है कि सरकार विद्यालय खोलकर शिक्षण व्यवस्था स्वयं ही करेगी और अभिभावकों को स्कूल संचालन में सहयोग की आवश्यकता नहीं है । अभिभावकों अथवा जनप्रतिभागिता के रूप में विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हेतु समाज व विद्यालय में समन्वय स्थापित किया जायेगा । ग्राम पंचायतें स्कूलों का सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी ।

अध्याय – 6

सर्व शिक्षा अभियान– इन्टरवेंशन (Intervention)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में सम्पन्न किए जाने वाले कार्य, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा से सम्बन्धित समस्यायें एवं स्थिति के समाधान पर आधारित हैं प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप समाज की सहभागिता के साथ उक्त कार्य निम्न विवरणानुसार विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने प्रस्तावित हैं।

A. पहुँच एवं नामांकन

शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तथा शत प्रतिशत नामांकन हेतु यह आवश्यक है कि ऐसी बस्तियों के बच्चे जो भौगोलिक एवं सामाजिक कारणों से निकटस्थ विद्यालयों में पहुँचने में कठिनाई अनुभव करते हैं तथा निर्धनता व पारिवारिक परिस्थितिवश प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उन बस्तियों में शिक्षा की व्यवस्था नवीन विद्यालय खोलकर, शिक्षा घरों तथा यह सम्भव न होने पर घुमन्तु अध्यापकों द्वारा संचालित केन्द्रों की व्यवस्था करने का प्राविधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत न केवल असेवित बस्तियों बल्कि ऐसे ग्रामों में नवीन विद्यालयों की स्थापना की जानी है जहाँ की आबादी काफी बडे क्षेत्र में बिखरी हो और पूर्व में उपलब्ध विद्यालय उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा हो। योजना में पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर किसी एक असेवित बस्ती में बच्चों की संख्या 20 होने पर एक नवीन प्राथमिक विद्यालय व बच्चों की संख्या 10 होने पर शिक्षा घर का संचालन किया जाएगा तथा दूर–दूर परिवार होने तथा बच्चों की संख्या कम होने पर घुमन्तु अध्यापक की व्यवस्था की गयी है। जिन बस्तियों में 3.5 किमी0 की परिधि में कोई भी उच्च प्राथमिक/हाईस्कूल/इण्टर कालेज की व्यवस्था नहीं है उन बस्तियों में दो प्राथमिक विद्यालय के मध्य एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। इसी क्रम में उन असेवित बस्तियों जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय मानक के अनुसार नहीं खोले जा सकते वहाँ पर सेवित होने वाले किसी एक प्राथमिक विद्यालय को कमोतर कक्षाओं में बदला जाएगा। इस प्रकार हम योजना के तहत नवीन विद्यालयों की स्थापना करते हुए सभी बच्चों को विद्यालय में आने के लिए प्रेरित करेंगे व शिक्षा के सशक्तीकरण व सार्वभौमिकरण की दिशा में अग्रसर होंगे।

निर्माण कार्य प्रकिया :–

(1) स्थल चिन्हांकन एवं भूमि व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति/जन समुदाय की सहभागिता से की जायेगी ।

(2) स्थल चयन के पश्चात ग्राम शिक्षा समिति को विद्यालय रखरखाव निधि में धन राशि प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त अवमुक्त की जायेगी (उक्त खाते का संचालन ग्राम प्रधान एवं समीपस्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा), आय–व्यय का लेखा प्रधानाध्यापक रखेंगे ।

(3) निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण कराने हेतु निर्माण समिति (ग्राम शिक्षा समिति) से शपथ पत्र पूर्व में ही लिया जायेगा ।

(4) निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद विद्यालय संचालन की व्यवस्था की जाएगी। सर्वप्रथम एक प्रधानाध्यापक उसके बाद एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी।

प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता :–

जनपद अल्मोड़ा में कुल आबाद राजस्व ग्रामों की संख्या 2145 है, जिनके अन्तर्गत कुल 2555 बस्तियॉ हैं, जिनमें कुल 1359 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं । 2252 बस्तियॉ ही प्राथमिक विद्यालयों से सेवित हैं जो एक कि0मी0 के भीतर हैं । एक कि0 मी0 से अधिक दूरी वाली बस्तियॉ अभी भी 303 हैं । जिनमें 102 बस्तियॉ ऐसी हैं जो जनसंख्या एवं दूरी के हिसाब से मानक पूर्ण करती हैं उनके लिए विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं । शेष 201 बस्तियॉ जनसंख्या एवं दूरी के मानक को पूर्ण नहीं करती हैं । पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण पूर्व में अधिकांश स्थानों पर दो–तीन गॉवों के मध्य में विद्यालय स्थापित हैं जिस कारण मानकानुसार दूरी/जनसंख्या कम है । जनपद में 102 बस्तियॉ मानक को पूरा करती हैं जिनके लिए 46 प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे । शेष 201 बस्तियॉ मानक पूरा नहीं करती हैं उनमें से 126 असेवित बस्तियों को 51 शिक्षा घर खोलकर सेवित किया जायेगा तथा शेष 75 असेवित बस्तियों को 32 घुमन्तु शिक्षकों से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी । वर्ष 2003–2004 में 15 शिक्षाघरों को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा वर्ष 05–06 में आवश्यकतानुसार 22 शिक्षाघरों को भी प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जायेगा । केवल 14 शिक्षाघर शेष रहेंगे ।

शिक्षा गारन्टी योजना – ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 योजना

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किसी कारणवश विद्यालयी सुविधा से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा गारन्टी योजना (ई0जी0एस0) को लागू किए जाने का प्राविधान किया गया है । इस योजना के अर्न्तगत सर्वप्रथम 6–8 वय वर्ग के बच्चों को लिया जायेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर इस सीमा को बदला भी जा सकता है । जिन बस्तियों / ग्रामों अथवा मुहल्लों से प्राथमिक विद्यालयों की दूरी 1 कि0मी0 से अधिक है तथा ऐसे छोटे बच्चे जिनकी संख्या 10 से 20 तक हो ओर किन्हीं कारणों से उन्हें विद्यालयी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है । इस प्रकार की बस्तियों/ग्रामों अथवा मुहल्लों में प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम वर्ष में 37 ई0जी0एस0 केन्द्र प्रस्तावित है इन केन्दों का स्थान, समय तथा आवश्यकतानुसार विद्यालय के मानक को पूर्ण करने पर विद्यालय में परिवर्तित भी किया जायेगा । इन केन्दों को चलाने के लिए स्थानीय शिक्षितों को आचार्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा । इन आचार्यों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा । ये केन्द्र मुख्य रूप से अनुसूचित जाति / जन जाति तथा विकलांग बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रस्तावित हैं । इसके अलावा बालिकाओं, खानों, फैक्टरी तथा अन्य किसी उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिक बस्तियों के बच्चों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन केन्द्रों को संचालित किया जाना प्रस्तावित है ।

वर्तमान में वर्ष 2001–2002 तक इस प्रकार के 37 केन्द्र खोलने की योजना है । बाल गणना के आधार पर प्रत्येक वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए उक्त ई0जी0एस0 केन्द्रों को प्रस्तावित किया गया है ।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन :–

(क) अनुसूचित जाति / जनजाति के बालक / बालिकाएँ

(ख) बालिकाओं की शिक्षा के कम प्रतिशत वाले क्षेत्र

(ग) उन क्षेत्रों की पहचान जहॉ पर स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक है ।

(घ) विकलांग बच्चों की पहचान

(ड.) श्रमिक बस्तियों के बालक / बालिकाएँ

(च) ड्रॉप आउट की दर अधिक होने वाले स्थान

जनपद के अनेक गॉव दूर–दराज में फैले हुए हैं उनमें रास्तों की सुविधा उपलब्ध नहीं है । दो गॉवों अथवा बस्तियों के बीच में जंगल है तथा कुछ बस्तियों और विद्यालयों के बीच पानी के नाले हैं । इन सब कारणों से इन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल में पहुँचना असुविधाजनक होता है और विद्यालय न आने के कारण ये बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इसी श्रेणी में आने वाले बच्चों के लिए शिक्षा गारंटी योजना लागू कर उन बस्तियों में ई0जी0एस0 केन्द्रों को संचालित करने का प्रस्ताव है ।

शिक्षा गारन्टी योजना की विशेषताएँ :–

1– प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कक्षा 1 व 2 की सघन व सम्पूर्ण शिक्षा देना ।

2– सीखने वाले बच्चों के पास उपलब्ध समय व स्थान के अनुसार शिक्षण कार्य ।

3– वी0ई0सी0 / समुदाय– शिक्षा घर के लिए स्थान उपलब्ध करायेंगे ।

4– घुमन्तु आचार्यों की व्यवस्था स्थानीय आधार पर चयनित किए जायेंगे ।

5– स्थानीय वातावरण व बच्चों की आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम व अन्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जायेगा ।

6– बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जायेगी ।

7– बच्चों को स्वास्थ्य मानकों को प्राप्त करने हेतु मध्यान्हपोषाहार (मध्यान्ह भोजन) की व्यवस्था ।

8– शिक्षा से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन छात्रों को नियमित विद्यालयों में प्रवेश की सुविधा ।

9– शिक्षाघरों को समुचित शिक्षण सामग्री प्रदान करना ।

तालिका –6.

ई0जी0एस0 केन्द्रों का विवरण

क0सं0	विकासखण्ड	केन्द्रों की मांग	प्रस्तावित केन्द्र		
			01–02	02–03	05–06
1.	चौखुटिया	05	05	–	
2.	ताकुला	04	02	02	–
3.	ताड़ीखेत	08	04	01	03
4.	द्वाराहाट	04	04	–	–
5.	धौलादेवी	08	06	–	02
6.	भिकियासैण	04	02	02	–
7.	भैसियाछाना	06	02	01	03
8.	लमगडा	08	02	03	03
9.	स्याल्दे	09	03	03	03
10.	सल्ट	07	04	02	01
11.	हवालबाग	03	03	–	–
12.	नगरक्षेत्र	–	–	–	–
	योग	66	37	14	15

श्रोत– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोडा

उपरोक्त सारिणी में 6–8 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले ऐसे बच्चों के लिए ई.जी.एस. केन्द्र प्रस्तावित है जहॉ विद्यालयी सुविधा उपलब्ध नहीं है। चूंकि मानक के अनुसार उक्त बस्तियों में विद्यालय नहीं खोला जा सकता है जिस कारण ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं।

आचार्यो का मानदेय :-

आचार्यो के मानदेय के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के खाते में अग्रिम रूप से 1000/- (एक हजार रूपया मात्र) जमा कर दिया जायेगा। उक्त खाते के माध्यम से आचार्यों को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

B. धारण क्षमता (Retention)

शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अनेक प्रकार की नवाचार योजनाओं को लागू करने की योजना है । जिससे जनपद में शिक्षा का विकास होगा । सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने के बाद विद्याालय में ठहराव, ड्राप आउट, बालिका शिक्षा आदि समस्याएँ दूर होने लगेंगी । इन बाधाओं को दूर करने के लिए । Access, Rtentjiion, Qulality तथा Capacity Building को सुदृढ़ करना आवश्यक है । सर्व शिक्षा अभियान के तत्व कार्यक्रम के द्वितीय लक्ष्य (ठहराव) को सुनिश्चित करने हेतु नवीन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पेय जल, शौचालय, चहारदीवारी आदि की निम्नानुसार आवश्ग्कता महसूस की गई है ।

तालिका 6 :

विद्याालय / भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का विवरण

क0 सं0	मद	प्राथमिक		उच्च प्राथमिक		
		कुल प्रा0 वि0	आवश्यक	कुल उ0प्रा0वि0	आवश्यकता	अन्य
1.	नवीन विद्यालय		46		54	
2.	पुनर्निर्माण		46+32		18	
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष		245		157	32 प्रा0वि0 जर्जर हैं
4.	पेयजल सुविधा	1376	1241	186	161	
5.	शौचालय		1288		133	
6.	चहारदीवारी		1279		171	

श्रोत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा

(अ) नवीन विद्यालय :- उक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जनपद में प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 54 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की नितान्त आवश्यकता है । इनके बिना सुदूर अंचलों में शिक्षा की गुणवत्ता तथा सुविधा में सुधार नहीं हो सकता है । इन विद्यालयों की स्थापाना के साथ ही इनमें नये प्रा0 विद्यालय के लिए रूपया 15000 / पन्द्रह हजार रूपया उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 50000 / पचास हजार रूपया अतिरिक्त भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए बजट का प्राविधान किया गया है ।

इसी प्रकार परियोजना अवधि में वर्ष 2004–05 में 92 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वृहत मरम्मत की आवश्यकता होगी ।

(ब) भौतिक संसाधन :– सुविधाओं में विद्यालयों का निर्माण अतिरिक्त कक्षा – कक्ष, पेयजल, शौचालय तथा चहारदीवारी की व्यवस्था करना है । उक्त सारिणी द्वारा स्पष्ट है कि 45 प्राथमिक विद्यालयों तथा 18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है । इसी तरह 245 अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्राथमिक 157 अतिरिक्त कक्ष उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित होंगे । विद्यालयों में भौतिक संसाधनों को पूरा करने का लक्ष्य है । इसमें ग्राम शिक्षा समिति की अहम भूमिका होगी । इससे समाज की प्रत्यक्ष रूप से विद्यालयों में सहभागिता बनी रहेगी ।

तालिका 6.

वर्ष 2001–2002 के बजट स्वीकृति के पश्चात् विकासखण्डवार प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

क0सं0	विकासखण्ड का नाम	पुनर्निर्माण	अतिरिक्त कक्षाकक्ष	शौचालय	पेयजल	चहारदीवारी
1.	चौखुटिया	4	18	95	99	93
2.	ताकुला	1	17	72	77	71
3.	ताड़ीखेत	4	24	135	135	127
4.	द्वाराहाट	4	26	107	113	107
5.	धौलादेवी	4	27	141	130	144
6.	भिकियासैण	4	18	103	105	109
7.	भैसियाछाना	1	15	64	65	60
8.	लमगड़ा	5	24	124	120	114
9.	स्याल्दे	4	25	121	115	120
10.	सल्ट	2	22	141	145	143
11.	हवालबाग	3	26	126	120	126
12.	नगरक्षेत्र	–	03	9	17	15
	योग	36	245	1238	1241	1229

श्रोत– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा

उक्त विवरण के अनुसार शौचालय, पेयजल, चहारदीवारी एवं अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता लगभग अधिकांश विद्यालयों में है । सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2010 तक सभी विद्याालय में उपरोक्त सुविधाएँ पूर्ण कर ली जायेंगी ।

तालिका 6.

वर्ष 2001–2002 के बजट स्वीकृति के पश्चात् विकासखण्डवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

क0सं0	विकासखण्ड का नाम	नवनिर्माण	अतिरिक्त कक्षाकक्ष	शौचालय	पेयजल	चहारदीवारी
1.	चौखुटिया	3	14	8	13	11
2.	ताकुला	–	17	4	08	9
3.	ताड़ीखेत	1	14	8	17	18
4.	द्वाराहाट	1	15	9	16	14
5.	धौलादेवी	–	17	11	20	20
6.	भिकियासैण	3	10	6	13	12
7.	भैसियाछाना	1	08	2	07	8
8.	लमगड़ा	–	17	8	18	16
9.	स्याल्दे	1	17	8	13	10
10.	सल्ट	2	16	8	17	17
11.	हवालबाग	1	12	9	16	14
12.	नगरक्षेत्र	–	–	2	03	2
	योग	13	157	83	161	151

श्रोत– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा

नोट– उपरोक्त 157 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों में से 75 कक्षा कक्ष कमोत्तर विद्यालयों से सम्बन्धित है तथा 5 कमोत्तर विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कक्षा कक्ष पूर्व से ही विद्यमान हैं।

विद्यालय अनुदान

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा हाईस्कूल व इण्टर मीडियेट कालेजों को प्रतिवर्ष 2000/–रूपया विद्यालय अनुदान के रूप में दिया जाना प्रस्तावित हे । इस धनराशि को विद्यालय की साज सज्जा हेतु प्रयुक्त किया जायेगा।

विद्यालय मरम्मत व रख रखाव– प्राथमिक विद्यालयों उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाईस्कूल/इण्टर मीडियेट कालेजों को प्रतिवर्ष 5000/–रूपया विद्यालय मरम्मत व रख रखाव मद हेतु दिया जाना प्रस्तावित हे । इस धनराशि द्वारा विद्यालयों में लघु मरम्मत व रख रखाव हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री को क्रय किया जा सकेगा।

अध्यापकों की आवश्यकता– जनपद में स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नवत् है।

तालिका 6.

क्रसं0	कुल विद्यालय	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	प्राथमिक विद्यालय–1359	3140	2512	628
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय–186	858	786	82

अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता :– जनपद में 117 विद्यालय भवन पूर्ण हो चुके हैं जिनके लिए वर्ष 2001–02 में 117 सहायक अध्यापक व 117 पैराटीचर्स हेतु बजट स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2001–02 में चार नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु बजट स्वीकृति की गई है इस हेतु उक्त विद्यालयों के लिए 13 सहायक अध्यापक व 04 प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता है। / उच्च प्राथमिक विद्यालय दसम वित्त आयोग से स्वीकृत हैं तथा अध्यापकों के पद सृजित नहीं है। साथ ही नवीन खोले जाने वाले 35 प्राथमिक विद्यालयों हेतु 35 प्रधानाध्यापक व 35 सहायक अध्यापकों की आवश्यकता होगी इसी प्रकार 15 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 15 प्रधानाध्यपक, 45 सहायक अध्यापकों की आवश्यकता होगी। जिन्हें प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक/जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा साथ ही इन पदोन्नतियों से निकली हुई नियुक्तिओं पर 60 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इस तरह कुल वर्ष 2002–03 में कुल 168 अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता है। इस प्रकार जनपद में वर्ष 2002–03 के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की अपेक्षित संख्या निम्नवत् होगी :–

तालिका 6.
अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता
2002–2003

प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
प्रधानाध्यापक – 35	प्रधानाध्यापक – 4 + 7+ 15 = 26
सहायक अध्यापक – 35	सहायक अध्यापक – 12 + 21 + 45 = 78
योग – 70	योग = 104
कुल योग = 174	

शिक्षा मित्र :–जनपद अल्मोडा में 12 बी0आर0सी0 समन्वयक तथा 105 सी0आर0सी0 समन्वयकों के चयन के उपरान्त रिक्त हुए पदों में कुल 138 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी । इनके चयन की प्रकिया तथा मानदेय शासनादेशानुसार होगा ।

वातावरण निर्माण :–

प्रत्येक अभियान से पूर्व जनजागरण एवं वातावरण निर्माण आवश्यक है । इसका प्रमुख लक्ष्य जन समुदाय में चेतना तथा जागरूकता लाना है । प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक बच्चे व परिवार से सम्बन्धित है अतः वातावरण निर्माण हेतु निम्न कार्य किए जायेंगे :–

1. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अध्यापकों, स्वयं सेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों तथा महिलाओं की सकिय भागीदारी इस के लिए ग्रास रूट स्तर के कार्यकर्ताओं की प्रतिभागिता अपेक्षित है ।
2. जनसंचार के समस्त माध्यम यथा श्रृव्य दृश्य कैसेट, लोकनृत्य, संस्कृति का प्रयोग किया जायेगा ।
3. महिलाओं / बालिकाओं की सामाजिक स्थिति की जानकारी एवं श्रृव्य दृश्य सामाग्री के प्रयोग द्वारा दी जायेगी ।
4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में पोसअर लेखन का कार्य किया जायेगा ।
5. विभिन्न स्तरों पर बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से वातावरण निर्माण का कार्य किया जायेगा ।
6. जन प्रतिनिधियों द्वारा घर–घर जाकर विशेष कर एस0सी0 / एस0टी0 बाहुल्य क्षेत्रों में जनसम्पर्क किया जायेगा ।
7. बच्चों की राष्ट्रीय पर्वों पर रैली निकाली जायेगी।
8. स्थानीय मेलों में बैठव तथा अनुस्थापन कार्यकमों द्वारा वातावरण निर्माण का कार्य किया जायेगा।
9. विभिन्न स्थानों में शिक्षा प्रदर्शनी लगायी जायेगी।

इसके अतिरिक्त सर्वशिक्षा अभियान में समुदाय की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए निम्न कार्य किये जायेंगे।

1. ग्राम शिक्षा समिति की सकियताः– समुदाय को शिक्षा से जोड़ने,शिक्षक कार्य में सहयोग प्रदान करने विद्या केन्द्रों की व्यवस्था एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर ग्राम शिक्षक योजना तैयार करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता है।

पंचायत राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की सम्पूर्ण गतिविधियों में ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान हे अतः ग्राम पंचायत को शिक्षक के क्षेत्र में प्रत्येक कार्य से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देना अत्यन्त आवश्यक हे । जनपद के 1206 ग्राम शिक्षा समितियों व 08

वार्ड सदस्यों को वर्ष 2002–03 में प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशन में न्याय पंचायत स्तर पर दिया जाना प्रस्तावित है । प्रशिक्षण विभिन्न विषयों पर दिए जायेंगे।

2. विद्यालयों की स्थिति सुधारने में सामुदायिक सहभागिता:– सूक्ष्म नियोजन के उपरान्त विद्यालय में जो समस्याऐं है उनका निराकरण करने के लिए समुदाय के लोग सहयोग प्रदान करेंगे,ऐसी व्यवस्था निम्न क्षेत्रों में सुनिश्चित की जायेगी।
   1. विद्यालय भवन सम्बन्धी
   2. साज सज्जा में सहयोग
   3. कमजोर बच्चों की शैक्षिक स्थिति सुधारने में
   4. प्रतिभावान बच्चों के प्रात्साहन में
   5. विद्यालयों सुदृढ़करण में सक्रियता
   6. राष्ट्रीय पर्वो पर चेतना जागृति
   7. विद्यालय पर्यवेक्षण में सहयोग
   8. अध्यापक सहयोग।

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यापकों, संदर्भदाताओं, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं नेहरू युवा केन्द्रो के दृष्टि परिवर्तन हेतु अभिमुखीकरण कार्यशालाऐं आयोजित की जा रही है ।

जन जागरण अभियान :–

1.मातृ शिक्षक संघ/अभिवावक शिक्षक संघ– समुदाय एवं विद्यालय के मध्य निरन्तर सम्बाद बने रहने के लिए मातृ शिक्षक संघ (M.T.A.)/अभिभावक शिक्षक संघ व ग्राम शिक्षा समिति के गठन कर इनको प्रशिक्षण देना होगा।

सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिवर्ष मातृ शिक्षक संघ व अभिभावक शिक्षक संघ का गठन प्रस्तावित है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मातृ शिक्षक संघ की अहम् भूमिका है क्यों कि बालिकाऐं अपनी माताओं के साथ अधिक निकट रहती है उनकी समस्याओं का समाधान माताओं के साथ मिल बैठ कर किया जा सकता है, साथ ही रूढ़िवादिता व परम्परागत अवरोधों को उनकी प्रशिक्षित कर दूर किया जा सकता है ।

2.कला जत्था– बच्चों का विद्यालय में पहुँच,नामांकन ठहराव व विद्यालय तथा समुदाय के बीच सामान्जस्य स्थापित करने हेतु यह आवश्यक है कि समुदाय को अपने कर्तव्य, अधिकार व विद्यालय की आवश्यकता की जानकारी हो ।

विद्यालय के संचालन में अध्यापकों को समुदाय से अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो सके इस हेतु समय–समय पर वातावरण–निर्माण कर जनजागरण अभियान चलाया जायेगा।

स्थानीय मेलों व जन सम्मेलनों में स्थानीय कलाकारों की सहायता से विद्यालय सम्बन्धी पहलुओं,साक्षरता,बालिका शिक्षा,विकलांग शिक्षा आदि पर अभिनय व नुक्कड़ नाटक आदि का मंचन प्रस्तावित हे । यह कार्यक्रम ग्राम स्तर से जिले स्तर पर अभियान के प्रथम पॉच वर्षो तक प्रस्तावित किया गया है।

3. बाल मेला– सी0आ0सी0 स्तर पर बाल–मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें सम्बन्धित सी0आर0सी0 के समस्त विद्यालयों से बच्चे अपनी कृतियों माडल आदि को लेकर एकल होंगे ताकि बच्चों की जानकारियों का आदान प्रदान हो सके तथा बच्चों को रचनात्मक कार्यो हेतु प्रोत्साहन मिल सके।

बाल मेला हेतु प्रत्येक सी0आर0सी0 स्तर पर प्रति वर्ष 5000रू0 का बजट प्रसतावित है।

4. श्रव्य कैसेट्स का निर्माण– जनजागरण हेतु स्थानीय भषा में व लोक गीतों के माध्यम से जिले स्तर दृश्य/श्रव्य कैसेट्स का निर्माण कराया जायेगा जिसे राष्ट्रीय पर्वो स्थानीय मेलों व जन मिलन केन्द्रो पर व जनपद के विभिन्न स्थानों पर प्रसारित किया जायेगा। इसके लिए अभियान के तहत पांच बार दस–दस हजार की धन राशि प्रस्तावित है ।

5. जनजागरण अभियान हेतु स्वयं सेवी संगठनों को सहायता– जनपद में कार्यरत स्वयंसेवी संगठन जो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रयासरत है उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य से परीचित करा जनजागरण हेतु 50,000/–रूपये की अनुदान राशि दी जायेगी।

6. सर्वोत्तम ग्राम शिक्षा समितियों को पुरस्कार– विद्यालय संचालन यथा समय पर विद्यालय निर्माण बच्चों के नाम शत प्रतिशत नामां कन ठहराव व अन्य भौतिक सहयोग में ग्राम शिक्षा समिति का योग दान अपेक्षित है । सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपद में सर्वोत्तम दो ग्राम शिक्षा अभियान के तहत जनपद में सर्वोत्तम दो ग्राम शिक्षा समितियों को प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर कमशः 25 हजार व 15 हजार रूपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जायेगी। इस प्रकार ग्राम शिक्षा समितियों के लिए यह प्रोत्साहन राशि होगी ।

7. शिक्षा मित्रों को पुरस्कार– आध्यापकों की कमी दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान द्वारा शिक्षा मित्र को आमन्त्रण दिया जायेगा। जनपद में प्रतिवर्ष सर्वोत्तम कार्य करने वाले शिक्षा मित्र को पुरस्कृत किया जायेगा इसके लिए बजट में 5 हजार रूपया प्रस्तावित है।

8. उपचारात्मक शिक्षण– सर्व शिक्षा अभियान में कमजोर वर्ग के बच्चो के लिए विशेष प्रबन्ध किये गये हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जायेगी । इस प्रकार जनपद मे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढने वाले कमजोर वर्ग के ऐसे 240 छात्र चिन्हित किये गये हैं जिनके लिए 705 रूपया प्रति छात्र के हिसाब से बजट प्रस्तावित किया गया है । इसके साथ ही स्वयं सेवी

संगठन द्वारा 80 कमजोर वर्ग के छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए बजट भी प्रस्तावित किया गया है ।

9. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम :– प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल एवं इण्टर कक्षाओं के कक्षा 8 तक के बच्चों का वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर से सम्पर्क कर नियत तिथि को सम्बन्धित के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा ।

C गुणवत्ता संम्वर्द्धन

1.1 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण :–

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर समस्त बालिकाओं, अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जायेंगी ।

राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा निर्धारित पुस्तकों के अतिरिक्त बच्चों की पढ़ाई की आदतों में प्रोत्साहन हेतु बालोपयोगी व विभिन्न बालअभिरूचियों के अनुरूप बालगीत, बालकहानी, विज्ञान एवं गणित में इबारती प्रश्न व क्विज, स्थानीय लोक साहित्य, इतिहास, भूगोल व वीरगाथाओं से सम्बन्धित पाठ्य सामग्री विद्यालयों को वितरित की जायेंगी । अध्यापकों को प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय सहायक शिक्षण सामग्री के लिए रू0 500/– प्रस्तावित किया है ।

1.2 मापन एवं मूल्यांकन :–

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक प्रत्येक छात्र–छात्राओं का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की दृष्टि से "मापन एवं मूल्यांकन" माड्यूल को सम्पूर्ण जनपद में लागू किया जाना प्रस्तावित है ।

1.3 विद्यालय पुरूस्कार :–

डाइट / बी0आर0सी0 / सी0आर0सी0 के अकादमिक स्टाफ द्वारा श्रेणीकरण समय–समय पर किया जाना प्रस्तावित है जिसकी आख्या डी0 पी0 ओ0 में संकलित कर जनपद में श्रेणीकरण प्रपत्रों व आख्याओं के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों को पुरूस्कृत किया जायेगा ।

1.4 अध्यापक पुरूस्कार :–

शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विद्यालयों का अनुश्रवण, मूल्यांकन समय–समय पर होना अति आवश्यक है ।डी0पी0ओ0 द्वारा प्रतिवर्ष प्रति ब्लॉक एक प्राथमिक तथा एक उच्च

प्राथमिक स्तर के अध्यापक (जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय, कमोत्तर, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज सम्मिलित हैं) को 5–5 हजार रूपया पुरस्कार के रूप में दिया जायेगा।

विकासखण्ड स्तर पर पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों में से ही राज्य स्तरीय व राष्ट स्तरीय पुरस्कार हेतु नामित किया जा सकेगा।

2.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

सर्व शिक्षा अभियान के तहत शैक्षिक अभिकर्मियों/ग्रामशिक्षा समिति/स्वयंसेवी संगठन के सदस्य/नेहरू युवक केन्द्र/युवक मंगल दल/ई.सी.सी.ई. कार्यकर्ता आदि के ज्ञान और कौशल में वृद्धि तथा अभिप्रेरण हेतु समय–समय पर प्रशिक्षणों का आयोजन अपेक्षित है। प्रशिक्षण मुख्य रूप से निम्नवत होंगे –

1. पूर्वाभिमुखी प्रशिक्षण :– इस प्रकार के प्रशिक्षण नव नियुक्त अध्यापकों, आचार्य तथा शिक्षामित्रों को प्रदान किये जायेंगे। पूर्वाभिमुखी प्रशिक्षण 30 दिवसीय तथा प्रशिक्षण साहित्य का निर्माण एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण साहित्य में बाल केन्द्रित शिक्षा, विषयगत दक्षताएँ, बहुकक्षा शिक्षण आप्रेशन ब्लेकबोर्ड पर्यावरणीय अध्ययन, न्यूनतम अधिगम, विद्यालय परिसर तथा निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से सम्बन्धित जानकारियॉ दी जायेंगी।

2. सेवारत प्रशिक्षण :– सेवारत अध्यापकों को प्रतिवर्ष 20 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण हेतु संदर्भदाताओं का चयन जिला तथा राज्य स्तर पर किया जायेगा। प्रत्येक विकासखण्ड से 4–6 संदर्भदाताओं का चयन किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति सम्बन्धित विकासखण्डों के सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। समस्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापकों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट विद्यालयों के सम्बन्धित अध्यापकों का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा में आयोजित किये जायेंगे।

प्रशिक्षण साहित्य का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मुख्य रूप से निम्न जानकारियॉ प्रदान की जायेंगी।

(i) विभिन्न विषयों की दक्षताएँ
(ii) सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण
(iii) कियात्मक अनुसंधान
(iv) बहु कक्षा शिक्षण
(v) मापन एवं मूल्यांकन
(vi) नवाचार सम्बन्धी प्रशिक्षण

(vii) शिक्षण अधिगम सामग्री

(viii) विद्यालय परिसर सम्बन्धी

सेवारत प्रशिक्षण के अन्तिम दिवस समस्त प्रशिक्षणर्थियों का स्वमूल्यांकन किया जाय जिसके लिए उन्हें एक प्रश्न पत्र दिया जायेगा जिसमें उस प्रशिक्षण में बताये गये विभिन्न नवाचारों/जानकारियों से सम्बन्धित प्रश्न होंगे प्रश्न पत्र से संबंधित परीक्षा राज्य या जिले स्तर के अकादमिक प्रतिनिधि के सम्मुख होगी। प्राप्त अंकों के आधार पर 80 से 100 प्रतिशत प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी को 'ए' ग्रेड 60 से 80 तक 'बी' ग्रेड 40 से 60 तक अंक प्राप्त करने पर 'सी' ग्रेड दिया जायेगा। 'सी' ग्रेड प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को उनके कमजोर स्थलों की लिखित जानकारी दी जायेगी तथा उनसे यह अपेक्षा की जायेगी कि वे अगले साल के प्रशिक्षण में बेहतर ग्रेड प्राप्त करें। लगातार तीन साल 'सी' ग्रेड प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूची सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को दी जायेगी और बी0आर0सी0 व सी0आर0सी0 समन्वयक क्षेत्र भ्रमण में उस अध्यापक को विशेष अकादमिक सहयोग प्रदान करेंगे। लगातार पॉच साल 'सी' ग्रेड प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए दण्डात्मक व्यवस्था की जाएगी और वे प्रशिक्षणार्थी जो 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेंगे वे 'डी' ग्रेड अर्थात अनुर्त्तीण घोषित होंगे उन्हें तत्काल इसकी लिखित सूचना दी जायेगी ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को शीतावकाश या ग्रीष्मावकाश में पुनः अगले फेरों में प्रशिक्षण हेतु अपने खर्चे पर आना होगा तथा इस प्रकार उसे कुल तीन अवसर प्रदान किए जायेंगे। पुनः ग्रेड में सुधार न होने पर सम्बन्धित को अयोग्य अध्यापक समझा जा सकता है। प्रश्न पत्र निश्चित रूप से Minimum Lable of Learning पर आधारित ज्ञान व कौशल आधारित होगें। एक समय के प्रशिक्षण फेरों में सम्पूर्ण जनपद में एक प्रश्नपत्र दिये जा सकते हैं।

3. बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण :– बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 समन्वयकों का दस दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तथा प्रतिवर्ष दस दिवसीय आवर्ती प्रशिक्षण डायट में होगा।

4. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण :– ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को विद्यालय से जोड़ने व सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण सी0आर0सी0 स्तर पर किया जायेगा जिसमें प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति से 08 सदस्यों को, वरीयतन महिला सदस्यों, का दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को उनका विद्यालय के प्रति भूमिका तथा जिम्मेदारी, विद्यालय प्रबन्धन, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण तथा विद्यालय विकास के उपायों सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

5. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों/प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों का प्रशिक्षण :– प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर नवाचारों की जानकारी प्रदान करने, सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा डी0पी0ओ0 के सदस्यों का पॉच दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किए जायेंगे। ये प्रशिक्षण हर तीसरे वर्ष आयोजित किए जायेंगे। समस्त सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक सेवारत प्रशिक्षणें में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे।

6. ई0सी0सी0ई0 कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण :– प्राथमिक स्तर को सुदृढ़ करने तथा विद्यालय पूर्व तैयारी के लिए ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का संचालन अनिवार्य है। अतः समस्य ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के कार्यकर्तियों हेतु 60 दिवसीय पूर्वाभिमुखी प्रशिक्षण प्रदान किए जायेंगे।

7. कम्प्यूटर प्रशिक्षण :– डायट के समस्त अकादमिक स्टाफ व उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों का क्रमशः प्रतिवर्ष कम्प्यूटर प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किये जायेंगे इस हेतु डायट स्तर पर विभागवार आवंटित कराये गये कम्प्यूटरों द्वारा प्रायोगिक कार्य कराया जायेगा। प्रशिक्षण प्रतिवर्ष साल दिवसीय होगा और प्रशिक्षक स्थानीय एन0आई0सी0 से सम्पर्क कर चयनित किए जायेंगे। कम्प्यूटर प्रशिक्षण डी0पी0ओ0 स्टाफ तथा बी0आर0सी0 समन्वयकों को भी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। जनपद में प्रस्तावित एम0आई0एस0 सेल कम्प्यूटर में जनपद के समस्त शैक्षिक ऑकड़ों का रखरखाव संग्रह, सारणीयन एवं विश्लेषण करेगा।

8. निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण :– जनपद मे सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले निर्माण कार्यों की देखरेख व अन्य निर्माण कार्य सम्बन्धी जानकारी के लिए प्रत्येक विकासखण्ड से दो अभियन्ताओं (एक ए0ई0, एक जे0ई0) का चयन कर सर्व शिक्षा अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित विभाग को नियमानुसार निर्देशित कर किया जायेगा। निर्माण कार्यों के मानक व तकनीकी विशेषताओं की जानकारी प्रदान करने विषयक कार्यशाला का आयोजन डी0पी0ओ0 या अन्य वैकल्पिक स्थान में किया जायेगा। निर्माण कार्यों में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को सम्पूर्ण जानकारी दी जायेगी तथा निर्माण कार्यों में पारदर्शिता अनिवार्य है।

9. सम्बन्धी प्रशिक्षण (Gender Sensitization) :– बालिकाओं का बेहतर नामांकन, धारण क्षमता एवं शैक्षिक संप्राप्ति की दृष्टि से अध्यापकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रत्येक सी0आर0सी0 में आयोजित किया जायेगा जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र में बालिका शिक्षा की स्थिति उसे ठीक करने के उपायों तथा उन उपायों के कियान्वयन की स्थिति का अध्ययन आगामी बैठकों में किया जायेगा।

10. एम0आई0एस0 प्रशिक्षण :– जिले में शैक्षिक सूचना प्रबन्धकीय तंत्र की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिले के एम0आई0एस0 तथा लेखा सम्बन्धी सटाफ को राज्य स्तर पर पॉच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप

विद्यालय निरीक्षक, बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 समन्वयकों को एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें आंकड़ों का रखरखाव, संग्रह, विश्लेषण, न्यादर्श चयन द्वारा पुष्टि आदि का कार्य वर्षवार किया जायेगा।

उपर्युक्त समस्त प्रशिक्षणों की संक्षित विवरण निम्न तालिका से सुस्पष्ट की जा सकती है।

TRAINING PROGRAMME
DISTT. ALMORA (2001-2010)

S. N.	TARGET GROUP	TYPE OF TRAINING					
		Induction			Recurrent		
		Duration		No. of Trainings	Duration		No. of Trainings
		Days	Year		Days	Year	
1.	Shiksha Mitra	30	I, II	33+105 =138	20	II,III,IV	33+ (138)X7= 999
2.	P.S. Asstt. Teacher	30	II, III,IV	163+15+22=200			
3.	UPSAsstt. Teacher	30	I, II, III, IV,V	45+61+82+25+ 20+20 +20= 273			
4.	H.T. P.S.	30	II. III, V	163+15+22=200			
5.	H.T. UPS	30	I, II, III, IV	15+17+24+5= 61			
6.	Inservice Teacher Training	20	I, II. III. IV. V, VI. VII, VIII. IX	3762+3838+ 4363+4569+ 4649 + 4763 + 4813+4883 + 4933 = 40573			
7.	E.G.S.	30	I. III. V	37 +14+15 = 60	15	II. III. IV, V VII. VIII IX	37+36+36+ 29+29+29 +29+29= 254
8.	B.R.C./U.R.C. Co-ordinators.	10	I	36	10	II. III. IV, V VII. VIII IX	36x8 = 288
9	D.I.E.T. Staff Development	10	I	28	7	II. III. IV, V VII. VIII IX	28 X 8 = 224
10.	Newly Trained Recruits	30	II. III. IV. V VII. VIII IX	50+50+50+ 50+ 50+50+50+50 = 400	30	With Inservice Trainees	
11.	Resource persons Training (T.O.T.)	10	I	28	10	II. III. IV. V VII. VIII IX	28 X8 =224

12.	C.R.C. Co-ordinators	10	I	105	10	II, III, IV, V VII, VIII IX	8 X105 = 840
13.	B.R.C/U.R.C Co-ordinators Management	5	I	12	5	II, III, IV, V VII, VIII IX	8 X12 = 96
14.	A.B.S.A./S.D.I. Training	5	I	22	5	III, V, VIII, IX	22 X 4= 88
15.	Training of A.E. J.E.	5	I	24			
16.	Computer Training for D.I.E.T/U.P.S.	20	I	28	20	II, III, IV, V VII, VIII IX	28 X 8 = 224
17.	Orientation of V.E.C.	2	I, II, III, IV, V VII, VIII IX	9712x9=87408			
18.	A.W.P.B. Review & Training of the planning team		I, II, III, IV, V VII, VIII IX	9X7 = 63			
19.	E.M.I.S. Training	5	I, II, III, IV, V VII, VIII IX	9 X8 = 72			
20.	E.C.C.E. Workers Training	60	I, II, III	45 +310+607= 962			
21.	Teacher Gender Sensitization	3	I	2101		2101x 4= 8404	II, III IV, V

3.1 नवाचार कार्यक्रम : –

I. बालिका शिक्षा :– जनपद में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा में धारण क्षमता से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याओं में सर्वप्रथम बालिका शिक्षा है। बालिकाओं की ड्राप आउट दर अत्यधिक है। महिला साक्षरता दर 61.43 प्रतिशत हैं इसके प्रमुख कारण निम्न हैं।

1. बालिकाओं को प्रायः घर के कार्यों हेतु घर पर ही रोका जाता है। गॉवों में वे अधिकतर गाय, बैल, बकरी चराने, छोटे भाई–बहनों की देखरेख करने, घास काटने, चारा लाने या घर की देखरेख का कार्य करती है।
2. प्रायः अभिभावक बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है।
3. उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय दूर होने पर उन्हें विद्यालय नही भेजा जाता।
4. गॉवों में रूढिवादी व्यवस्था/निर्धनता के कारण भी बालिकाओ को शिक्षा के प्रति प्रेरित नहीं किया जाता।
5. बालिकाओं को प्रायः गृहकार्य करने का समय भी नहीं मिल पाता।

परिणामस्वरूप बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता

है।

बालिका शिक्षा में लिंग भेद को दूर करने के लिए

के कार्यकमों का आयोजन किया जायेगा।

1. सामुदायिक सकियता ।
2. शिक्षा पर/घुमन्तु अध्यापकों की व्यवस्था।
3. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग पर f
4. अध्यापक प्रशिक्षण।
5. ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण।
6. पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।
7. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता (शौचालय, पेयजल क
8. अनुसंधान।
9. मातृ एवं पितृ अध्यापक गोष्ठियॉ

बालिका शिक्षा

रणनीति :– जनपद अल्मोड़ा में ऐसे विशिष्ट जनसंख्या के
है। साथ ही इन क्षेत्रों में बालिका नामांकन एवं विद्यालय
दुर्बल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों पर और अधिक
समुदायों से वार्ता करने पर सामने आया है। इन समस्याओ
गये बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा।

इसके लिए प्रथम कुछ चुने हुए ग्रामों/जनसंख्
जिनमें नियमित संपर्क, उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएँ देना एवं
अतिरिक्त बालिकाओं द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकार की समस्य
में तथा सामाजिक समुदाय में होती है।

बालिका शिक्षा हेतु आदर्श गॉव/समूह का विकास

प्रत्येक विकासखण्ड समूह में इस प्रकार के आ
विकास की पहुँच के लिए पहचान की गयी है। पहचान हेतु

1. पिछड़ी एवं न्यून साक्षरता दर।
2. न्यून छात्रा नामांकन एवं ठहराव।
3. भिन्न–भिन्न स्थानों पर भिन्न–भिन्न प्रकार के शैक्षिक

4. संकुल संसाधन केन्द्रों में 10–12 गॉवों का सक्रिय समूह।
5. सक्रिय ग्राम शिक्षा समूह।

किया–कलापों की तैयारी :–

1. आर्दश गॉव शिक्षा समूह के विकास में जनपद स्तरीय एवं संकुल संसाधन केन्द्र के समन्वयक द्वारा सामूहिक भ्रमण।
2. संदर्भ समूह की पहचान जो इन ग्राम समूहों में कार्य करेगी।
3. समूह की पहचान।
4. संदर्भ व्यक्ति एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा गॉव का भ्रमण।
5. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अध्यापकों, संदर्भ व्यक्तियों को ग्राम में प्रशिक्षण आदि।
6. ग्राम में बैठकों का आयोजन।
7. द्वार से द्वार का सर्वेक्षण तथा अभिभावकों से सम्पर्क।
8. आंकड़ों का संकलन सत्यापन तथा ग्राम के भिन्न विकास कार्यों की जॉच।
9. लिंग भेद को दूर करने के लिए अध्यापक और गॉव के बीच सहयोग।
10. संकुल के समन्वयक को इस योग्य बनाना कि वे अध्यापकों को कक्षाकक्ष शिक्षण में लिंगभेद को दूर रखें। इस हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
11. लिंगभेद दूर करने के लिए जागरण अभियान, गाने आदि।
12. नवम्बर, 2001 के बाद चुने हुए गॉवों में नामांकन अभियान।
13. विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संघों की स्थापना।

महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा हेतु विविध कार्यक्रम

समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए और बालिका शिक्षा की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय स्तर पर प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन तथा हर महीने के अन्तिम शनिवार को 'बालिका सभा' का आयोजन किया जायेगा, जिसका संचालन बालिकाओं द्वारा हर शनिवार को अनिवार्य रूप से मध्यान्तर के बाद किया जायेगा। जिसमें बच्चों से संबंधित निम्नलिखित कार्यक्रम होंगे।

महिने का शनिवार	कार्यक्रम
प्रथम शनिवार	कविता / कहानी / प्रेरक प्रसंग / भाषण / वादविवाद / नाटक / सुलेख / माडल / सामान्य
द्वितीय शनिवार	सांस्कृतिक कार्यक्रम
तृतीय शनिवार	खेलकूद प्रतियोगिताएँ
चतुर्थ शनिवार	बालिकाओं द्वारा कार्यक्रम– (प्रथम शनिवार के कार्यक्रम)

उपर्युक्त कार्यक्रमों की सी.आर.सी. स्तर पर प्रतियोगिताएँ आयोजित करायी जायेंगी। ये कार्यक्रम वर्ष में तीन बार आयोजित किये जायेंगे। जिसमें तीसरे चक्र की प्रतियोगिताओं का आयोजन केवल बालिकाओं द्वारा बालिकाओं के लिए ही किया जायेगा।

बी0आर0सी0 स्तर पर वर्ष में एक बार (सी.आर.सी. के अन्तिम प्रतियोगिता के बाद) बालिकाओं के लिए अन्तर सी.आर.सी. प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा जिसमें कक्षा 8 तक की बालिकाएँ विभिन्न प्रतियोगिताओं के स्थानीय उत्साही महिलाओं को आमंत्रित किया जायेगा तथा प्रथम/द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जायेगा, इसके अतिरिक्त निम्न कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे:-

1. मातृ शिक्षक संघ **(M.T.A.)** :- प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन ठहराव तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के माताओं तथा शिक्षकों के एक संघ का गठन माह जुलाई-अगस्त में अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जिसके गठन द्वारा बालिकाओं से संबंधित व विद्यालय सम्बन्धी समस्याओं का समाधान किया जायेगा।
2. मीना कम्पेन :- बालिकाओं में जागरूकता स्थापित करने के लिए सी.आर.सी. स्तर पर 'मीना कम्पेन' आयोजित किए जायेंगे यह कार्य सी.आर.सी. समन्वयक आयोजित करेगा तथा मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रों के महिलाओं की भी प्रतिभागिता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
3. माँ बेटी मेला:- ग्राम स्तर पर माँ बेटी मेले का आयोजन सम्बन्धित विद्यालय के अध्यापकों व ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों (प्रमुख रूप से महिलाओं द्वारा) लड़कियों को स्कूल भेजने की प्रेरित करने हेतु आयोजित किया जायेगा।
4. नुक्कड नाटक/कला जत्था आदि का आयोजन किया जायेगा।

अन्य कार्य :-

1. बालिका शिक्षा हेतु सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए सी.आर.सी. समन्वयक ग्राम स्तर पर गोष्ठियाँ आयोजित करेगा जिसमें एक कियाशील कोर समिति का गठन किया जायेगा।
2. जो बालिकाएँ विद्यालय नहीं आ रही है उनके अभिभावकों से उक्त कोर टीम के सदस्य सम्पर्क करेंगे।
3. सी.आर.सी. स्तर पर प्रतिमाह आयोजित होने वाली बैठकों में बालिकाओ की उपस्थिति पर ध्यान दिया जाना होगा तथा उन स्कूलों एवं क्षेत्रों की पहचान भी की जाएगी जहाँ बालिकाओं की उपस्थिति प्रभावित हो रही है, प्रभावित क्षेत्रों में सी.आर.सी. समन्वयक,

स्थानीय कोर टीम के सदस्य, संबंधित प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के साथ सामाजिक अभिप्रेरण का कार्य करेंगे।

4. **मिड डे मील** :– बच्चों को मिड डे मील के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। प्रायः यह देखा गया है इस प्रलोभन का अभिभावक पर विपरित असर दिखाई पड़ रहा है वे बच्चे का नामांकन तो विद्यालय में कम उम्र में कराना चाहते हैं तथा उपस्थिति के लिए अध्यापकों पर दबाव बनाते हैं यदि इसके स्थान पर रेडीमेड भोजन मध्यावकाश में वितरित करने की व्यवस्था की जाय तो यह बच्चे को विद्यालय में प्रतिदिन आने के लिए प्रेरित करेगी तथा बच्चों का विद्यालय में पूरे दिन ठहराव सुनिश्चित हो पायेगा।

मिड डे मील वितरण व्यवस्था का उचित संचालन करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति समय–समय पर निरीक्षण करते रहेगी।

उपर्युक्त समस्त कार्यकमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का प्रतिनिधित्व/सहभागिता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जायेगी।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनपद अल्मोड़ा में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्न योजना प्रस्तावित है।

1. बालिकाओं के माता–पिता अपनी लड़कियों का दूरस्थ स्थापित विद्यालयों में जाना उचित नहीं समझते अतः विद्यालय विहीन 1 किमी0 की परिधि एवं कम से कम निर्धारित आबादी पर नवीन विद्यालय की स्थापना की जायेगी एवं 200 आबादी से अधिक तथा 3 किमी0 की परिधि पर दो प्राइमरी के मध्य एक उ.प्रा.वि. खोले जायेंगे।
2. प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव हेतु शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।
3. प्रत्येक प्रा0 एवं उ0प्रा0वि0 में कम से कम 50 प्रतिशत अध्यापिकाएँ हों ऐसा प्रयोग किया जायेगा जो उसी क्षेत्र/ग्राम निवासी हों।
4. मातृ शिक्षक संघ एवं महिला प्रेरक समूहों का गठन कर बालिका शिक्षा में आने वाली समस्याओं को कम किया जायेगा।
5. बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जायेगी।
6. समस्त सेवारत अध्यापकों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के दृष्टिकोण से विशेष प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।
7. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बालिका शिक्षा उन्नयन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिये जायेंगे।

8. प्रत्येक प्रा0वि0 के साथ एक ई.सी.सी.ई. केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ताकि छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व तैयार करने का अवसर मिले जिससे बालिका शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सके।
9. विभिन्न श्रव्य दृश्य कार्यकमों में भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली जानकारियों शामिल की जायेंगी।

उपर्युक्त प्रमुख कार्यकमों का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तावित किया जा रहा है।

1. जन चेतना कार्यकम **(M.C.D.A.)** :– बालक बालिका के मध्य अन्तर को कम करने हेतु जन चेतना जागृत करने के उद्देश्य से परियोजना काल के प्रथम सात वर्षों में प्रतिवर्ष हर संकुल स्तर पर 75 हजार का प्राविधान किया गया जिसके अन्तर्गत निम्न कार्यकम होगे।
2. उपचारात्मक शिक्षण :– जनपद के अनुसूचित बाहुल्य एवं बालिकाओं की शिक्षा विशेष के लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जिसमें इन बच्चों को विद्यालय लाने अथवा घर पर ही शिक्षा देने हेतु तथा कमजोर बालिकाओं के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था की जाएगी इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर 705 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 995 छात्राओं को विशेष उपचारात्मक शिक्षा प्रदान की जायेगी।

II. उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा :–

जनपद अल्मोड़ा के प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्तर के उच्च प्राथमिक एवं राजकीय विद्यालयों (हाई0/इण्टर) कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था नवाचार के द्वितीय चरण के रूप में प्रस्तावित की जा रही है। जनपद में वर्तमान कुल छात्र संख्या 36293 तथा कुल उ0प्रा0वि0 186 व कुल हाई0/इण्टर 142 है। उक्त विद्यालयों एवं छात्र संख्या को कम्प्यूटर शिक्षा से आच्छादित किया जायेगा।

इस प्रकार कुल 328 विद्यालयों के लिए संकुलवार प्रति संकुल एक पर्सनल कम्प्यूटर अर्थात् 105 पर्सनल कम्प्यूटर खरीदे जायेंगे जिसकी कुल लागत 10 हजार प्रति कम्प्यूटर की दर से 10 लाख 50 हजार होगी यह कम्प्यूटर सकुल संसाधन केन्द्र की देखरेख में होगा तथा सम्बन्धित समन्वयक प्रत्येक विद्यालय को बारी–बारी स निश्चित अवधि के लिए कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध करायेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को एक कम्प्यूटर की किताब तथा प्रशिक्षण देने का कार्य सम्बन्धित विद्यालय के प्रशिक्षित अध्यापक/सी0आर0सी0 समन्वयक करेंगे।

प्रथम वर्ष नवाचार के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु रू0 20 लाख प्रस्तावित किए गये हैं, जिसमें अतिरिक्त रू0 5 हजार से प्रत्येक सी0आर0सी0 हेतु कम्प्यूटर साहित्य उपलब्ध करायी जायेगी।

III. रोजगारोन्मुखी पाठ्यवस्तुं :–

शिक्षा व्यक्ति का चहुँमुखी विकास करती है। इसके अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास समाहित है। व्यक्ति के जीवन में समय के साथ–साथ यह आवश्यक है कि शिक्षा रोजगार प्रदान कर सके लेकिन वर्तमान समय में अधिकतर विद्यार्थी रोजगार की तलाश में दर–दर भटकते रहते हैं तथा शिक्षा का अधिकांश अंश को वह अपने जीवन के लिये लाभकारी नहीं समझते क्योंकि शिक्षा को मान्य नौकरी का साधन समझते हैं अधिकाश युवक नौकरी की तलाश में बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं वर्तमान जनसंख्या दृष्टि में कमी इस स्थानान्तरण (Migration) को भी दर्शाती है।

यदि उच्च, प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में स्थानीय उपलब्ध रोजगारों से सम्बन्धित पाठ्यवस्तु की जानकारी दी जाय तो वे अपने आजीविका के लिये आत्मनिर्भर हो सकते हैं। नवाचार शिक्षा के रूप में उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय व्यवसायिक अध्ययन लागू किया जायेगा जिसमें जनपद के प्रमुख निम्न रोजगारों से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जायेगी।

1. कृषि पर आधारित नवीन जानकारियों युक्त पाठ्यवस्तु
2. फल संरक्षण, अचार, मुरब्बा, जैम, जैली, जूस एवं मशरूम निर्माण पर आधारित जानकारी युक्त पाठ्यवस्तु
3. स्थानीय शिल्पों पर आधारित मूलभूत जानकारियों युक्त पाठ्य वस्तु
4. बागवानी आधारित जानकारियॉ
5. वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण व मृदा अपरदन सम्बन्धी जानकारी
6. पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण सम्बन्धी पाठ्यवस्तु

उपर्युक्त सूचनाओं पर आधारित पाठ्यपुस्तक विकसित करने सम्बन्धी एक कार्यशाला का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा संस्थान के पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा किया जायेगा। पाठ्यवस्तु विकास में स्थानीय गैर सरकारी संस्था का भी योगदान लिया जायगा। इस पुस्तक को सम्पूर्ण उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में वितरित की जायेगी।

इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यानुभव विभाग से उच्च प्राथमिक स्तर के प्रत्येक विद्यालय से एक–एक अध्यापक को प्रत्येक व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा "व्यवसायिक अध्ययन" पुस्तक के आधार पर जानकारी/कौशल प्रदान किए जायेंगे इस

प्रकार प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध किसी एक स्थानीय शिल्प की जानकारी, वृहत्तर निर्माण एवं विपणन किया जा सकेगा। इस हेतु बजट का प्राविधान प्रस्तावित है।

4.1 ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन :–

पूर्व में वर्णित बालिका शिक्षा की व्यवस्था के उपरान्त कुल 81 बस्तियों में से 33 शेष बचे बस्तियों जो 11 विकासखण्ड संसाधन केन्द्रों में स्थित हैं, के बालिकाओं तथा अन्य कमजोर बालकों का विकासखण्डवार ग्रीष्मकालीन अवकाशों में 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर प्रत्येक बी0आर0सी0 में आयोजित किए जायेंगें। 10 दिवसीय शिविर में क्षेत्र के चार उत्साही अध्यापक मुख्य रूप से भाषा, गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय से सम्बन्धित तथा क्षेत्र विशेष में कमजोर छात्र–छात्राओं के लिए अतिरिक्त अध्यापक की व्यवस्था कर कुल पॉच अध्यापक बी0आर0सी0 समन्वयक, डायट के व0 प्रवक्ता/प्रवक्ता, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की देखरेख में शिविर का संचालन करेंगे। शिविर में विभिन्न प्रतिभागियों हेतु व्यय विवरण प्रति विकासखण्डानुसार निम्न प्रकार होगा–

कुल आवंटित धनराशि – 10,000.00

कुल दिवस – 10

पॉच अध्यापकों का मानदेय 400 रू0 प्रति अध्यापक कुल 2000.00 + बच्चों के भोजन पर व्यय रू0 50 प्रति छात्र/दिन 15 X 50 X 10 = 7500 + कन्टीजेन्सी रू0 500 = कुल 10,000.00

एक केन्द्र में अधिकतम 15 छात्र एक शिविर में रहेंगे जिनका चुनाव सर्वाधिक आवश्यकता के आधार पर सी0आर0सी0 समन्वयक अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित उन विद्यालयों के विद्यार्थियों में से करेंगे, जिनके लिए उपचारात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत कोई व्यवस्था न की गई हो, शिविर के दौरान शैक्षिक गुणवत्ता बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है

शिविर में कक्षा 8 तक के बच्चें होंगे अतः अलग–अलग कक्षाओं एवं अलग–अलग विषयों के अनुसार छात्रों की विषयगत कठिनाईयों के आधार कोंचिग विधि द्वारा शिक्षण किया जायेगा। शिक्षण के लिए आवंटित वादनों के अनुसार शिक्षण तथा प्रातःकालीन समय में खेल, प्रार्थना, सायं खेल व रात्रि में चर्चा परिचर्चा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। संक्षिप्त समय विभाजन चक्र निम्नवत् होगा–

- जागरण 5.00 बजे प्रातः
- व्यायाम 6.00 से 6.30 प्रातः
- नित्य कृत्य 6.30 से 8.00 प्रातः
- प्रार्थना, प्रतिवेदन, प्रेरक प्रसंग 8.00–9.00 प्रातः
- विभिन्न विषयों का शिक्षण 9.00 से 12.00 अपरान्ह

- भोजनावकाश 12.00 से 2.00 अपरान्ह
- विभिन्न विषयों का शिक्षण 2.00 से 4.30 सायं
- अल्पावकाश 4.30 से 5.30 सायं
- खेल 5.30 से 6.30 सायं
- सांयकालीन सत्र 6.30 – 8.00 रात्रि
- भोजन 8.00 से 9.00 रात्रि
- विद्याध्ययन/सांस्कृतिक कार्यक्रम/परिचर्चा 9.00 से 10.00 रात्रि
- शयन 10.00 बजे रात्रि

5.1 समाजोपयोगी उत्पादन कार्य :–

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिकाओं के लिए उनके क्षेत्र में पाये जाने वाले शिल्पों पर आधारित कार्यशालाओं का आयोजन प्रत्येक विकासखण्ड संसाधन केन्द्र में किया जायेगा। जनपद अल्मोड़ा में इस प्रकार के कार्यों में चटाई बनाना, रस्सी बनाना, झाड़ू बनाना, दन व कालीन बनाना, खड़िया से सम्बन्धित शिल्प, चाक बनाना, मोमबत्तियॉं, औषधियॉं वनस्पतियॉं तथा कृषि पर आधारित प्रमुख उत्पादक कार्यों की जानकारी दी जायेगी।

6.1 ई0सी0सी0ई0 :–

प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता बढाने के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के साथ हो, जनपद अल्मोडा में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेषकर बालिकायें अपने भाई–बहनों की देखरेख के कारण या तो नामांकित ही नहीं हो पाती हैं या फिर विद्यालय में नियमित उपस्थिति नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के रहते बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति प्रभावित रहती है। कक्षा 1 में प्रवेश पाने वाले बच्चे विद्यालय गतिविधियों से भिज्ञ नहीं हो पाते हैं। अतः 3 से 6 वय वर्ग के बच्चों हेतु प्रत्येक ऐसे प्राथमिक विद्यालय के साथ एक ई0सी0सी0ई0 केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जहॉं ई0सी0सी0ई0 केन्द्र नही है।

जनपद अल्मोड़ा में कुल 397 ई0सी0सी0ई0 केन्द्र बाल विकास कार्यक्रम द्वारा सचालित है कुल 1359 ग्रामीण परिषदीय विद्यालयों के सापेक्ष 962 अतिरिक्त केन्द्रों को संचालित किया जाना है। जनपद में 397 केन्द्रों में कार्य करने वाली कार्यकर्ती की सर्व शिक्षा अभियान के तहत 250/– रूपया अतिरिक्त मानदेय तथा सहायक को 125/– रूपया मानदेय दिया जायेगा

तालिका 6

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का विवरण

			उपलब्ध	प्रस्तावित ई0सी0सी0ई0 केन्द्र									
क्रंसं	विकास खण्ड	वि0सं0		01–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–09	08–09	09–10	कुल केन्द्र
1.	चौखुटिया	106	24	–	–	28	54	–	–	–	–	–	106
2.	ताकुला	81	49	–	–	28	04	–	–	–	–	–	81
3.	ताड़ी खेत	151	67	–	–	28	56	–	–	–	–	–	151
4.	द्वाराहाट	124	83	–	–	28	13	–	–	–	–	–	124
5.	धौलादेवी	158	47	–	–	28	83	–	–	–	–	–	158
6.	भिकियासैण	119	–	–	15	28	76	–	–	–	–	–	119
7.	भौसियाछाना	73	08	–	–	28	37	–	–	–	–	–	73
8.	लमगड़ा	129	–	–	15	28	86	–	–	–	–	–	129
9.	स्याल्दे	128	–	–	15	28	85	–	–	–	–	–	128
10.	सल्ट	156	68	–	–	28	60	–	–	–	–	–	156
11.	हवालबाग	134	51	–	–	30	53	–	–	–	–	–	134
12.	नगर क्षेत्र	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	1376	397	–	45	310	607	–	–	–	–	–	1359

जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय अल्मोड़ा

D- क्षमता संवर्धन

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 8 तक की शिक्षा में समस्त बाधाओं को दूर करने तथा समस्त प्रकार की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जनपद में डायट, डी0पी0ओ0., बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 तथा ई.एम.आई.एस को अधिक गतिशील, क्रियाशील तथा सफल बनाने के लिए इनकों सबसे पहले सुदृढ़ बनाने का प्राविधान किया गया है। इसमें मुख्य रूप से अध्यापकों का प्रशिक्षण, विद्यालय एवं विद्यालय प्रगति का पर्यवेक्षण, अध्यापकों को अकादमिक सहयोग प्रदान करने तथा छात्रों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कार्य म निरन्तरता आ सकेगी। इन सबसे जनपद में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो सकेगा।

जिला परियोजना अधिकारी :—

सर्व शिक्षा अभियान के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय प्रस्तावित है। इसका कार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन करा कर अपने कार्यों तथा कर्तव्यों का निर्वाहन करेंगे तथा जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्णयों व निर्देशनों का अनुपालन भी कर सकेंगे। उनके कार्य की सरल व सुगम बनाने के लिए सहायता एवं सहयोग हेतु वर्तमान स्टाफ के अतिरिक्त निम्न स्टाफ भी प्रस्तावित है।

1. जिला शिक्षा परियोजना अधिकारी	—	1	(जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)
2. उप जिला शिक्षा परियोजना अधिकारी	—	1	(उप बेसिक शिक्षा अधिकारी)
3. परियोजना समन्वयक	—	4	(सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी)
4. कम्प्यूटर आपरेटर	—	1	
5. सहायक लेखाधिकारी	—	1	
6. लिपिक	—	1	
7. परिचारक	—	2	

उक्त सभी स्टाफ के कर्मचारी परियोजना के समस्त कार्यों के संपादन तथा क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। जिला स्तर पर कार्यों का संपादन व क्रियान्वयन के अतिरिक्त जनपद के समस्त बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 के कार्यों के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे तथा प्रतिमाह इनकी समीक्षा भी करेंगे। जिला स्तरीय टीम प्रत्येक बी0आर0सी0 का प्रतिमाह अनुश्रवण करके सूचना राज्य परियोजना के लिए तैयार करेंगे। जिला परियोजना कार्यालय को प्रत्येक विद्यालय की दर से रू0 400/— का प्राविधान रखा गया है। जिला स्तर पर परियोजना कार्यालय के कार्य :

- ❖ डायट के लिए प्रशिक्षुओं की व्यवस्था करना, प्रशिक्षुओं की पहचान करना
- ❖ प्रशिक्षण की तिथियों व समय का निर्धारण डायट से मिलकर करना
- ❖ बाधाओं एवं अवरोधों की डायट की सहायता से दूर करना
- ❖ प्रतिमाह कार्य प्रगति की समीक्षा करना
- ❖ बी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षा समिति का गठन करना
- ❖ प्रमुख संदर्भ व्यक्तियों की पहचान तथा उनसे कार्य लेना

- ❖ बी0आर0सी0 शिक्षा समिति से समुचित सहयोग लेना
- ❖ शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, अध्यापकों की विद्यालय के प्रति सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करना
- ❖ बी0आर0सी0 तथा राज्य परियोजना कार्यालय से समन्वय बनाये रखना आदि प्रमुख कार्य रहेंगे।
- ❖ सतत व व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था करना
- ❖ बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति/जनजाति की समुचित शिक्षा व्यवस्था
- ❖ दूर दराज के क्षेत्रों में ई.जी.एस. घुमन्तु शिक्षकों की व्यवस्था करना भी प्रमुख कार्य होंगे
- ❖ पिछड़े क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था को विशेष ध्यान देना ताकि पिछड़े वर्ग/क्षेत्र जनपद की शिक्षा व्यवस्था की मुख्यधारा से जुड सकेंगे
- ❖ विकलांग शिक्षा तथा इसके छात्रावास की व्यवस्था भी परियोजना अधिकारी का कार्य रहेगा।
- ❖ जिला स्तर पर शैक्षिक गोष्ठियों तथा परिचर्चा का आयोजन करना
- ❖ जिला स्तर पर बी0आर0सी0 से चुने हुए शैक्षिक टी0सी0एम0 की प्रदर्शनी का आयोजन करना ।
- ❖ समस्त कार्यों का आकलन तथा मुद्रण करके व्यापक प्रचार प्रसार करना।

बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 :–

विकासखण्ड स्तर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बी0आर0सी0 की स्थापना का प्रस्ताव है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त ब्लाक संसाधन केन्द्रों को अकादमिक सहयोग प्रदान करेगा। जनपद अल्मोड़ा में कुल 11 बी0आर0सी0 तथा 01 यू0आर0सी0 केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक बी0आर0सी0 में एक ब्लाक संसाधन समन्वयक तथा दो सह समन्वयक होंगे इनका चयन डायट द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा। एक सह समन्वयक भाषा, तथा दूसरा गणित और पर्यावरणीय अध्ययन से सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ होगा।

बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 के निम्न प्रमुख कार्य हैं–

- ❖ अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सी0आर0सी0 को अकादमिक सहयोग प्रदान करना।
- ❖ स्थानीय उपलब्ध सामग्री का विकास और कियात्मक अनुसंधान का आयोजन करना।
- ❖ ब्लाक स्तर के शैक्षिक अभिकर्मियों के लिए पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित करना।
- ❖ डायट के क्षेत्रीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेंगे।
- ❖ सी0आर0सी0 के समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित करना।
- ❖ अपने क्षेत्र से सम्बन्धित विद्यालयों का अनुश्रवण तथा पश्च–पोषण करना।

- ❖ सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित विभिन्न एजेन्सीज हेतु कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- ❖ सूचनाओं का प्रेषण एवं रखरखाव।

प्रत्येक बी0आर0सी0 / यू0आर0सी0 में एक अकादमिक पर्यवेक्षण और संदर्भ समूह की स्थापना की जायेगी जो अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कम से कम चार सी0आर0सी0 की बैठकों में प्रतिमाह भाग लेगा। प्रत्येक बी0आर0सी0 को बी0आर0जी0 (ब्लाक संसाधन समूह) का सहयोग समय–समय मिलते रहेंगे (बी0आर0जी0 में सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग के अधिकारी स्वयं सेवी संगठन के सदस्य, युवक मंगल दल व युवती मंगल दल तथा नेहरू युवा केन्द्र के सदस्य इसके साथ ही विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाता है)।

- ❖ सी0आर0सी0 का प्रत्येक माह अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण कार्य करना
- ❖ बी0आर0सी0 शिक्षा समिति द्वारा प्रत्येक माह समीक्षा तथा निर्देशन कराना
- ❖ सी0आर0सी0 से डी0पी0ओ0 तथा डी0पी0ओ0 से सी0आर0सी0 तक सूचनाओं का आदान–प्रदान करना
- ❖ सी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 की उपलब्धियों का मुद्रण एवं प्रचार–प्रसार
- ❖ बी0आर0सी0 पर टी0एल0एम0 की प्रदर्शनी लगाना
- ❖ बी0आर0सी0 पर शैक्षिक मेलों का आयोजन करना

सी0आर0सी0 विद्यालयों की समीक्षा आदि कार्य के लिए बी0आर0सी0 को प्रत्येक विद्यालय की दर से रू0 300.00 का प्राविधान है।

सी0आर0सी0 :–

जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड के अन्तर्गत 10 से 15 विद्यालयों के मध्य एक सी0आर0सी0 की स्थापना की जायेगी। इस प्रकार जनपद अल्मोड़ा में कुल 105 सी0आर0सी0 प्रस्तावित है। प्रत्येक सी0आर0सी0 का निर्माण केन्द्र के विद्यालय में एक अतिरिक्त कक्ष जोड कर किया जायेगा सी0आर0सी0 में एक सी0आर0सी0 समन्वयक का चुनाव चयन परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। सी0आर0सी0 के प्रमुख कार्य निम्न होंगे।

- ❖ अध्यापकों को बहुकक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण
- ❖ ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण
- ❖ अध्यापकों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना
- ❖ बाल मेला / बालिका मेला का आयोजन
- ❖ शैक्षिक रूप से पिछडे विद्यालयों को अकादमिक सहयोग देना
- ❖ शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना
- ❖ नामांकन, गुणवत्ता दक्षता संवर्द्धन तथा धारण क्षमता बढ़ाने हेतु प्रयासरत रहना
- ❖ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) :–

डायट में जनपद के शिक्षा अधिकारियों/अध्यापकों को अकादमिक सहयोग देना है। इस कार्य के लिए समय–समय पर अनेक शोध कार्य, क्रियात्मक शोध कार्य, गोष्ठियों, परिचर्चा, सूचनाओं का संकलन, सेमीनार, कार्यशाला, प्रशिक्षण आदि का आयोजन डायट में किया जाता है। इन कार्यों के लिए डायट के स्टाफ के अलावा प्रमुख संदर्भ व्यक्तिओं द्वारा सहभागिता की जाती है जिससे जनपद में शिक्षा व्यवस्था को नयी दिशा प्रदान की जा सकती है। डायट में शिक्षा के उन्न्यन के लिए कार्य योजना बनाना, शैक्षिक विधाओं का विकास करना, बाधाओं के लिए क्रियात्मक शोध कार्य प्रस्तावित है। डायट के सामान्य कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के संपादन हेतु भौतिक संसाधनों की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि डायट का वर्तमान भवन 100 वर्ष पुराना व टूटा हुआ है। अतः डायट के लिए एक सुसज्जित छात्रावास चार सुसज्जित कक्षा–कक्ष, चहारदीवारी तथा दो अतिथि गृहों का निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान में अतिथि, संदर्भ व्यक्तिओं के लिए अतिथि गृह उपलब्ध नहीं है। अतः दो अतिथिगृह अत्यावश्यक है। नये–नये भौतिक संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी आयोजन किया गया है। इनके पूरा होने से डायट पर जनपद में शैक्षिक सहयोग अच्छा मिल सकेगा तथा शिक्षा व्यवस्था का विकास संपूर्णता की ओर बढ़ने लगेगा। जनपद के समस्त शैक्षिक कार्यों की प्रगति तथा अवरोधों के प्रकाशन का प्राविधान रखा गया है। इस कार्य में डायट, डी0पी0ओ, बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 सहयोग प्रदान करेंगे शैक्षिक प्रगति व अवरोधों का डायट स्तर पर प्रतिमाह पर्यवेक्षण तथा समीक्षा के कार्य के लिए भी प्राविधान रखा गया है। यह कार्य डायट का स्टाफ अन्य के सहयोग से संपादित कर सकेगा। डायट के अधिकारियों तथा प्रवक्ताओं के बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 में सर्वेक्षण तथा पर्यवेक्षण हेतु समय तथा बजट की व्यवस्था भी की गयी है जिससे सी0आर0सी0 स्तर पर भी शैक्षिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा। बी0आर0सी0 स्तर पर शैक्षिक गोष्ठियों तथा परिचर्चा का आयोजन करके अवरोधों को सुगमता से दूर किया जा सकेगा। अतिथि संदर्भ व्यक्तिओं के लिए मानदेय, आवासीय सुविधा का प्राविधान रखा गया है जिससे शैक्षिक सहयोग अच्छा मिलेगा तथा गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्थान द्वारा आयोजित क्रियाकलाप :–

1. संदर्भ व्यक्तिओं की पहचान
2. सेवारत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण।
3. आचार्य/शिक्षा मित्र/ई0सी0बी0ई0 कार्यकर्ता तथा वैकल्पिक विद्यालयों के अनुदेशकों का सेवा पूर्ण प्रशिक्षण।

4. बी0सी0आर0/सी0आर0सी0 तथा संदर्भदाताओं के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।
5. बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित करना तथा उन्हें अकादमिक सहयोग प्रदान करना।
6. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक से सम्बन्धित समस्याओं समस्याओं के समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान कराना।
7. शैक्षिक अधिगम सामग्री का विकास
8. शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास।
9. विभिन्न प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करने विषयक कार्यशाला का आयोजन।
10. जेण्डर सेन्सीटाइजेशन पर कार्यशालायें।
11. बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 स्तर पर अनुश्रवण।
12. बेस लाइन सर्वे करवाना।
13. पाठ्यपुस्तकों का स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पुनरीक्षण करना।
14. विभिन्न न्यून लेटर/फोल्डर/पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं प्रचार–प्रसार।
15. विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित क्रियात्मक शोध कार्यों का संपादन।
16. शैक्षिक योजनाओं का निर्माण, समीक्षा एवं प्रसार कार्य।
17. शैक्षिक शोध कार्य का प्रचार–प्रसार एवं प्रकाशन।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में अल्मोड़ा में निम्न निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

1. छात्रावास :– विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सेवारत अभिकर्मियों की आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डायट में 100 प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने हेतु एक छात्रावास प्रस्तावित है। छात्रावास सुसज्जित तथा मेस सुविधा युक्त होगा, जिसका प्रस्ताव संलग्न किया जा रहा है।

2. पुस्तकालय एवं वायनालय :– जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जनपद में अकादमिक सहयोग का केन्द्र है तथा इसके संवर्द्धन हेतु एक 40X40 फीट का वाचनालय प्रस्तावित किया जा रहा है। वाचनालय के साथ आवश्यक फर्नीचर/उपकरण, पुस्तकें के लिए धनराशि प्रस्तावित है। पुस्तकालय हेतु पुस्तकालयाध्यक्ष का पद संस्थान में सृजित है लेकिन वाचनालय न होने के कारण संस्थान के पुस्तकालय का वर्तमान में सीमित ही उपयोग हो पा रहा है। पुस्तकालय हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 25 हजार की पुस्तकें प्रस्तावित की गयी है।

3. संस्थान की मरम्मत :– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का परिसर वर्ष 1906 का बना है तथा भूकम्प से एक हिस्सा क्षतिग्रस्त है। इस प्राचीन व पुरातात्विक महत्व के भवन के रखरखाव हेतु प्रथम वर्ष में पांच लाख रूपये तथा आगामी वर्षो में पचास हजार मात्र प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।

4. कम्प्यूटर कार्यशाला :– वर्ष 2002–03 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए एक कम्प्यूटर कार्यशाला का प्रस्ताव दिया गया है। इस कार्यशाला में कम्प्यूटर से सम्बन्धित सम्पादित किया जायेंगे। इस हेतु जिला प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्तओं को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अध्याय – 7

परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण

पर्यवेक्षण/निरीक्षण :-

ई0जी0एस0 केन्द्रों का पर्यवेक्षण डाइट के प्रवक्त/ए0वी0एस0ए0/एस0डी0आई0/शिक्षा अधीक्षक/वी0आर0सी0 तथा ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। आचार्यों की मासिक बैठक एवं मार्गदर्शन का कार्य बी0एस0ए0/एस0डी0ए0/शिक्षा अधीक्षक द्वारा सम्पन्न कराई जायेगी जिसके अनुश्रवण/निरीक्षण का दायित्व उपबेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।

नि:शुल्क शिक्षण सामग्री:-

ई0जी0सी0 केन्द्रों की साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों के खाते में भेज दी जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति अपने केन्द्र की आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री क्रय कर आचार्यों को उपलब्ध करायेगी जिससे केन्द्र पर लाभार्थियों को नि:शुल्क शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति :-

जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के सफल संचालन हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया गया है जो निम्नवत है-

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधकिारी	उपाध्यक्ष
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
4. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
6. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7. जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
8. जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
9. वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
10. स्वैच्छिक संगठनों के 2 प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका :-

सर्व शिक्षा अभियान/शिक्षा गारन्टी/वैकल्पिक योजना के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्नांकित कर्त्तव्य एवं दायित्व है-

1. 6-11, 11-14 वय वर्ग के विद्यालय न आने वाले बच्चों को माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षणकर चिन्हित करना।
2. वातावरण सृजित करना
3. आचार्यो का चयन
4. केन्द्रों का समय निर्धारण
5. प्रशिक्षण के उपरान्त आचार्यो को केन्द्रो का दायित्व सौपना
6. आचार्यो/बच्चों की उपस्थिति, केन्द्र प्रबन्धन एवं पर्ववेक्षण
7. केन्द्रों हेतु साज-सज्जा/शिक्षण सामग्री का नियमानुसार कय एवं केन्द्रों के संचालन हेतु आचार्यो को उपलब्ध कराना।
8. आचार्यो के मानदेय का नियमित रूप से भुगतान करना
9. केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना।

विकासखण्ड स्तरीय समिति के कर्त्तव्य एवं दायित्व

1. ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।
2. संकुल/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वय की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण करना।
3. माइक्रोप्लानिंग एवं प्रस्ताव तैयार करना।
4. जनपद/विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध संदर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण आयोजित करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के कर्त्तव्य एवं दायित्व

वैकल्पिक शिक्षा/शिक्षा गारन्टी योजा/नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग द्वारा सर्वेसित अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम/विकास खण्ड स्तर पर तैयार कर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।

विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन :-

विभिन्न विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों का संचालन करना शीतकालीन विशिष्ट सेमिनार/शिविर के प्रस्ताव की रिपोर्ट स्टेट सोसायटी को प्रस्तुत करना।

स्टेट सोसायटी द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि को मदवार विकासखण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति/नगर शिक्षा समिति/स्वैच्छिक संगठनों को कार्यक्रमों के संचालनार्थ उपलब्ध कराना।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा :

जनपद में विद्यालय न जाने वाले बच्चो की कुल संख्या 1491 है जिनमें से 100 से अधिक विकलांग है इन विकलांग बच्चों को उनकी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था जनपद स्तर पर एक आवासीय विद्यालय खोलकर की जायेगी।

बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र-

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे-

सामुदायिक सहभागिता हेतु गोष्ठियां ।

कला जत्था ।

-माँ-बेटी मेला ।

मातृ पितृ सम्मेलन ।

महिला मंगल दल सशक्तिकरण ।

महिला आचार्यों की व्यवस्था ।

अनुश्रवण एवं परियोजना क्रियाकलाप

किसी भी अभियान की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि कृत कार्यो का नियमित रूप से अनुश्रवण व पश्चपोषण होता रहे । यह योजना निम्नलिखित क्रियाकलापों पर आधारित है :--

1 योजना निर्माण

2 शैक्षिक क्रियाकलाप

3 शिक्षणेत्तर क्रियाकलाप

4 निर्माण कार्य

5 प्रशिक्षण

1— योजना निर्माण :--

पिछले अनुभवों के आधार पर यह देखा गया है कि अभियान कि सफलता हेतु जन समुदाय की भागीदारी आवश्यक है । समुदाय की सहभागिता न होने के कारण हम अपने लक्ष्य की पूर्ण सम्प्राप्ति नहीं कर सकते तथा योजना के निर्माण में उनके सुझावों को न लिया जाने से योजना को क्रियान्वित करने में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण में परेशानी होगी।

अतः सर्वशिक्षा अभियान में इन बातों को ध्यान में रखते हुए ग्राम समुदाय के साथ गोष्ठी कर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की समस्याओं पर चर्चा, विचार-विमर्श कर योजना का निर्माण किया गया है । इसके साथ ही स्वैच्छिक संगठनों, सेवानिवृत अध्यापकों, शिक्षा

अधिकारियों आदि से सुझाव लिए गए हैं तथा NSDART द्वारा जिले की एक टीम जिसमें डी0 आई0 ओ0 एस0, डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्ता, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, ए0बी0एस0ए0 तथा सेवा निवृत्त शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला जो उत्तराखण्ड सेवा निधि, जाखनदेवी अल्मोड़ा में आयोजित की गयी, जिसमें NSDART के परामर्शदाता, जनप्रतिनिधियों तथा शिक्षा में रूचि रखने वाले लोगों में प्रतिभाग किया। इस प्रकार पी0 आर0 ए0 (Participatory Rural Appraisal) का प्रयोग करते हुए योजना का निर्माण किया गया है। चूँकि समुदाय की सहभागिता, योजना निर्माण के प्रारम्भ से ही हो चुकी है अतः योजना लागू करने में निश्चित ही समुदाय की सहभागिता अनुश्रवण के सन्दर्भ में भी प्राप्त की जा सकेगी । यहाँ गैर शिक्षण कार्यो के अनुश्रवण को समुदाय द्वारा भी किया जायेगा । हॉलाकि विद्यालय की समस्त गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक, बी0 आर0 सी0 समन्वयक, डायट, डी0 आई0 ओ0 एस0, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ए0 बी0 एस0 ए0, एस0 डी0 आई0 आदि नियुक्त हैं । लेकिन इसके लिए भौतिक सहयोग की अपेक्षा समुदाय से भी की जाती है ।

2. शैक्षिक कियाकलाप :–

सभी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त हो इस हेतु सर्वशिक्षा अभियान द्वारा प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे साथ ही नवनियुक्त प्रशिक्षित अध्यापकों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण, अप्रशिक्षित अध्यापकों को 60 दिवसीय तथा सेवारत अध्यापकों को 20 दिवसीय प्रतिवर्ष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है । प्रशिक्षण के पश्चात इन शिक्षकों का अनुश्रवण व पश्चपोषण एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक, बी0 आर0 सी0 समन्वयक, डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्ता, जिला समन्वयक, डी0 पी0 ओ0, डी0 आई0 ओ0 एस0, ए0 डी0 आई0 ओ0 एस0, स0बे0शि0अ0,एस0डी0आई0 समय–समय पर करते रहेंगे । जिसमें शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण स्थल पर ही या किन्हीं कारणों से निराकरण नहीं होने पर एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 / एस0 पी0 ओ0 आदि द्वारा निराकरण कराया जायेगा ।

3. शिक्षणेत्तर क्रियाकलाप :–

पाठ्य सहगामी कियाकलापों का संचालन शिक्षण कार्य के साथ साथ निरन्तर चलना छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य है । अभी तक विद्यालयों में इन गतिविधियों हेतु विशेष प्रयास नहीं किये गये हैं लेकिन सर्वशिक्षा अभियान के तहत अन्य विभागों के सहयोग से विद्यालयों में स्काउटिंग/गाइडिंग, कीड़ा, जूनियर रेडकास, विज्ञान क्लब, बाल रंगमंच क्लबों का गठन तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं यथा अल्पना, वाद–विवाद, मॉडल, चित्रकला, साहित्यिक रचनाएँ सम्बन्धी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा ।

पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में अभी तक स्कूल रैली, केन्द्रीय रैली, ब्लॉक रैली, जिला स्तरीय रैली तथा राज्य स्तरीय रैलियों का आयोजन केवल शिक्षा विभाग के अभिकर्मियों द्वारा ही होता है। अब अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेन्स सहयोग आदि के चलते उनका सर्वप्रथम ओरियेन्टेशन डायट द्वारा किया जायेगा जिसमें उन्हें सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य, साधन और संसाधन आदि के बारे में अवगत कराया जायेगा साथ ही उनके द्वारा प्राप्त सहयोग की अपेक्षा के बारे म विस्तृत चर्चा की जायेगी ।

इस प्रकार ब्लॉक स्तर पर बी० ओ० पी० आर० डी०, जिले स्तर पर डी० ओ० पी० आर० डी० तथा जिला क्रीडा अधिकारी, कोच आदि की सहायता से ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर मानकों के अनुरूप तथा विशेष जानकारियों को प्रदान कर छात्रों के लिए बेहतर अवसरों व सुविधाओं का लाभ दिया जायेगा । चूँकि ये क्रियाकलाप गैर शैक्षणिक क्रियाकलापों के अन्तर्गत हैं अतः इन गतिविधियों का अनुश्रवण नेहरू युवा केन्द्र बी० ओ० पी० आर० डी०, डी० ओ० पी० आर० डी०, जिला क्रीडा अधिकारी, सी० आर० सी० समन्वयकों, बी० आर० सी० समन्वयकों, डायट, बी० एस० ए०, ए० बी० एस० ए०, एस० डी० आई० आदि के साथ करेंगे ।

4. निर्माण कार्य :–

निर्माण कार्य हेतु ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यपक का संयुक्त खाता खोला जायेगा ताकि दोनों बराबर रूप से निर्माण कार्य की देखरेख करते रहें । साथ ही ग्राम शिक्षा समिति सी० आर० सी० समन्वयकों, बी० आर० सी० समन्वयकों, बी० एस० ए०, ए० बी० एस० ए०, एस० डी० आई० निर्माण कार्यों का अनुश्रवण करते रहेंगे जबकि जे० ई० / ए० ई० इस कार्य हेतु विशेष रूप से व्यवस्था में रखे गये हैं जिनकी देखरेख में मानक अनुसार निर्माण कार्य होगा ।

5. प्रशिक्षण :–

जिले में सभी प्रशिक्षणों की व्यवस्था के लिए डायट उत्तरदायी रहेगा । अतः डायट में होने वाले प्रशिक्षणों के अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर या सी० आर० सी० स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों की व्यवस्था की देखरेख जिसमें अनुश्रवण व पश्चपोषण सम्मिलित होगा डायट के अभिकर्मी करेंगे । साथ ही एस० पी० ओ० / एस० सी० आर० टी० के विशेषज्ञ भी समय–समय पर समस्त प्रशिक्षणों का अनुश्रवण व पश्चपोषण करते रहेंगे । इससे प्रशिक्षणों में होने वाले ह्रास को कम किया जा सकेगा और अधिकतम प्रशिक्षण का लाभ शिक्षकों को प्राप्त होगा जिससे छात्रहित में अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकेंगे । इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवर्तीय अनुश्रवण प्रक्रिया की व्यवस्था है । इसके अन्तर्गत यू० ई० ई० के राष्ट्रीय मिशन के सदस्य तथा राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ यथा – एन० सी० टी० ई०, एन० आई० ई० पी० ए० और एन० सी० ई० आर० टी० आदि हैं जो आवर्ती अनुश्रवण के साथ एस० आई० ए० (State Implenatation Societies) को शैक्षिक सहयोग देंगे जिसमें अनुश्रवण सम्बन्धी विधाओं आदि

की विशेष जानकारियाँ सम्मिलित होगी । अनुश्रवण का आधारभूत सिद्धान्त इसका समुदाय आधारित होना तथा पारदर्शिता है ।

अनुश्रवण, शोध तथा मूल्यांकन हेतु 1500/ रूपया प्रति विद्यलय, प्रतिवर्ष का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें प्रति विद्यलय 100/ रूपया राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जायेगा । शेष 1400/ रूपये का वितरण विद्यालय से राज्य स्तर तक होगा । इस निधि का प्रयोग सर्वशिक्षा अभियान में निर्धारित गतिविधियों में किया जायेगा ।

क्योंकि सर्वशिक्षा अभियान के तहत गुणवत्ता मुख्य मुद्दा है । इसलिए इसके अनुश्रवण को प्राथमिकता दी जायेगी ।

तृतीय अनुश्रवण भी समुदाय आधारित तथा पूर्ण पारदर्शी होगा, इस हेतु लेखा परीक्षकों, जनप्रतिनिधियों, अध्यापकों आदि को सम्मिलित कर प्राशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

अनुश्रवण हेतु सर्वशिक्षा अभियान का तंत्रवत निम्नवत होगा।

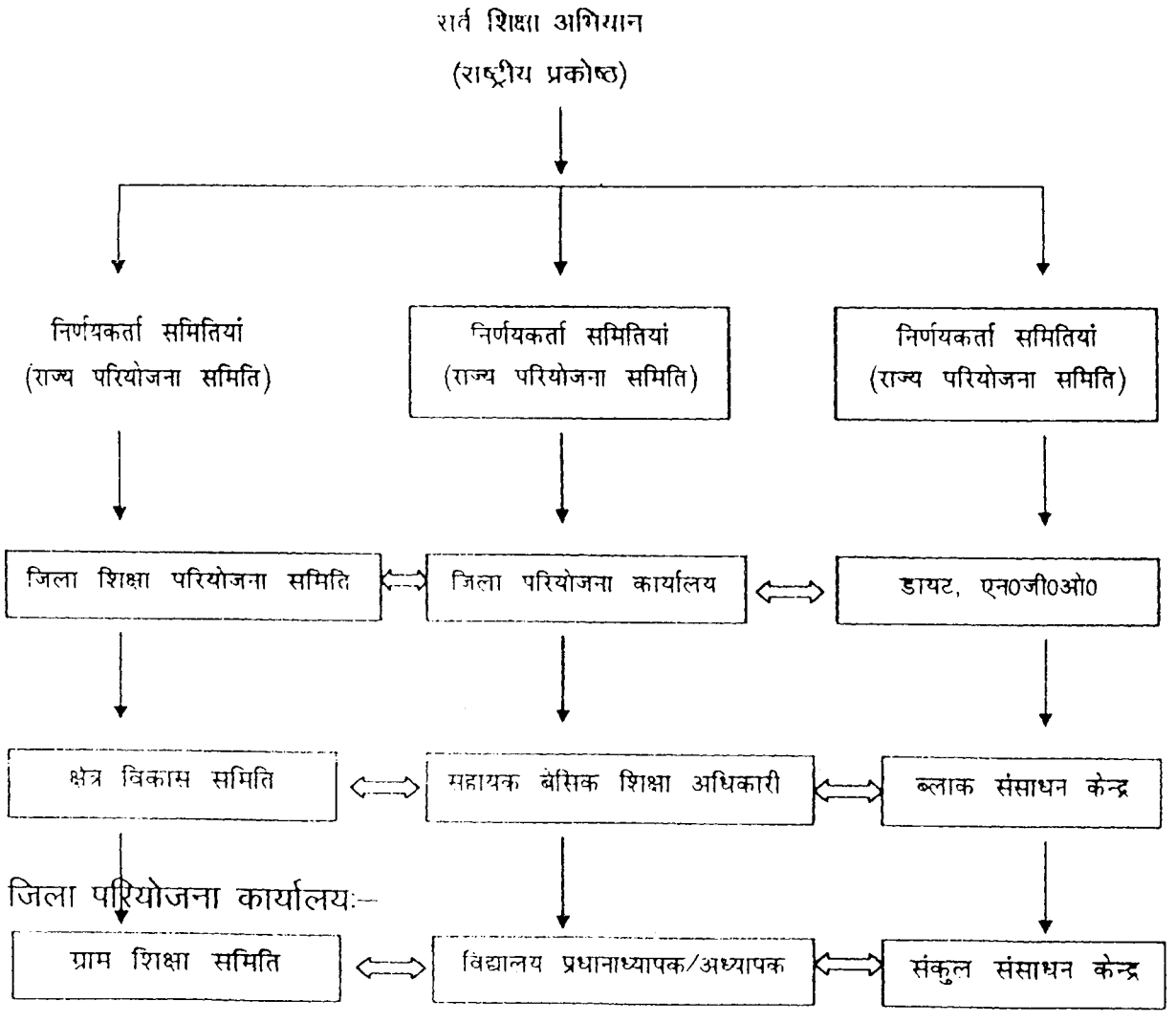

अध्याय – 8

परियोजना की उपलब्धियॉ एवं चुनौतियॉ

उपलब्धियॉः–

सर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत जिले के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करते हुए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान कराना है । इसके अन्तर्गत एक ठोस व प्रभावी कार्ययोजना का निर्माण करके विद्यालयों में बच्चो के नामांकन, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा को सुनिश्चित किया जाना है जो कि सर्वशिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण व अतिआवश्यक क्षेत्र है ।

कार्य योजना को पूर्ण व सुचारू रूप से कार्यान्वित करने हेतु सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है । सक्रिय सामुदायिक सहभागिता की भूमिका को तय करने हेतु जिला, विकास खण्ड व ग्रामीण स्तर पर शिक्षा समितियो का गठन किया गया है । उक्त समितियों के पदाधिकारियों को उचित व प्रभावी प्रशिक्षण देकर परियोजना की विस्तृत विवेचना अनिवार्य है, क्योंकि यही प्रतिनिधि इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त कराने हेतु आधार स्तम्भ का कार्य करेंगे ।

चूँकि यह परियोजना पूर्ण रूप से बाल केन्द्रित है इसलिए छात्रों को विद्यालयों मे प्रवेश हेतु प्रेरित किया जाना आवश्यक है । इस कार्य हेतु अभिभावकों को सकारात्मक रूप से बच्चों के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराते हुए प्रेरित करना होगा । मातृशक्ति को इस योजना के गुणो से अवगत कराते हुए उन्हें बच्चो की शिक्षा के लिए अभिप्रेरित करना अभियान का लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग छात्रो को विशेष रूप से केन्द्र बिन्दु मानकर उनकी प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करना, उन्हे निःशुल्क किताबें एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करना है ।

सर्वशिक्षा योजना की कुछ विशिष्ट उपलब्धियां को निम्नलिखित बिन्दुओ में वर्णित की गयी हैं–

1. असेवित बस्तियों में भी प्राथमिक शिक्षा सुविधा सुनिश्चित करके वर्ष 2003 तक 6 से 11 वय वर्ग के बच्चो को प्राथमिक विद्यालयो में प्रवेश ।
2. जनपद में असेवित बस्तियों व स्कूल न जाने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग बच्चो को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा हेतु सर्वोच्च वरीयता प्रदान करना ।

3. जिन क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इन्टरमिडिएट विद्यालयों की सुविधा न हो ऐसे क्षेत्रो मे दो प्राथमिक विद्यालयो के बीच एक उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा कमोत्तर कक्षाओं की व्यवस्था ।

4. क्षेत्रीय जनता के सुझावों को प्रमुखता देना, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना ।

5. आवश्यकतानुसार जनपद में नवीन प्राथमिक विद्यालयों अथवा शिक्षाघरों की स्थापना ।

6. विद्यालयों को आवश्यकतानुसार भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षों, उपकरणों तथा अन्य शैक्षिक सहायक सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित कराना ।

7. प्रत्येक विकास खण्ड में बी0आर0सी0 व न्याय पंचायत स्तर पर सी0आर.0सी0 की स्थापना ।

8. विभिन्न स्तरों पर प्रभावी निष्पादन के उद्देश्य से विशिष्ट प्रशिक्षकों की व्यवस्था ताकि शिक्षा के गुणात्मक स्वरूप को बढावा मिल सके ।

9. प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण तथा जनसहभागिता को अभियान का मुख्य स्वरूप देते हुए व्यवस्था को जनतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया गया है, जो विद्यालयी कियाकलापों में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी ।

10. समाज में मातृशक्ति की सहभागिता को सक्रिय स्वरूप देते हुए बालिका शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन ।

11. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित होने वाले विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों तथा आचार्यो की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना ।

12. 2010 तक अभियान के लक्ष्यों की शत–प्रतिशत सम्प्राप्ति ।

13. 3 से 5 वय वर्ग के बच्चो हेतु पूर्व प्राथमिक विद्यालयो की स्थापना ।

14. अनुसूचित जाति व जनजाति के विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले छात्रों हेतु उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था ।

15. विकलांग छात्रों हेतु जनपद स्तर पर आवासीय विद्यालयो की स्थापना ।

16. गुणात्मक शिक्षा व ठहराव हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तकों का सरलीकरण तथा प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार व्यवस्था ।

17. विद्यालयों में शौचालय व पानी की व्यवस्था तथा सुरक्षा हेतु चाहरदिवारी का निर्माण ।

18. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के स्तरो का प्रशिक्षण कराकर अध्यापकों को दक्षता प्रदान कराना ।

19 समाज के भिन्न–भिन्न वर्गों के समुदायो का प्रशिक्षण यथा मातृ–अध्यापक व अध्यापक अभिभावक संगठन, ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यो का प्रशिक्षण और विद्यालय को समाज का अभिन्न अंग मानते हुए शिक्षा द्वारा समाज का सशक्तिकरण ।

चुनौतियॉ :

जनपद की भौगोलिक स्थिति, सुदूर ग्रामीण अंचलों में अधिकांश अभिभावकों का निरक्षर होना, जागरूकता का अभाव, सामाजिक सहभागिता, आर्थिक व पारिवारिक आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो इस योजना के सम्मुख चुनौती के रूप में खड़े हैं । चुनौतियो का विश्लेशण निम्नवत है–

1. विषम भौगोलिक स्थिति, बिखरी हुई जनसंख्या, गरीबी व निरक्षरता, साामजिक मान्यतायें के कारण प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा घरों की स्थापना में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं ।
2. परियोजना के तहत विद्यालयों की स्थापना व अन्य निर्माण कार्यो हेतु बजट शासन द्वारा आवंटित किया जाना है । इस हेतु शासन द्वारा त्वरित व्यवस्था न होने की स्थिति में निर्माण कार्यो मे बाधा आ सकती है ।
3. समयबद्ध परियोजना होने के कारण निर्धारित अर्हता के शिक्षा मित्र, आचार्य आदि की व्यवस्था न होने एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों व प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था, तथा अन्य निर्धारित मानक कुछ सीमा तक जटिलता उत्पन्न होगी।
4. परियोजना पूर्णरूप से सामुदायिक सहभागिता पर केन्द्रित है जिस कारण विभिन्न अवधारणाओं, मनोवृत्तियों, रीति–रिवाजो, आजीविका के कार्य एवं राजनीतिक हस्तक्षेप योजना के संचालन में कठिनाईयॉ उत्पन्न कर सकते हैं ।
5. प्रशासनिक मानक, नियम कतिपय स्थानों पर गतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं जिसके लिए अलग व्यूह रचनाऐं करनी होंगी ।
6. बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन में कुछ क्षेत्रो में समाज में व्याप्त अन्ध--विश्वासों, कुरीतियों पारिवारिक व आर्थिक स्थितियों की वजह से अवरोध उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावनाऐं है।
7. परियोजना का व्यय राज्य व केन्द्र सरकारो के बीच अनुपातिक रूप मे व्यवस्थित है जो कि परियोजना के विभिन्न मानकों को प्रभावित कर सकते हैं ।
8. 11 से 14 वय वर्ग के बच्चो विशेषकर बालिकाओं का पारिवारिक कियाकलाप में सक्रियता के कारण इनकी शिक्षा बाधित हो सकती है ।
9. निर्माण कार्यो हेतु विभिन्न अंचलों में समान रूप से आवंटित निर्धारित बजट जनपद की भौगोलिक दृष्टि के आधार पर कई स्थानों पर निर्माण कार्यो को बाधित कर सकता है।
10. निर्माण कार्य के दौरान अधिकारियों व इंजीनियरो के समयबद्ध निरीक्षण न होने की स्थिति में निर्माण मे प्रयुक्त होने वाली सामग्री की गुणवत्ता मे कमी होने की सम्भावना है ।

11. विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था करने के लिए पानी के स्रोत की अधिक दूरी व उपलब्ध कम पानी की मात्रा तथा जल स्रोतों की उपलब्धता न होना इस व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है ।

12. योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली इलेक्ट्रानिक साजो सामान का मानकों के अनुरूप रख–रखाव न होने की स्थिति में उनके खराब होने की सम्भावना है तथा विद्युत की सभी स्थानों में उपलब्धता न होने से विद्युत उपकरणों का प्रयोग न हो पाना ।

वर्ष 2002--2003 की कार्य योजना

वर्ष 2002–2003 की प्रस्तावित कार्य योजना को चार वर्गों में विभाजित किया गया है जो कि निम्नवत् है:–

1. धारण (ACCESS)
2. ठहराव (RETENTION)
3. गुणवत्ता संर्वधन (QUALITY IMPROVEMENT)
4. क्षमता संवर्धन (CAPACITY BUILDING)

वर्ष 2002–2003 की प्रस्तावित कार्य योजना को चार वर्गों में विभाजित किया गया है जो कि निम्नवत् है:–

1. धारण (ACCESS) :– वर्ष 2001–2002 में दस वर्ष की कार्य योजना के सापेक्ष केवल 04 नवीन उच्च विद्यालयों के निर्माण कार्य की धनराशि स्वीकृत की गयी ।

इस मद के तहत वर्ष 2002–2003 की कार्य योजना में 2.75 लाख प्रति विद्यालय की दर से 35 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 4 लाख प्रति विद्यालय की दर से 15 उच्च प्राथमिक विद्यालय 8.5 , 2.25, 10 , 1 हजार की दर से क्रमशः 35 प्राथमिक अध्यापक , 35 शिक्षा मित्रों , 57 उच्च प्राथमिक अध्यापकों का वेतन , शिक्षा गारण्टी केन्द्रों के अनुदेशकों का मानदेय , उच्च प्राथमिक के 19 विद्यालयों हेतु 50 हजार प्रति विद्यालय की दर से फर्नीचर तथा 10 हजार प्रति विद्यालय की दर से 35 प्राथमिक विद्यालय हेतु फर्नीचर , प्रत्येक ई.जी.एस. केन्द्र के लिए 1.1 हजार की दर से उपकरण , 100 रूपये प्रति छात्र की दर से शिक्षण सामग्री , अनुदेशक प्रशिक्षण हेतु 1.5 हजार की दर से 51 अनुदेशकों के प्रशिक्षण , खण्ड स्तर प्रबन्धन हेतु 100 रूपये प्रति छात्र तथा 469 रूपये प्रति केन्द्र आकस्मिक व्यय की कार्य योजना प्रस्तावित की गयी है।

2. ठहराव (RETENTION) :– अभियान के इस मद में वर्ष 2002–2003 की प्रस्तावित योजना में 8. 5 , 2.25 तथा 10 हजार रूपये प्रति माह वेतन के रूप में क्रमशः 117 प्राथमिक सहायक अध्यापक , 117 शिक्षा मित्र, 21 उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापक के वेतन , 70 हजार प्रति अतिरिक्त कक्ष की दर से 75 कक्षा कक्षों , 15 हजार प्रति शौचालय की दर से 150 प्राथमिक तथा 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु शौचालय, 2.75 हजार की दर से 38 ध्वस्त प्राथमिक विद्यालयों , 04 लाख प्रति विद्यालय की दर से 13 ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुर्ननिर्माण 20 हजार की दर से 150 प्राथमिक व 50 उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु पेयजल , मरम्मत एवं रखरखाव हेतु 1252 5 हजार प्रति विद्यालय की दर बजट प्रस्तावित है । इसी क्रम में 40 हजार की दर से 50 प्राथमिक व 50 हजार की दर से 75 उच्च प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी व 2000 प्रति विद्यालय की दर से 1902 विद्यालयों के सौन्दर्यीकरण हेतु बजट प्रस्तावित है।

बच्चों को विद्यालय में अधिक ठहराव हेतु कुछ नवाचार कार्य क्रमों के तहत ग्रीष्म कालीन शिवरों के लिए 1.20 लाख , उच्च प्राथमिक की छात्राओं हेतु समाजोपयोगी कार्य हेतु 15 लाख ,जन चेतना कार्यक्रमों हेतु 15

लाख , अनु0जाति/जनजाति के बच्चों के उपचारात्मक हेतु 1.69 लाख , तथा सकुल संसाधन केन्द्रों पर वार्षिक कार्यक्रम हेतु 3.50 लाख का प्राविधान किया गया है।

आगनवाड़ी केन्द्रों हेतु इस बजट में कार्यकत्रियों के मानदेय के रूप में 375 रूपये की दर से 397 का मानदेय नये ई.सी.सी.ई. केन्द्रों हेतु 875 रूपये प्रति केन्द्र , शिक्षण सामग्री हेतु 5 हजार प्रति केन्द्र की दर से सामग्री वितरण एवं 442 केन्द्रों हेतु 1.5 हजार की दर से आकस्मिक व्यय के बजट का प्रस्ताव किया गया है।

सामुदायिक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रमों को वर्ष 2002–2003 में प्रस्तावित किया गया है जिसमें शिक्षक अभिभावक समूह हेतु अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए 88 हजार , कला जत्था हेतु 8.40 लाख , बाल मेलों हेतु 105 सी.आर.सी. में 5 हजार की दर से 5.25 लाख , श्रव्य–दृश्य कैसिटों के निर्माण हेतु 20 हजार , 100 विकलांग बच्चों हेतु 1.2 की दर से 1.20 लाख , विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु 500 की दर से 1902 विद्यालयों हेतु 9.51 लाख , विद्यालयों में पुस्ताकालय हेतु 78.10 लाख के बजट का प्रस्ताव किया गया है।

3. गुणवत्ता संवर्धन (QUALITY IMPROVEMENT) :– इस मद में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की उपयोगिता को ध्यान में रखकर 2002–2003 का बजट प्रस्तावित किया गया है इसके तहत 286 शिक्षा मित्रों, 163 सहायक अध्यापकों ,12 उच्च प्राथमिक अध्यापकों , 50 नये अध्यापकों 51 ई.जी.एस. अनुदेशकों हेतु 70 रूपये प्रति दिन के दर से 30 दिन के प्रशिक्षण हेतु बजट का प्रस्ताव किया गया है । 3299 सेवाकालीन अध यापकों , 286 शिक्षा मित्रों , 105 समन्वयको हेतु 70 रूपये प्रति दिन की दर से 10 दिन के प्रशिक्षण का बजट प्रस्तावित किया गया है।

इसी क्रम में गावं शिक्षा समितियों के 9712 सदस्यों हेतु 30 रूपये प्रति दिन की दर से 2 दिन का प्रशिक्षण, वार्षिक कार्ययोजना हेतु कोर समिति के 7 सदस्यों का 500 रूपये प्रतिदिन की दर से 5 दिन का प्रशिक्षण , 28 अध्यापकों के लिए 1500 रूपये की दर से कम्प्यूटर प्रशिक्षण , 12 खण्ड समन्यवकों हेतु 300 रूपये प्रतिदिन की दर से प्रशिक्षण , खण्ड सन्दर्भ समूह के 96 सदस्यों हेतु प्रतिदिन 140 रूपये तथा जिला संदर्भ समूह के 30 सदस्यों हेतु 215 रूपये प्रतिदिन की दर से दो दिन का प्रशिक्षण तथा 2101 अध्यापक + ए.बी.एस.ए+एस.डी. आई+समन्वयकों हेतु 70 रूपये प्रति दिन की दर से 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

शिक्षा में गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए 3823 अध्यापकों हेतु 500 रूपये की दर से शिक्षक अनुदान , 56076 प्राथमिक अनु0जाति /जनजाति + लडकियों , 28279 उच्च प्राथमिक छात्रों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था तथा शोध/अनुश्रवण निरीक्षण हेतु 26.63 लाख रूपयों का बजट प्रस्तावित किया गया है।

4. क्षमता संवर्धन (CAPACITY BUILDING) :– किसी भी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए उच्च स्तर के प्रबन्धन का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसी क्रम में इस मद के तहत डाईट के सशक्तिकरण हेतु छात्रावास निर्माण के लिए 45 लाख , फर्नीचर हेतु , 50 हजार , श्रव्य–दृश्य उपकरणों हेतु , 2 लाख कम्प्यूटर

के लिए 4 लाख , गाडी के ईधन के लिए , 50 हजार अनुसंधान के लिए 50 हजार , संकाय के विकास हेतु 30 हजार पुस्तकालय के लिए 25 हजार , स्टेशनरी हेतु 10 हजार , डाइट के रखरखाव हेतु 50 हजार , तथा आकस्मिक व्यय के रूप में 30 हजार रूपयों का प्रस्ताव प्रेषित किया गया ।

ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के निर्माण हेतु प्रति केन्द्र 6 लाख की दर से 5 बी.आर.सी. , 36 समन्यवकों हेतु वेतन , यात्रा भत्ते हेतु 60 हजार , उपकरणों के रखरखाव हेतु 12 हजार , किताबों हेतु 12 लाख , प्रतिमाह की बैठको हेतु 3.78 लाख , समन्वयकों के ऐवज में रखे जाने वाले 169 शिक्षामित्रों के वेतन तथा आकस्मिक व्यय हेतु 60 हजार रूपयों का बजट प्रस्तावित किया गया है।

संकुल संसाधन केन्द्रों में 8.5 हजार की दर से 105 समन्यवकों के वेतन , पुस्तकालयों हेतु 5.25 लाख , आकस्मिक व्यय के रूप में 2.63 लाख तथा प्रत्येक माह की बैठकों के लिए 2.52 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है।

प्रत्येक बी.आर.सी. में 50 हजार की दर से पुस्तकालय , 12 पुस्तकालयाध्यक्षों हेतु 8.5 हजार की दर से मानदेय तथा अखबारों व पत्रिकाओं हेतु 43 हजार रूपयों का बजट प्रस्तावित किया गया है।

जनपद में कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला योजना कार्यालय में एक लेखाधिकारी , एक चपरासी तथा 4 समन्यवको का वेतन , किताबों हेतु 10 हजार, यात्रा भत्ता के लिए 2.50 लाख , गाड़ी हेतु 3. 50 लाख , गाडी के ईधन हेतु 1 लाख , अभियन्ताओं के मानदेय के रूप में 96 हजार , उपकरणों के रखरखाव हेतु 10 हजार , आकस्मिक व्यय के रूप में 80 हजार तथा परामर्श दाता हेतु 10 हजार प्रति वर्ष की दर से बजट प्रस्तावित किया गया है।

सूचना प्रवन्धन कार्य प्रणाली हेतु 8.5 हजार प्रतिमाह की दर से एक कम्प्यूटर संचालक का वेतन , छपाई कार्य हेतु 20 हजार , उपकरणों के रखरखाव हेतु 20 हजार तथा वार्षिक कार्य योजना व बजट निर्माण हेतु 30 हजार रूपयों का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

वर्ष 2001–2002 के बजट स्वीकृति के पश्चात् 2002–2003 में प्रस्तावित निर्माण कार्य

जनपद अल्मोड़ा को सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक प्रस्तावित निर्माण कार्य में से वर्ष 2001–2002 के बजट के पश्चात् आगामी वर्षो के निर्माण कार्य का आकलन निम्नवत् है:–

1. प्राथमिक विद्यालय :– दस वर्ष की योजना के अर्न्तगत 83 नये प्राथमिक विद्यालयों को खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमे से वर्ष 2001–2002 की कार्ययोजना के तहत 35 नये प्राथमिक विद्यालयों को 2.75 लाख की प्रति विद्यालय की दर से खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

2. उच्च प्राथमिक विद्यालय :– सर्व शिक्षा अभियान में अल्मोड़ा जनपद में 54 नवीन विद्यालयों को खोलने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से 04 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु वर्ष 2001–2002 में 04 चार लाख प्रति विद्यालय की दर से बजट स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और 2002–2003 के लिए 15 उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

3. अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्राथमिक विद्यालय :– योजना के तहत कुल 245 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण का प्रविधान रखा गया है जिसमें से 2001–2002 के लिए कक्षा कक्ष निर्माण हेतु बजट स्वीकृत नही किया गया और 2002–2003 की कार्ययोजना में 70,000 प्रति कक्ष की दर से 75 अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रस्तावित है ।

4. अतेरिक्त कक्षा कक्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय :– उ0 प्रा0 वि0 में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण हेतु योजना मे कुल 157 कक्ष रखे गये हैं जिसमें से 2001–2002 में बजट आवंटित न होने से निर्माण कार्य नही होना है। साथ ही वर्ष 2002–2003 के लिए किसी भी अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण का प्रस्ताव नही रखा गया है।

5. शौचालय प्राथमिक विद्यालय :– दस वर्षीय योजना में कुल 1288 शौचालयों का प्रविधान किया गया है जिसमें से वर्ष 2001–2002 के लिए 50 शौचालयों हेतु बजट का आवंटन किया गया है और वर्ष 2002–2003 की कार्य योजना में 15000 प्रति शौचालय के अनुसार 150 शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

6. शौचालय उच्च प्राथमिक विद्यालय :– वर्ष 2001–2002 में 50 शौचालयों के निर्माण हेतु बजट स्वीकृत किया गया है । वर्ष 2002–2003 के लिए 15000 प्रति शौचालय की लागत के अनुसार 50 शौचालयों के निर्माण कार्य को प्रस्तावित किया गया है।

7. पुर्ननिर्माण प्राथमिक विद्यालय :– इस निर्माण कार्य हेतु 10 वर्ष के भीतर 46 प्राथमिक विद्यालय का

निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त संख्या में से वर्ष 2001–2002 की कार्य योजना के तहत 10 ध्वस्त प्राथमिक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण हेतु बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें से केवल 07 विद्यालयों हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। वर्ष 2002–2003 के लिए प्रति विद्यालय 2.75 लाख की लागत से 38 विद्यालयों का चयन कर निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

8. पुर्ननिर्माण उच्च प्राथमिक विद्यालय :– योजना में कुल 18 ध्वस्त विद्यालयों का पुर्ननिर्माण प्रस्तावित है जिसमें से 5 विद्यालय हेतु वर्ष 2001–2002 में बजट स्वीकृत किया गया है और इसके सापेक्ष केवल 3 विद्यालयों के पुर्ननिर्माण हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। वर्ष 2002–2003 के लिए 13 ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए पुर्ननिर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

9. पेयजल प्राथमिक विद्यालय :– समय अभाव के कारण वर्ष 2001–2002 की कार्ययोजना में पेयजल हेतु बजट का आवंटन नही किय गया है। दस वर्ष की कुल 1241 पेयजल योजना में से वर्ष 2002–2003 के लिए प्रति पेयजल 20 हजार की लागत से 150 विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था गुहैया कराने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

10. पेयजल उच्च प्राथमिक विद्यालय :– इसके तहत कुल 161 पेयजल योजनाओं में से वर्ष 2002–2003 हेतु 20 हजार प्रति पेयजल अनुसार 50 पेयजल योजनाओं के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। वर्ष 2001–2002 में पेयजल योजना लागू नही की जा रही है।

11. चहार दीवारी प्राथमिक विद्यालय :– दस वर्षीय कार्ययोजना के अर्न्तगत कुल 1279 प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें से 50 विद्यालयों की चहारदीवारी हेतु वर्ष 2001–2002 में बजट स्वीकृत किया गया है इसमें से केवल 30 विधालयों की चहारदीवारी हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। वर्ष 2002–2003 के लिए 40 हजार प्रति चहारदीवारी के अनुसार 50 प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी प्रस्तावित की गई है।

12. चहारदीवारी उच्च प्राथमिक विद्यालय :– उच्च प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी हेतु कुल 171 में से वर्ष 2001–2002 में 20 विद्यालयों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है तथा वर्ष 2002–2003 के लिए 50 हजार इकाई लागत के अनुसार 75 उ0प्रा0 वि0 का चयन कर प्रस्ताव में रखा गया है।

13. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में छात्रावास :– छात्रावास हेतु वर्ष 2002–2003 में 45 लाख का प्राविधान रखा गया है।

14. बी0आर0सी0 :– सर्व शिक्षा योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुल 12 बी0आर0सी0 का प्राविधान

वर्ष 2001—02 के लिए स्वीकृत बजट

जनपद अल्मोड़ा के लिए वर्ष 2001 02 के लिए 46965.77 (रुपये हजार में) का बजट स्वीकृत किया गया है जो कि निम्नवत् है।

धारण :--

1. 4 उ0प्रा0 वि0 400 की दर से 1600 रू0।

ठहराव :—

1. 117 अध्यापकों हेतु वेतन 6 प्रतिमाह की दर से 2106 रू0।
2. 1117 शिक्षा मित्रों हेतु 2.25 प्रति शिक्षामित्र (3 महीने) की दर से 789.75 रू0।
3. 50 प्रा0 वि0 शैचालय 15 की दर से 750 रू0।
4. 50 उ0प्रा0वि0 शौचालय 15 की दर से 750 रू0।
5. 10 प्रा0 वि0 पुर्ननिर्माण 2.75 की दर से 2750 रू0।
6. 5 उ0प्रा0 वि0 पुर्ननिर्माण 400 की दर से 2000 रू0।
7. 312 विधालयों (प्र0वि0+उ0प्रा0वि0) हेतु 5 की दर से 1560 रू0।
8. 50 प्रा0 वि0 चहार दीवारी 40 की दर से 2000 रू0।
9. 20 कुल उ0प्रा0 वि0 चहारदीवारी 50 की दर से 1000 रू0।
10. 1704 विधालयों (प्रा0+उ0प्रा0+हाई0+इण्टर) हेतु 2 प्रति विद्यालय की दर से 3408 रू0।
11. नवाचार शिक्षा हेतु 1429.2 रू0।
12. ECCE केन्द्रो में 279 कार्यकत्रियों हेतु मानदेय .375 की दर से 105 रू0।
13. ECCE केन्द्रो में TLM हेतु 1395 रू0 ।
14. 25 विकलांग बच्चों हेतु 1.2 की दर से 30 रू0।
15. NGO को सामुदायिक गतिविधियां हेतु 56.4 रू0।

गुणवत्ता संवर्द्धन :—

1. 600 अध्यापकों को 0.07 प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की दर से 10 दिन हेतु प्रशिक्षण।
2. 36 BRC Cordinator की 10 दिन के प्रशिक्षण हेतु 25.20 रू0(0.07 / प्रतिदिन)।
3. 105 CRC Cordinator की 10 दिन के प्रशिक्षण हेतु 73.5 रू0 (0.07 / प्रतिदिन)।
4. 28 DIET/UPS/PS अध्यापकों हेतु 1.5 की दर से 840 रू0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण ।
5. 9712 VEC सदस्यों के अभिविन्यास कार्यक्रम हेतु 58272 रू0 (0.03 / प्रतिदिन)।

6. 2101 अध्यापको / ABSA/BRC/CRC समन्वयकों के प्रशिक्षण के लिए 3 दिन के प्रशिक्षण हेतु 0.5 की दर से 240 रू0 ।

7. 22 ABSA/SOI के प्रशिक्षण हेतु 7.70 रू0 (0.07 / प्रतिदिन)।

8. 24 AE/JE के प्रशिक्षण हेतु 0.07 की दर से 8.4 रूपये प्रतिदिन।

9. 3762 अध्यापकों हेतु 0–5 प्रतिवर्ष की दर से 1881 रूपये।

10. 97286 छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु 1.5 की दर से 14592.9 रूपये।

क्षमता संवर्द्धन

1. 12 BRC समन्यवकों हेतु 7.5 प्रति माह की दर से 3 महीने हेतु वेतन 270 रू0।

2. 24 BRC सहसमन्यवको हेतु 7.5 प्रति माह की दर से 3 महीने हेतु वेतन 540 रूपये।

3. 12 BRC हेतु फर्नीचर 25 की दर से 300 रू0।

4. 4 BRC हेतु यात्रा भत्ता 20 रू0।

5. प्रतिमाह बैठकों हेतु 126 रू0।

6. 105 CRC समन्यवको के वेतन हेतु 2362.5 रू0।

7. 105 CRC फर्नीचर हेतु 2 की दर से 210 रू0।

8. 105 CRC हेतु आकस्मिक व्यय 262.5 रू0।

9. 1562 विद्यालयों के निरीक्षण हेतु 312.4 रू0।

10. जिला परियोजना कार्यालय में लेखाधिकारी, लिपिक, चपरासी, समन्वयक, परामर्शदाता हेतु (10+7+3+3) की दर से वेतन 84 रू0।

11. 4 समन्यवकों (जनपद) हेतु वेतन 120 रू0 ।

12. जिला परियोजना कार्यालय में यात्रा भत्ता दूरभाष/फैक्स,POL,फर्नीचर, उपकरण, किराया, उपकरण रखरखाव (20+25+30+50+50+5+10) हेतु 240 रू0।

13. निरीक्षण व अनुसंधान एवं अनुश्रवण हेतु 1562 विधालयों हेतु 1093.4 रू0।

14 सूचना प्रबन्धन प्रणाली हेतु उपकरण 460 रू0।

15. सूचना प्रबन्धन हेतु कमरे के लिए 50 रू0।

16. छपाई, उपकरण रखरखाव व Computer Consumbles हेतु 136 रू0।

नोट :– सभी धनराशि हजार में है ।

BUDGET ALLOTED 2001-2002

CATAGORY	RS. IN THOUSAND	PERCENTAGE
ACCESS	1600	3.43
RETENION	201251.35	42.85
QUALITY	18710.62	39.83
CAPACITY	6525.8	13.89
TOTAL	46965.77	-

DISTT:- ALMORA

TABLE-A : Last Year Activities Progress (Year 2001 – 02)

(Rupees in Thousand)

Activities Particular Main/Subhead	Physical Target	Last Year Sanctioned Amount with Spill Over	Re-appropriated Amount	Revised Sanctioned Amount	Physical Acheivement		Expenditure		Approx. Saving And Balancing amount	Remarks
					Till 31st December	Till 31st March App	Till 31st December	Till 31st March App		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A1.1 New Primary School (Unserved)										
2. New Upper Primary School	4	1600							1600	
3. Salary of P.S. New AT										
4. Salary of U.P.S. (New) AT										
5. Furniture/Fixture & Equipment P.S.										
6. Furniture/fixture & Equipment U.P.S.										
Sub total		1600							1600	
A2.1 E.G.S. Honorarium Instructor										
2. T.L.E./ E.G.S. Center										
3. Contingency										
4. Instructor Training										
5. T.L.M./Center										
6. Block Level Management										
A3.1 Back to School Campaign										
Sub total										
Total		1600							**1600**	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	k
R.RETENTION										
R1.1 Additional class Room PS										
2. Additional Class Room UPS										
3. Additional room in BRC for library										
4. Additional Teacher in PS Existing New Building but posts are not sanctioned	117	2106							2106	
5. Para Teacher	117	789.75							789.75	
6. Tenth Five Year Plan AT										
7. Toilet PS	50	750							750	
8. Toilet UPS	50	750							750	
9. Reconstruction of old PS	10	2750							2750	
10. Reconstruction of old UPS	5	2000							2000	
11. Drinking water PS										
12. 11. Drinking water UPS										
13. Repair & Maintenance of PS & UPS	312	1560							1560	
14. Boundary Wall PS	50	2000							2000	
15. Boundary Wall UPS	20	1000							1000	
16. School improvement Grant PS	1376	2752							2752	
17. School improvement Grant UPS										
18. School improvement Grant HS/Intermediate	328	656							656	
Sub total		**17113.75**							**17113.75**	
R 2. Innovative Programme										
1. Summer Camp	12	120							120	
2. SUPW for Girls UPS										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3. MCDA Including gender Sensitization	12	300							300	
4. Remedial Teaching of SC/ST	240	169.20							169.20	
5. Annual days at CRC										
Sub Total		589.2							589.2	
R.3 ECCE										
1. Distribution of ECCE material										
2. Opening of ECCE (New)										
3. Additional Honorarium Instructor	279	105							105	
4. Contingency	279	1395							1395	
Sub Total		**1500**							**1500**	
R.4 Community mobilization										
1. MTA/PTA 8 Members										
2. Kala Jatha (Village to District Level)	105	840							840	
3. Development of awareness of Teacher										
4. Bal Mela at CRC										
5. Production of Audio Tapes										
6. Production Video Tapes										
7. Provision for disabled children	25	30							30	
8. School Health Check up CPS. UPS. HS/Inter										
9. Book bank. Library (PS.UPS)										
10. Assistance to NGO for Community mobilization	80	56.4							56.4	
Sub Total		**926.4**							**926.4**	
Total		**20129.35**							**20129.35**	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Q. QUALITY IMPROVEMENT										
Q1. Training Programme										
1. Induction training for Shiksha Mitra (30 days)										
2. Induction training for A.T. P.S. (30 Days)										
3. Induction training for A.T. UPS										
4. In service Teacher Training 10 days		420							420	
5. Training of Newly Trained Recruits 30 Days										
6. Refresher training for Shiksha Mitra 10 days										
7. Induction Training for E.G.S./Al. 30 days										
8. B.R.C./U.R.C. Co-ordinators 10 days	36	25.20							25.20	
9. Refresher training for E.G.C. 15 days										
10. C.R.C. Co-ordinator refresher training 10 days	105	73.50							73.50	
11.B.R.C./U.R.C./ Coordinators Management Training 5 days		39.2							39.2	
12. D.I.E.T. Staff Development Training for Staff 10 days										
13. Teacher training of Computer D.I.E.T.,U.P.S.,P.S. (20 days)	28	840							840	
14. Orientation of V.E.C (2 day)		582.72							582.95	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
15.A.W.P.B Review & Training of Core-planning Team										
16. E.M.I.S. Training (5 days)										
17. Teacher/gender sensitization (3 days)(ABSA.BRC.CRC)	2101	240							240	
18. ECCE Workers Training (30 days)										
19. A.B.S.A./S.D.I. Training 5 days	22	7.70							7.70	
20. Training of J.E./A.E 5 days	24	8.4							8.4	
21. Block resource group training (2 days).										
22. Distt. resource group training (2 days).										
Sub total		2236.72							2236.72	
Q2.1 Teacher grants PS	2550	1275							1275	
2. Teacher grants UPS+HS+Inter	1212	606							606	
3. Free text book to primary school students Girls/SC/ST		10592.9							10592.9	
4. Free Text Book for UPS +HS+Inter SC/ST		4000							4000	
5. Books for learning corner PS										
6. Books for learning corner UPS										
7. Printing & Distribution of training Guide (PS+UPS)										
8.Research and Evaluation										
Sub total	**16473.9**								**16473.9**	
Total	18710.6								**18710.6**	
C. CAPACITY BUILDING										
C1.DIET										
1. Construction										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2. Furniture										
3. Equipment AV Aids										
4. Computer Work Station										
5. Hiring										
6. POL										
7. Research/ Action Research										
8. Faculty Development										
9. Exposure visit										
10. Library										
11. Consumable for Computer										
12. Maintenance of DIET										
14. TA										
15. FAX Contingency										
Sub total										
C2 BRC										
1. BRC Construction										
2. Salary Coordinators	12	270							270	
3. Salary Astt. Coordinators	24	540							540	
4. Equipment/Furniture	12	300							300	
5. TA										
6. Maintenance of Equipment										
7. Books										
8. Consumable										
9. Monthly review meetings of CRC										
10. Contingency										
11. Salary of PARA Teacher										
Sub Total		1256							1256	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
C3 CRC (School Complex)										
1. Construction of CRC										
2. Salary Coordinator	105	2362.5							2362.5	
3. Equipment/furniture	105	210							210	
4. Library										
5. Contingency	105	262.5							262.5	
6. Monthly review meeting at CRC										
7. Monitoring & Supervision	1562	312.4							312.4	
Sub Total		**3147.4**							**3147.4**	
C4 Library										
1. Equipment for BRC Library										
2. Honorarium										
3. News Paper & Magazine										
Sub Total										
C5 DPO										
1. Accountant	1	30							30	
2. Typist Clerk	1	21							21	
3. Peon	1	9							9	
4. Consultant	1	3							3	
5. Coordinators	4	120							120	
6. Books										
7. TA	4	20							20	
8. Consumables	1	25							25	
9. Telephone & FAX	1	30							30	
10. Vehicle										
11. Vehicle maintenance & POL	1	50							50	
12. Honorarium of JE & AE										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13. Maintenance of Equipment	1	10							10	
14. Hiring	1	5							5	
15. Supervision & Monitoring PS & UPS	1562	624.8							624.8	
16. Contingency		10							10	
17. Equipment	1	50							50	
18. Furniture & Fixture	1	50							50	
19. Research & Evaluation	1562	468.6							468.6	
Sub Total		1526.4							**1526.4**	
C6 MIS										
1. MIS Cell furnishing	1	50							50	
2. Salary of Computer operator	1	21							21	
3. MIS Equipment	1	460							460	
4. Printing & Data Formats	1	20							20	
5. Maintenance of Equipment	1	20							20	
6. Computer Consumables	1	25							25	
7. AWPB Formation										
Sub Total		596							**596**	
Total										
Grand Total		***46965.77***							***46965.77***	

SPILL OVER 2001-2002

CATAGORY	RS. IN THOUSAND	PERCENTAGE
ACCESS	1600	07.83
RETENION	11783	57.51
QUALITY	6055.45	29.55
CAPACITY	1048.9	5.11
TOTAL	20487.35	-

वर्ष 2000–2001 की वार्षिक कार्य योजना के शेष जारी धन का विवरण

वर्ष 2001–2002 में जनपद अल्मोड़ा को 21662.88 (रू0हजार में) का बजट आवंटित किया गया है, उक्त बजट आवंट, समय पर न हो पाने के कारण वार्षिक कार्य वर्ष 2001–2002 की समायावधि में पूर्ण नही हो पाए जिस कारण जनपद में कई मदों को आवंटित धनराशि अगले वर्ष यानि 2002–03 के लिए शेष जारी धन के रूप में प्राप्त हुई है। इस आवांटेत धनराशि द्वारा सभी कार्य वर्ष 2002–2003 में पूर्ण किए जाएंगे . शेष जारी धन से होने वाले कार्यो का विवरण निम्नवत् है ।

धारण :–

1. 4 नवीन उ0प्रा0वि0 400 प्रति विद्यालय की दर से 1600 रू0 ।

ठहराव :–

1. 50 शौचालय प्रा0वि0 15 प्रति विद्यालय की दर से 750 रू0 ।
2. 50 शौचालय प्रा0वि0 15 प्रति विद्यालय की दर से 750 रू0 ।
3. 07 प्रा0वि0 पुनर्निर्माण 275 प्रति विद्यालय की दर से 1925 रू0 ।
4. 03 उ0प्रा0वि0 पुनर्निर्माण 275 प्रति विद्यालय की दर से 1200 रू0 ।
5. 310 विद्यालयों (प्रा0वि0+30 प्रा0वि0)के रखरखाव 5 प्रति विद्यालय की दर से 1550 रू0 ।
6. 30 चहारदीवारी प्रा0वि0 40 प्रति विद्यालय की दर से 1200 रू0 ।
7. 20 चहारदीवारी उ0प्रा0वि0 50 प्रति विद्यालय की दर से 1000 रू0 ।
8. 1704 विद्यालयों (प्रा0वि0+उ0प्रा0वि0+हाई0इण्टर) हेतु 2 प्रति विद्यालय क दर से 3408 रू0 ।

गुणवत्ता संवर्द्धन :–

1. 36 BRC/URC Cordinator 0.07 प्रतिदिन प्रति Cordinator की दर से 25.2 रू0 ।
2. 56 संदर्भ व्यक्तियों (DIET) हेतु 0.01 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से 39.2 रू0 ।
3. 105 CRC समन्वयक हेतु 0.07 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से 73.54. रू0 ।
4- 22 ABS/SDR हेतु 0-07 प्रतिदिन (5 दिन) प्रति व्यक्ति की दर से 7.7 रू0 ।
5. 24 AE/JE हेतु 0.07 प्रतिदिन (5 दिन) प्रति व्यक्ति की दर से 8.4 रू0।
6. 3762 अध्यापको हेतु 5.00 प्रतिवर्ष की दर से 1881 रू0।
7. 97286 विधार्थियों हेतु निःशुल्क पुस्तकों के लिए 4020.45 रू0।

क्षमता संवर्द्धन :–

1. 12 BRC फर्नीचर हेतु 25 की दर से 300 रू0।
2. 105 CRC फर्नीचर हेतु 2 की दर से 210 रू0।

3. जिला परियोजना कार्यालय में टेलीफोन फैक्स हेतु 30 रू0।

4. किराये हेतु 5 रू0।

5. जिला परियोजना हेतु उपकरण 50 रू0।

6. जिला परियोजना फर्नीचर हेतु 50 रू0।

7. MIS Cell निर्माण हेतु 50 रू0।

8. MIS उपकरणों हेतु 333.9 रू0।

9. Printing हेतु 20 रू0।

नोट :– सभी धनराशि हजार में है ।

DISTT:- ALMORA

TABLE-B : Spill Over Work Plan for Coming (Next) Year 2002-03

Rupees in Thousands

Activities/Particular	Approximate		Balance Continue (Spill Over) Phy. Target	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remark
	Balance Phy. Target Balance	Balancing amount					
ACCESS A	B	C	D	E	F	G	H
A1.1 New Primary School							
2. New Upper Primary School	4	1600	4	400	1600		समयाभाव व बजट आवटन समय पर न हो पाने के कारण वर्ष 2001–2002 के स्वीकृत कार्य वर्ष 2002–2003 में पूर्ण किये जायेंगे।
3. Salary of P.S. New AT							
4. Salary of U.P.S. (New) AT							
5. Furniture/Fixture & Equipment P.S.							
6. Furniture/fixture & Equipment U.P.S.							
Sub total		**1600**			**1600**		
A2.1 E.G.S. Honorarium Instructor							
2. T.L.E./ E.G.S. Center							
3. Contingency							
4. Instructor Training							
5. T.L.M./Center							
6. Block Level Management							
A3.1 Back to School Campaign							
Sub total							
Total		1600			1600		

A	B	C	D	E	F	G	H
R.RETENTION							
R1.1 Additional class Room PS							
2. Additional Class Room UPS							
3. Additional room in BRC for library							
4. Additional Teacher in PS Existing New Building but posts are not sanctioned							
5. Para Teacher							
6. Tenth Five Year Plan AT							
7. Toilet PS	50	750	50	15	750		
8. Toilet UPS	50	750	50	15	750		
9. Reconstruction of old PS	7	1925	7	275	1925		
10. Reconstruction of old UPS	3	1200	3	400	1200		वर्ष 2001-2002 में स्वीकृत निर्माण कार्य समयाभाव व धन आवंटन समय पर न होने के कारण इन कार्यों को वर्ष 2002-2003 के कार्यों के साथ पूरा किया जायेगा।
11. Drinking water PS							
12. 11. Drinking water UPS							
13. Repair & Maintenance of PS & UPS	310	1550	310	5	1550		
14. Boundary Wall PS	30	15	30	40	1200		
15. Boundary Wall UPS	20	1000	20	50	1000		
16. School improvement Grant PS	376	2752	1376	2	2752		
17. School improvement Grant UPS HS/Intermediate	328	656	328	2	656		
Sub total		11783			11783		
R 2. Innovative Programme							
1. Summer Camp							
2. SUPW for Girls UPS							

A	B	C	D	E	F	G	H
3. MCDA Including gender Sensitization							
4. Remedial Teaching of SC/ST							
5. Annual days at CRC							
Sub Total							
R.3 ECCE							
1. Distribution of ECCE material							
2. Opening of ECCE (New)							
3. Additional Honorarium Instructor							
4. Contingency							
Sub Total							
R.4 Community mobilization							
1. MTA/PTA 8 Members							
2. Kala Jatha (Village to District Level)							
3. Development of awareness of Teacher							
4. Bal Mela at CRC							
5. Production of Audio Tapes							
6. Production Video Tapes							
7. Provision for disabled children							
8. School Health Check up CPS, UPS, HS/Inter							
9. Book bank, Library (PS,UPS)							
10. Assistance to NGO for Community mobilization							
Sub Total							

A	B	C	D	E	F	G	H
Total		11783			11783		
Q. QUALITY IMPROVEMENT							
Q1. Training Programme							
1. Induction training for Shiksha Mitra (30 days)							
2. Induction training for A.T. P.S. (30 Days)							
3. Induction training for A.T. UPS							
4. In service Teacher Training 10 days							
5. Training of Newly Trained Recruits 30 Days							
6. Refresher training for Shiksha Mitra 10 days							
7. Induction Training for E.G.S./AI. 30 days							
8. B.R.C./U.R.C. Co-ordinators 10 days							
9. Refresher training for E.G.C. 15 days							
10. C.R.C. Co-ordinator refresher training 10 days	105	73.5	105	0.07	73.5		वर्ष 2001–2002 में स्वीकृत प्रशिक्षण वर्ष 2002–2003 में देये जायेंगे ।
11.B.R.C./U.R.C./ Coordinators Management Training 5 days	36	25.2	36	0.07	25.2		
12. D.I.E.T. Staff Development Training for Staff 10 days	56	39.2	56	0.07	39.2		

A	B	C	D	E	F	G	H
13. Teacher training of Computer D.I.E.T.,U.P.S.,P.S. (20 days)							
14. Orientation of V.E.C (2 day)							
15.A.W.P.B Review & Training of Core-planning Team							
16. E.M.I.S. Training (5 days)							
17. Teacher/gender sensitization (3 days)(ABSA,BRC,CRC)							
18. ECCE Workers Training (30 days)							
19. A.B.S.A./S.D.I. Training 5 days	22	7.7	22	0.07	7.7		वर्ष 2001-2002 में स्वीकृत प्रशिक्षण वर्ष 2002-2003 में दिये जायेंगे ।
20. Training of J.E./A.E 5 days	24	8.4	24	0.07	8.4		
21. Block resource group training (2 days).							
22. Distt. resource group training (2 days).							
Sub total		154			154		
Q2.1 Teacher grants PS	2550	1275	2550	.500	1275		
2. Teacher grants UPS+HS+Inter	1212	606	1212	.500	606		
3. Free text book to primary school students Girls/SC/ST	70616	4020.45	70616		4020.45		वर्ष 2001-2002 में स्वीकृत निःशुल्क पुस्तकें वर्ष 2002-2003 में वितरित की जायेगी ।
4. Free Text Book for UPS +HS+Inter SC/ST	26670		26670				
5. Books for learning corner PS							
6. Books for learning corner UPS							
7. Printing & Distribution of training Guide (PS+UPS)							
8.Research and Evaluation							
Sub total		5901.45			5901.45		
Total		6055.45			6055.45		

A	B	C	D	E	F	G	H
C. CAPACITY BUILDING							
C1.DIET							
1. Construction							
2. Furniture							
3. Equipment AV Aids							
4. Computer Work Station							
5. Hiring							
6. POL							
7. Research/ Action Research							
8. Faculty Development							
9. Exposure visit							
10. Library							
11. Consumable for Computer							
12. Maintenance of DIET							
14. TA							
15. FAX/Contingency							
Sub total							
C2 BRC							
1. BRC Construction							
2. Salary Coordinators							
3. Salary Astt. Coordinators							
4. Equipment/Furniture	12	300	12	25	300		वर्ष 2001–2002 में स्वीकृत फर्नीचर 2002–2003 में क्रय किया जायेगा ।
5. TA							
6. Maintenance of Equipment							
7. Books							
8. Consumable							

A	B	C	D	E	F	G	H
9. Monthly review meetings of CRC							
10. Contingency							
11. Salary of PARA Teacher against BRC/CRC Coordinators							
Sub total		**300**			**300**		
C3 CRC (School Complex)							
1. Construction of CRC							
2. Salary Coordinator							वर्ष 2001–2002 में स्वीकृत फर्नीचर 2002–2003 में क्रय किया जायेगा ।
3. Equipment/furniture	105	210	105	2	210		
4. Library							
5. Contingency							
6. Monthly review meeting at CRC							
7. Monitoring & Supervision							
Sub Total		**210**			**210**		
C4 Library							
1. Equipment for BRC Library							
2. Honorarium							
3. News Paper & Magazine							
Sub Total							
C5 DPO							
1. Accountant							
2. Typist Clerk							
3. Peon							
4. Consultant							
5. Coordinators							
6. Books							

7. TA							
A	B	C	D	E	F	G	H
8. Consumables							
9. Telephone & FAX	1	30	1		30		
10. Vehicle							
11. Vehicle maintenance & POL							
12. Honorarium of JE & AE							
13. Maintenance of Equipment							
14. Hiring	1	5	1		5		
15. Supervision & Monitoring PS & UPS							
16. Contingency							
17. Equipment	1	50	1		50		
18. Furniture & Fixture	1	50	1		50		
19. Research & Evaluation							
Sub Total		135			135		
C6 MIS							
1. MIS Cell furnishing	1	50	1		50		
2. Salary of Computer operator							
3. MIS Equipment	1	333.9	1		333.9		
4. Printing & Data Formats		20			20		
5. Maintenance of Equipment							
6. Computer Consumables							
7. AWPB Formation							
Sub Total		403.9			403.9		
Total		913.9			913.9		
Grand Total		*20487.35*			*20487.35*		

जिला परियोजना कार्यालय के लिए वर्ष 2001–2002 में आंवटित धनराशि का उपयोग वर्ष 2002–2003 में किया जायेगा ।

सूचना प्रबन्धन प्रणाली हेतु 2001–2002 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग वर्ष 2002–2003 में किया जायेगा ।

PROPOSED BUDGET 2002 - 2003

CATEGORY	RS. IN THOUSAND	PERCENTAGE
ACCESS	8985	11.89
RETENTION	33415.5	44.24
QUALITY	15897	21.04
CAPACITY	17324	22.93
TOTAL	75521.5	-
CIVIL WORK	21575	28.56
BRC Construction	3600	4.7

वर्ष 2002–2003 की कार्य योजना

धारण (Access)

(1) प्राथमिक विद्यालय – 10 वर्ष की कार्य योजना में 102 असेवित बस्तियों हेतु 46 प्रा0वि0 प्रस्तावित किये गये हैं जिसमें से वर्ष 2001–02 में कोई भी नवीन प्रा0वि0 स्वीकृत नहीं हुआ। दस वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2002–03 में 11 नवीन प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं जो 25 असेवित बस्तियों को सेवित करेगी।

(2) उच्च प्राथमिक – जनपद अल्मोड़ा में 374 बस्तियों में उ0प्रा0पा0 की सुविधा नहीं है दस वर्ष की कार्य योजना में इन असेवित बस्तियों हेतु 54 उ0प्रा0वि0 खोलने का प्राविधान किया गया हैं। वर्ष 2001–02 में 4 उ0प्रा0वि0 स्वीकृत किये गये हैं। इसी क्रम में वर्ष 2002–03 में 12 उ0प्रा0वि0 प्रस्तावित हैं जिनसे 80 असेवित बस्तियां सेवित होंगी। इन विद्यालयों का चयन सर्वेक्षण व जन प्रतिनिधियों की मांग पर वरीयता से किया गया है।

(3) अध्यापकों का वेतन– वर्ष 2001–02 में जनपद के लिए चार उ0प्रा0वि0 स्वीकृत हैं जिनको संचालन करने के लिए प्रति विद्यालय तीन अध्यापक मानकानुसार प्रस्तावित किये गये हैं। 2002–03 में इनके लिए वेतन प्रस्तावित किया गया है।

(4) विद्यालयी साज सज्जा एवं अन्य उपकरण – वर्ष 2001–02 में स्वीकृत 4 उ0प्रा0वि0 के लिए वर्ष 2002–03 में साज सज्जा एवं अन्य उपकरण के लिए धन की मांग की गयी है।

ठहराव (Retention)

(1) अतिरिक्त कक्षा कक्ष– जनपद के उन हाईस्कूल/इण्टर कालेजों में जिनमें उ0प्रा0 कक्षाएं संचालित है तथा पर्याप्त कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं है जिनकी संख्या 5 हैं 70 प्रा0वि0पा0 में छात्र संख्या अधिक है इनके लिए कमरे पर्याप्त नहीं हैं। 70 अतिरिक्त कक्ष प्रस्तावित किये हैं, कुल 75 अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रस्तावित किये हैं।

(2) अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों का वेतन – वर्ष 1997 के बाद बने 117 विद्यालय भवनों के लिए अध्यापकों के पदों की स्वीकृति नहीं थी। 2001–02 में इन विद्यालयों के लिए 117 अध्यापक एवं 117 शिक्षा मित्रों की स्वीकृति मिली है। वर्ष 2002–03 के लिए इनके वेतन को आठ माह के लिए प्रस्तावित किया है।

वर्ष 2002–2003 की कार्य योजना

धारण (Access)

(1) प्राथमिक विद्यालय – 10 वर्ष की कार्य योजना में 102 असेवित बस्तियों हेतु 46 प्रा0वि0 प्रस्तावित किये गये हैं जिसमें से वर्ष 2001–02 में कोई भी नवीन प्रा0वि0 स्वीकृत नहीं हुआ। दस वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2002–03 में 11 नवीन प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं जो 25 असेवित बस्तियों को सेवित करेगी।

(2) उच्च प्राथमिक – जनपद अल्मोड़ा में 374 बस्तियों में उ0प्रा0पा0 की सुविधा नहीं है दस वर्ष की कार्य योजना में इन असेवित बस्तियों हेतु 54 उ0प्रा0वि0 खोलने का प्राविधान किया गया है। वर्ष 2001–02 में 4 उ0प्रा0वि0 स्वीकृत किये गये हैं। इसी क्रम में वर्ष 2002–03 में 12 उ0प्रा0वि0 प्रस्तावित हैं जिनसे 80 असेवित वस्तियां सेवित होंगी। इन विद्यालयों का चयन सर्वेक्षण व जन प्रतिनिधियों की मांग पर वरीयता से किया गया है।

(3) अध्यापकों का वेतन– वर्ष 2001–02 में जनपद के लिए चार उ0प्रा0वि0 स्वीकृत हैं जिनको संचालन करने के लिए प्रति विद्यालय तीन अध्यापक मानकानुसार प्रस्तावित किये गये हैं। 2002–03 में इनके लिए वेतन प्रस्तावित किया गया है।

(4) विद्यालयी साज सज्जा एवं अन्य उपकरण – वर्ष 2001–02 में स्वीकृत 4 उ0प्रा0वि0 के लिए वर्ष 2002–03 में साज सज्जा एवं अन्य उपकरण के लिए धन की मांग की गयी है।

ठहराव (Retention)

(1) अतिरिक्त कक्षा कक्ष– जनपद के उन हाईस्कूल/इण्टर कालेजों में जिनमें उ0प्रा0 कक्षाएं संचालित है तथा पर्याप्त कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं है जिनकी संख्या 5 है 70 प्रा0वि0पा0 में छात्र संख्या अधिक है इनके लिए कमरे पर्याप्त नहीं हैं। 70 अतिरिक्त कक्ष प्रस्तावित किये हैं, कुल 75 अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रस्तावित किये हैं।

(2) अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों का वेतन – वर्ष 1997 के बाद बने 117 विद्यालय भवनों के लिए अध्यापकों के पदों की स्वीकृति नहीं थी। 2001–02 में इन विद्यालयों के लिए 117 अध्यापक एवं 117 शिक्षा मित्रों की स्वीकृति मिली है। वर्ष 2002–03 के लिए इनके वेतन को आठ माह के लिए प्रस्तावित किया है।

(3) पुर्ननिर्माण प्रा0पा0– वर्ष 2001–02 में जनपद के लिए 10 ध्वस्त विद्यालयों हेतु पुर्ननिर्माण के लिए स्वीकृति हुए जिसमें से केवल 7 विद्यालयों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। वर्ष 2002–03 में 2001–02 के शेष 3 को सम्मिलित करते हुए 12 विद्यालयों हेतु कार्य योजना प्रस्तावित की गयी है।

(4) भवन हेतु उ0प्रा0पा0 – जनपद में संचालित 13 क्रमोत्तर विद्यालयों के लिए भवन नहीं है। इनके लिए वर्ष 2002–03 में भवन प्रस्तावित किये गये।

(5) मरम्मत एवं रखरखाव– 500 प्रा0पा0 एवं उ0प्रा0पा0 में जिनके रख रखाव एवं मरम्मत हेतु पांच हजार प्रति विद्यालय की दर से प्रस्तावित किया है। इन विद्यालयों में दरवाजे, खिड़कियों की चिटकनियां, श्यामपट्टों के स्टेंड बनाने, रंग, चूना करने में व्यय किया जायेगा।

(6) विद्यालय विकास अनुदान – जनपद के 1376 प्रा0पा0 तथा 362 उ0प्रा0पा0 हाईस्कूल/इण्टर कालेजों के विद्यालय विकास अनुदान प्रस्तावित किया गया है।

यह धनराशि साज सज्जा एवं सौन्दर्यीकरण में व्यय की जायेगी।

(7) नवाचार कार्यक्रम –

(क) ई0सी0सी0ई0

(1) ई0सी0सी0ई0 सामग्री वितरण – जनपद 135 केन्द्रों को प्राथमिकता के आधार पर सामग्री वितरण किया जायेगा। जनपद में 392 आंगनबाडी के केन्द्र आई0सी0डी0एस0 द्वारा संचालित है इन्हीं में से 135 केन्द्र लिए गये हैं।

(2) अतिरिक्त मानदेय – चयनित 135 कार्यकर्तियों को 250 रू0 का एवं सहायिकाओं को 125.00 के रूप में अतिरिक्त मानदेय का प्रस्ताव किया गया है ये कार्यकर्तियां सहायिकायें विद्यालय में पूरे समय उपस्थित रहेंगी। बच्चों की देखरेख एवं शिक्षण में सहायता करेंगी। विद्यालय में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करेंगी जिससे बच्चे मुख्यधारा में जुड़े सकेंगे।

(3) आकस्मिक व्यय – वर्ष 2002–03 में चयनित ई0सी0सी0ई0 केन्द्रो के लिए 1500.00 रू0 प्रति केन्द्र हेतु आकस्मिक व्यय का प्राविधान किया गया है।

(4) प्रशिक्षण – चयनित 135 ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के कार्यकर्तियों को 30 दिन का प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत वे बच्चों को पढ़ाने की विभिन्न विधियों, शिक्षण अधिगय सामग्री बनाने एवं उनके सफल प्रयोग बच्चों के ठहराव के लिए विभिन्न व्यूह रचनाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी।

(ख) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए समाजो उपयोगी उत्पादन कार्य– इस नवाचार कार्यक्रम के तहत जनपद के बालिका बाहुल्य 60 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया है जिसके तहत स्थानीय शिल्प कार्य, उत्पादन के आधार पर विभिन्न प्रकार के समाजोपयोगी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उत्पादन कार्य कराया जायेगा। इसके अन्तर्गत फल संरक्षण, कताई बुनाई, कढ़ाई दुग्ध उत्पादन निर्माण, हस्त शिल्प, बागवानी आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(8) सामुदायिक सहभागिता प्रोत्साहन – इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले चरण में 1577 विभिन्न ग्राम शिक्षा समितियों/स्कूल प्रबन्धक समिति के सदस्यों को दो दिन का अभिमुखी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें उन्हें विद्यालय, विद्यालय प्रबन्धन, छात्रों, अध्यापकों, सरकार द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी दी जायेगी तथा उनकी सभी कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

(9) विकलांग बच्चों हेतु प्रोत्साहन– सर्वेक्षण के आधार पर जनपद में 100 विकलांग बच्चें पाये गये। उनकी समुचित शिक्षा हेतु वर्ष 2002–03 की कार्य योजना में धनराशि आवंटन करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस धनराशि का उपयोग से विकलांग बच्चों को विद्यालय लाने ले जाने व उनसे सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्यों में लगाया जायेगा।

गुणवत्ता संवर्द्धन

(क) शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यावरण (आर0ई0एम0एस) –

(1) बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण– जनपद के 11 बी0आर0सी0 तथा 1 यू0आर0सी0 के समन्वयकों को दस दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिया जायेगा जिसमें उनको सर्व शिक्षा के समस्त पहलुओं का प्रशिक्षण देते हुए शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में दक्ष बनाया जायेगा।

(2) डायट के अध्यापकों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण– डाइट के 28 अध्यापकों को 20 दिन का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जायेगा। कम्प्यूटर प्रशिक्षित अध्यापक जनपद में लगाये जाने वाले कम्प्यूटर युक्त विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

निर्माण एवं न्यूनतम शिक्षण अधिगम आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(2) सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण– जनपद के समस्त प्रा0पा0, उ0प्रा0पा0, हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों के सेवारत 3915 अध्यापकों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें सर्व शिक्षा के प्रत्यय को समुचित रूप से व्याखित किया जायेगा। इस अभियान में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए जुम्मेदारियां सौंपी जायेंगी प्रशिक्षण के बाद वे जन समुदाय व योजना के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। प्रशिक्षण में उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं उनके प्रयोग के बारे में जानकारी दी जायेगी।

(3) अध्यापक अनुदान – जनपद में कार्यरत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टर एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को यह अनुदान 500 रू0 के रूप में दिया जाना है। हाईस्कूल एवं इण्टर के तीन–तीन अध्यापकों को लिया जायेगा। अनुदान की इस धनराशि से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को आकर्षक, रूचिपूर्ण एवं गुणवत्ता परक बनाने हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करेंगे।

(4) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें – जनपद में 2003–2004 के शैक्षणिक सत्र हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रस्ताव कार्ययोजना में किया है। 30 सितम्बर 2001 में 2 प्रतिशत छात्र संख्या में वृद्धि करते हुए 2003–04 में कुल 117166 बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का अनुदान प्रस्तावित किया गया है। कक्षावार पाठ्य पुस्तकों के मूल्य एवं छात्र संख्या निम्नांकित है –

कक्षा	छात्र संख्या	पाठ्य पुस्तकों का मूल्य	कुल धनराशि
1	14983	9.43	141.290
2	15728	17.36	273.03
3	16617	40.40	671.327
4	15275	64.41	983.863
5	14327	67.45	966.356
6	15052	133.16	2004.324
7	13239	139.86	1851.607
8	11945	153.27	1830.810
योग –	117166		9594.875

कुल धनराशि में 10 प्रतिशत ढुलान व्यय भी जोड़कर प्रस्तावित किया गया है।

क्षमता सम्वर्धन –

(1) डायट – डायट के द्वारा सर्व शिक्षा को गति देने के लिए जीप किराया, पेट्रोल, यात्रा भत्ता, फेक्स एवं आकस्मिक व्यय को प्रस्तावित किया गया है।

(2) ब्लाक संशाधन केन्द्र– 11 ब्लाक एवं 1 यू0आर0सी0 में 5 प्रतिशत कुल बजट की निर्माण सीमा को ध्यान में रखते हुए 5 बी0आर0सी0 एवं 1 यू0आर0सी0 को प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक बी0आर0सी0 व यू0आर0सी0 के लिए एक समन्वयक, दो सहायक समन्वयक, के पद प्रस्तावित किये गये हैं।

वी0आर0सी0, यू0आर0सी0 समन्वयकों, सहायक समन्वयकों को आठ महीने का वेतन भी प्रस्तावित किया गया है।

प्रत्येक बी0आर0सी0, यू0आर0सी0 हेतु उपकरण एवं साज सज्जा के 2001–02 में 25 हजार रूपया आवंटित किया गया है। 2002–03 में इसी क्रम में प्रत्येक वी0आर0सी0/यू0आर0सी0 के लिए 75 हजार रू0 का प्रस्ताव किया गया है इस धनराशि से बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 कार्यालय हेतु टाइपराटर, कम्प्यूटर, साज सज्जा एवं अन्य सामग्री का क्रय किया जायेगा।

इन केन्द्रों पर बैठकों एवं समन्वयकों के यात्रा भत्ता के रूप में प्रतिमाह, प्रतिकेन्द्र रू0 500.00 की दर से प्रस्तावित है तथा आकस्मिक व्यय के रूप में रू0 12500 प्रस्तावित है।

(3) संकुल संशाधन केन्द्र– जनपद में 105 संकुल संशाधन केन्द्र प्रस्तावित है। इन केन्द्रों हेतु 2001–02 में प्रति केन्द्र दो हाजर रूपये आवंटित हुआ है। शेष आठ हजार रूपये प्रति केन्द्र की दर से 2002–03 के लिए धनराशि प्रस्तावित है। इस धनराशि से केन्द्र के लिए साज सज्जा एवं आवश्यक उपकरणों को क्रय किया जायेगा।

आकस्मिक व्यय के रूप में प्रत्येक केन्द्र को रू0 2500.00 की दर से धनराशि प्रस्तावित है।

इन केन्द्रों पर प्रत्येक माह होने वाली बैठकों एवं यात्रा भत्ता के रूप में प्रति केन्द्र रू0 200.00 का प्रस्ताव किया गया है।

जिला परियोजना कार्यालय –

(1) इस कार्यालय हेतु एक लेखाकार, एक सहायक लेखाकार, एक लिपिक, दो चपरासी, एक विशेषज्ञ, एक कम्प्यूटर आपरेटर एवं चार जिला समन्वयकों के प्रस्तावित पदों हेतु आठ माह का वेतन प्रस्तावित है।

(2) यात्रा भत्ता, गाड़ी के ईधन हेतु धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

(3) दूरभाष एवं फेक्स हेतु रू0 5000 प्रस्तावित हैं। वर्ष 2001–02 में इस मद में रू0 30000 आवंटित किये जा चुके हैं। यह धनराशि टेलीफोन एवं फेक्स संयोजन प्रतिमाह इनके आने वाले बिल में खर्च किये जायेंगे।

(4) जे0ई0/ए0ई0 का मानदेय– निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के देख भाल हेतु अभियन्ताओं को रू0 500 की दर से 192 भ्रमण प्रस्तावित हैं। इन भ्रमणों के तहत अभियन्ताओं द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति, निर्माण कार्यो की गुणवत्ता आदि का गहन निरीक्षण करेंगे एवं अपने सुझाव सम्बन्धित को देंगे।

(5) प्रबन्ध सूचना प्रणाली– वर्ष 2001–02 के आवंटित बजट में जनपद को कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर कक्ष की साज सज्जा सामग्री हेतु धन 50000 रू0 उपलब्ध कराया गया हैं। वर्ष 02–03 की कार्य योजना में इनके रख रखाव, प्रपत्रों के मुद्रण एवं वार्षिक कार्य योजना के निर्माण हेतु बजट का प्राविधान किया गया है।

DRG प्रशिक्षण

प्रतिभागी – 30

अवधि – 2 दिन

क्रम सं0	नाम पद			धनराशि
1.	आवास एवं भोजन	100x 30x2	=	6000.00
2.	यात्रा भत्ता	150x 30	=	4500.00
3.	सनेटरी	50x 30	=	1500.00
4.	आकस्मिक व्यय	5000	=	5000.00
	कुल योग			**12500.00**

BRG प्रशिक्षण

प्रतिभागी – 96

अवधि – 2 दिन

स्थान – BRC / अन्य उपलब्ध सभागार

क्रम सं0	नाम पद			धनराशि
1.	आवास एवं भोजन	100x 96x2	=	19200.00
2.	यात्रा भत्ता	50x 96	=	4800.00
3.	सनेटरी	20x 96	=	1920.00
4.	आकस्मिक व्यय	500	=	500.00
	कुल योग			**26420.00**

DISTT:- ALMORA

TABLE-C : Plan for Coming (Next) Year 2002-03

Rupees in Thousands

Activities/Particulars	Physical Target	Unit Coast	Approximate Financial Investment	Time Schedule	Remarks
ACCESS A	B	C	D	E	F
A1.1 New Primary School	11	275	3025	5 mths.	
2. New Upper Primary School	12	400	4800	6 mths.	
3. Salary of U.P.S. (New) AT	12	10	960	8 mths.	
4. Furniture/fixture & Equipment U.P.S.	4	50	200	1 mths.	
Sub total			**8985**		
Total			**8985**		
R.RETENTION					
R1.1 Additional class Room PS	75	70	5250	5 mths	
2. Additional Teacher in PS Existing New Building but posts are not sanctioned	117	8.5	7956	8 mths	
3. Para Teacher	117	2.75	2574	8 mths	
4. Reconstruction of old PS	12	275	3300	7 mths	
5. Reconstruction/Building less UBS	13	400	5200	10 mths	
6. Repair & Maintenance of PS & UPS	500	05	2500	10 mths	
7. School improvement Grant PS	1376	02	2752	1 mths	
8. School improvement Grant UPS HS/Intermediate	362	02	724	1 mths	
Sub total			**30256**		

R 2. (A) Innovative Programme					
1. SUPW for Girls UPS	60	25	1500	2 mths	
(B) ECCE					
1. Distribution of ECCE material	135	5/centre	675	2 mtns	
2. Add. Honorarium Assistant	135	125	135	8 mths	
3. Additional Honorarium Instructor	135	250	270	8 mths	
4. Contingency	135	1 5	202 5	8 mths	
Training of Instructor	135	1 2	162		
Sub Total			**2944.5**		
R.4 Community mobilization					
1. VEC/SMC (8 Members 2 days)	1577	0 03	95		
2. Provision for disabled children	100	1 2	120	1 mth	
Sub Total			**215**		
Total			**33415.5**		
Q. QUALITY IMPROVEMENT					
Q1. Training Programme					
1. Induction training for Shiksha Mitra (30 days)	117	0 7	246		
2. In service Teacher Training 10 days	3915	07	2741		
Sub Total			**2987**		
Q2. **REMS**					
1. BRC/URC Coordinator Trg. 10days	12	0 3	18		
2. Research/ Action Research	1	50	50		
3. Computer Consumables	1	25	25		
4. Printing & Data Format	1	20	20		
5. Honorarium of Resource person	25	1 7	43		
6. Teacher training of Computer D I.E.T.,U.P.S.,P.S. (20 days)	28	1 5	840		
7. B.R.G training (2 days)	96	140	27		

A	B	C	D	E	F
8. D.R.G. training (2 days).	30	.215	13		
9. Monitoring and supervision	1738	.07	246		
Sub total			**1282**		
Q3. Grant					
1 Teacher grants PS	2550	500	1275	1 mths	
2. Teacher grants UPS+HS+Inter	1365	500	683	1 mths	
3. Free text book to primary school students Girls/SC/ST	76930	.04	3077	1 mths	
4. Free Text Book for UPS +HS+Inter SC/ST	40236	.142	5714	1 mths	
5. 10% Loading Unloading			879		नवत किताबों का वितरण वर्ष 2003 04 में किया जायगा और इस सत्रांत में भविष्य में छात्रों की संख्या में वृद्धि होने पर किताबों की आवश्यकता की आपूर्ति तथा ढुलाई का व्यय वहन किया जायेगा।
Sub total			**11628**		
Total			**15897**		
C. CAPACITY BUILDING					
C1.DIET					
1. Hiring	1	50	50	12 mths	
2. POL	1	50	50	12 mths	
3. TA	1	50	50	12 mths	
4 FAX/Contingency	1	30	30		
Sub total			**180**		
C2 BRC					
1. BRC/URC Construction	6	600	3600	6 mths	
2. Salary Coordinators	12	12	1152	8 mths	
3. Salary Astt. Coordinators	24	8.5	1632	8 mths	
4. Equipment/Furniture	12	75	900	3 mths	
5. TA & meetings	12	.5/Per mth	48	8 mths	
6. Contingency	12	12.5	150	8 mths	
Sub Total			**7482**		

A	B	C	D	E	F
C3 CRC (School Complex)					
1. Construction of CRC					
2. Salary Coordinator	105	8.5	7140	8 mths	
3. Equipment/furniture	105	8	840	2 mths	
4. Contingency	105	2.5	263	12 mths	
5. Monthly review meeting at CRC	105	0.2	168	8 mths	
Sub Total			**8411**		
C4 DPO					
1. Accountant	1	12	96	8 mths	
2. AAO	1	12	96	8 mths	
3. Salary of Computer Operator	1	8.5	68	8 mths	
4. Typist Clerk	1	7	56	9 mths	
5. Peon	2	5	80	8 mths	
6. Consultant	1	10/year	10		
7. Coordinators	4	12	384	8 mths	
8. TA	1	100	100	8 mths	
9. Telephone & Fax	1	5	5	8 mths	
10. Vehicle maintenance & POL	1	50	50	8 mths	
11. Honorarium of JE & AE	192 visit	.5/visit	96		
12. Contingency	1	80	80		
Sub Total			**1121**		
C6 MIS					
1. AWPB Formation	1		30		
Sub Total			**30**		
Total			**17324**		
Grand Total			**755215**		

DISTT:- ALMORA

TABLE-D : According to man activities expenses (Year 2001 – 02)

(Rupees in Thousands)

Activities Particular Main/Subhead	AWPB Last Year	Re-Appropriation	Revised Sanctioned Amount	Expressed of the last year till 31st March	Approximate Balance Amount	Approximate Saving Amount	Spill Over For Next Year 2002-03	Fresh Plan for 2002-03	Total H + I	Remarks
ACCESS A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A1.1 New Primary School (Unserved)								3025	3025	समयाभाव व बजट आवंटन समय पर न हो पाने के कारण वर्ष 2001–2002 के स्वीकृत कार्य वर्ष 2002–2003 में पूर्ण किये जायेंगे।
2. New Upper Primary School	1600				1600		1600	4800	6400	
3. Salary of U.P.S. (New) AT								960	960	
4. Furniture/fixture & Equipment U.P.S.								200	200	
Sub total	**1600**				**1600**		**1600**	**8985**	**10585**	
Total	**1600**				**1600**		**1600**	**8985**	**10585**	
R.RETENTION										
R1.1 Additional class Room PS								5250	5250	
2. Honorarium of Para Teacher	789.5				789.5			2574	2574	
3. Additional Teacher in PS Existing New Building but posts are not sanctioned	2106				2106			7956	7956	
4. Toilet PS	750				750		750		750	
5. Toilet UPS	750				750		750		750	
6. Reconstruction of old PS	2750				2750		1925	3300	5225	
7. Reconstruction of old UPS	2000				2000		1200	5200	6400	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
8. Repair & Maintenance of PS & UPS	1560				1560		1550	2500	7810	
9. Boundary Wall PS	2000				2000		1200		1200	
10. Boundary Wall UPS	1000				1000		1000		1000	
11. School improvement Grant PS	2752				2752		2752	2752	5504	
12.School improvement Grant UPS HS/Intermediate	656				656		656	724	1380	
Sub Total	**17113.75**				**16324**		**11783**	**30256**	**42039**	
R2. Innovative Programme										
1. Summer Camp	120				120					
2. SUPW for Girls UPS								1500	1500	
3. MCDA including gender sensitization	300				300					
4. Remedial teaching of SC/ST	169.20				169.20					
5. Annual days at CRC										
Sub Total	**589.2**				**589.2**			**1500**	**1500**	
R.3 ECCE										
1. Distribution of ECCE material	1395				1395			675	675	
2. Training of Instructor								162	162	
3. Additional Honorarium Instructor	105				105			270	270	
4. Additional Honorarium of Assistant								135	135	
5. Contingency								202.5	202.5	
Sub Total	**1500**				**1500**			**1444.5**	**1444.5**	
R.4 Community mobilization										
1. (i) VEC/SMC Training (8 Members) (2 Days)								95	95	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2. (ii) Kala Jatha (Village to District Level)	840				840					
3. Remedial Teaching of SC/ST										
4. Provision for disabled children	30				30			120	120	
5. Assistance to NGO for Community mobilization	56.4				56.4					
Sub Total	926.4				926.4			215	215	
Total	20129.35				18660.4		11783	33415.5	45198.5	
Q. QUALITY IMPROVEMENT										
Q1. Training Programme										
1. Induction training for Shiksha Mitra (30 days)								246	246	
2. In service Teacher Training 10 days	420				420			2741	2741	
3. C.R.C. Co-ordinator refresher training 10 days	73.5				73.5		73.5	74	147.5	
4. B.R.C./U.R.C. Co-ordinators Management Training 5 days	25.2				25.2		25.2		25.2	
Sub Total	137.7				137.7		98.7	2987	3085.7	
Q2. REMS										
1. D.I.E.T. Staff Development Training for Staff 10 days	39.2				39.2		39.2		39.2	
2. Teacher training of Computer D.I.E.T.,U.P.S.,P.S. (20 days)								840	840	
3. BRC/URC Co-ordinator Training (10 days)								18	18	
4. Research/Action research								50	50	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
5. Honorarium of resource person								43	43	
6. Computer Consumables								25	25	
7. Printing/Data format								20	20	
8. A.B.S.A./S.D.I. Training 5 days	7.7				7.7		7.7		7.7	वर्ष 2001–2002 में स्वीकृत प्रशिक्षण वर्ष 2002–2003 में दिये जायेंगे ।
9. Training of J.E./A.E 5 days	8.4				8.4		8.4		8.4	
10. B.R.G. Training (2 days).								27	27	
11. D.R.G Training (2 days).								13	13	
12. Monitoring & supervision by State/District/Block								246	246	
Sub total	**574**				**574**		**574**	**1282**	**1337.30**	
Q3. Grants										
1 Teacher grants PS	1275				1275		1275	1275	2550	वर्ष 2001–2002 में स्वीकृत निःशुल्क पुस्तकें वर्ष 2002–2003 में वितरित की जायेंगी ।
2. Teacher grants UPS+HS+Inter	606				606		606	683	1289	
3. Free text book to primary school students Girls/SC/ST	10592.9				10592.9		4020.45	3077	7097.45	
4. Free text Book for UPS+HS+Inter	4000				4000			5714	5714	
5. 10% Loading Unloading								879	879	चूँकि निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वर्ष 2003–04 में वितरित की जायेंगी। इसलिए इस धनराशि से भविष्य में छात्रों की संख्या में वृद्धि होने पर किताबों की व्यवस्था की जायेगी, तथा ढुलान का व्यय दिया जायेगा।
Sub Total	**16473.9**				**16473.9**		**5901.45**	**11628**	**17529.45**	
Total	**17047.9**				**17047.9**		**6055.45**	**15897**	**21952.45**	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
C. CAPACITY BUILDING										
C1.DIET										
1. Hiring								50	50	
2. POL								50	50	
3. TA								50	50	
4. FAX/Contingency								30	30	
Sub total								**5545**	**5545**	
C2 BRC										
1. BRC/URC Construction								3600	3600	
2. Salary Coordinators	270				270			1152	1152	
3. Salary Astt. Coordinators	540				540			1632	1632	
4. Equipment/Furniture	300				300		300	900	1200	वर्ष 2001–2002 में स्वीकृत फर्नीचर 2002–2003 में क्रय किया जायेगा ।
5. TA & Meetings	20				20			48	48	
6. Monthly review meetings of CRC	126				126					
7. Contingency								150	150	
Sub total	**1256**				**1256**		**300**	**7484**	**7782**	
C3 CRC (School Complex)										
1. Construction of CRC										
2. Salary Coordinator	2362.5				2362.5			7140	7140	वर्ष 2001–2002 में स्वीकृत फर्नीचर 2002–2003 में क्रय किया जायेगा ।
3. Equipment/furniture	210				210		210	840	1050	
4. Contingency	262.5				262.5			263	263	
5. Monthly review meeting at CRC & TA								168	168	
Sub Total	**3147.4**				**3076**	**241**	**210**	**8411**	**8621**	
C5 DPO										
1. Accountant	30				30			96	96	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
2. AAO								96	96	
3. Typist clerk	21				21			56	56	
4. Peon	09				09			80	80	
5. Consultant	23				23			10	10	
6. Coordinators	120				120			384	384	
7. Salary of Computer Operator								68	68	
8. TA	20				20	20		100	100	
9. Consumables	25				25					
10. Telephone & FAX	30				30		30	05	35	
11. Vehicle maintenance & POL	50				50	25		50	50	
12. Honorarium of JE & AE								96	96	
13. Maintenance of Equipment	10				10	10				
14. Hiring	05				05		05		05	
15. Supervision & Monitoring PS & UPS	624.8				624.8	482				
16. Contingency	10				10	10		80	80	
17. Equipment	50				50		50		50	
18. Furniture & Fixture	50				50		50		50	
19. Research & Evaluation	468.6				486.6	362.5				
Sub Total	1535.4				1535.4	934.5	135	1121	1256	
C6 MIS										
1. MIS Cell furnishing	50				50		50		50	सूचना प्रबन्धन प्रणाली हेतु 2001–2002 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग वर्ष 2002–2003 में किया जायेगा ।
2. Salary of Computer operator	21				21					
3. MIS Equipment	460				460		333.9		333.9	
4. Printing & Data Formats	20				20		20		20	
5. Maintenance of Equipment										
6. Computer Consumables	25				25					
7. AWPB Formation								30	30	
Sub Total	419.9				419.9	1175.5	403.9	30	433.9	
Total	6358.7				6287.3	1175.5	1048.9	17224	18272.9	
GRAND TOTAL	46965.77				46965.77	1175.5	20487.35	75521-5	96008-85	

DISTT:- ALMORA

TABLE-E : Spill Over & saving of year 2001-2002

Rupees in Thousands

Activities/Particulars	Last Year AWPB 2001-02	Total Sanction from AWPB 2001-02	Spill Over 2001-02	Saving 2001-02
ACCESS A	B	C	D	E
A1.1 New Primary School				
2. New Upper Primary School	1600	1600	1600	
3. Salary of P.S. New AT				
4. Salary of U.P.S. (New) AT				
5. Furniture/Fixture & Equipment P.S				
6. Furniture/fixture & Equipment U.P.S.				
Sub total	**1600**	**1600**	**1600**	
A2.1 E.G.S. Honorarium Instructor				
2. T.L.E. E.G.S. Center				
3. Contingency				
4. Instructor Training				
5. T.L.M. Center				
6. Block Level Management				
A3.1 Back to School Campaign				
Sub total				
Total	1600	1600	1600	

A	B	C	D	E
R.RETENTION				
R1.1 Additional class Room PS				
2. Additional Class Room UPS				
3. Additional room in BRC for library				
4. Additional Teacher in PS Existing New Building but posts are not sanctioned	2106			
5. Para Teacher	789.75			
6. Tenth Five Year Plan AT				
7. Toilet PS	750	750	750	
8. Toilet UPS	750	750	750	
9. Reconstruction of old PS	2750	1925	1925	
10. Reconstruction of old UPS	2000	1200	1200	
11. Drinking water PS				
12. 11. Drinking water UPS				
13. Repair & Maintenance of PS & UPS	1560	1550	1560	
14. Boundary Wall PS	2000	1200	1200	
15. Boundary Wall UPS	1000	1000	1000	
16. School improvement Grant PS	2752	2752	2752	
17. School improvement Grant UPS	656	656	656	
18. School improvement Grant HS/Intermediate				
Sub total	17113.75	11783	11783	
R 2. Innovative Programme				
1. Summer Camp	126			
2. SUPW for Girls UPS				

A	B	C	D	E
3. MCDA Including gender Sensitization	300			
4. Remedial Teaching of SC/ST	289.2			
5. Annual days at CRC				
Sub Total	**589.2**			
R.3 ECCE				
1. Distribution of ECCE material	1395			
2. Opening of ECCE (New)				
3. Additional Honorarium Instructor	105			
4. Contingency				
Sub Total	**1500**			
R.4 Community mobilization				
1. MTA/PTA S Members				
2. Kala Jatha (Village to District Level)	840			
3. Development of awareness of Teacher				
4. Bal Mela at CRC				
5. Production of Audio Tapes				
6. Production Video Tapes				
7. Provision for disabled children	30			
8. School Health Check up CPS, UPS, HS/Inter				
9. Book bank, Library (PS,UPS)				
10. Assistance to NGO for Community mobilization	56.4			
Sub Total	926.4			
Total	20129.35	11783	11783	

A	B	C	D	E
Q. QUALITY IMPROVEMENT				
Q1. Training Programme				
1. Induction training for Shiksha Mitra (30 days)				
2. Induction training for A.T. P.S. (30 Days)				
3. Induction training for A.T. UPS				
4. In service Teacher Training 10 days	420			
5. Training of Newly Trained Recruits 30 Days				
6. Refresher training for Shiksha Mitra 10 days				
7. Induction Training for E.G.S./AI. 30 days				
8. B.R.C./U.R.C. Co-ordinators 10 days				
9. Refresher training for E.G.C. 15 days				
10. C.R.C. Co-ordinator refresher training 10 days	73.5	73.5	73.5	
11.B.R.C./U.R.C./ Coordinators Management Training 5 days	25.2	25.2	25.2	
12. D.I.E.T. Staff Development Training for Staff 10 days	39.2	39.2	39.2	
13. Teacher training of Computer D.I.E.T.,U.P.S.,P.S. (20 days)	840			
14. Orientation of V.E.C (2 day)	582.72			

A	B	C	D	E
15.A.W.P.B Review & Training of Core-planning Team				
16. E.M.I.S. Training (5 days)				
17. Teacher / gender sensitization (3 days) (ABSA,BRC,CRC)	240			
18. ECCE Workers Training (30 days)				
19. A.B.S.A./S.D.I. Training 5 days	7.7	7.7	7.7	
20. Training of J.E./A.E 5 days	8.4	8.4	8.4	
21. Block resource group training (2 days).				
22. Distt. resource group training (2 days).				
Sub total	**2236.72**	**154**	**154**	
Q2.1 Teacher grants PS	1275	1275	1275	
2. Teacher grants UPS+HS+Inter	606	606	606	
3. Free text book to primary school students Girls/SC/ST	10592.9	4020.45	4020.45	
4. Free Text Book for UPS +HS+Inter SC/ST	4000			
5. Books for learning corner PS				
6. Books for learning corner UPS				
7. Printing & Distribution of training Guide (PS+UPS)				
8.Research and Evaluation				
Sub total	**16473.9**	**5901.45**	**5901.45**	
Total	18710.62	6055.45	6055.45	
C. CAPACITY BUILDING				
C1.DIET				
1. Construction				
2. Furniture				

A	B	C	D	E
3. Equipment AV Aids				
4. Computer Work Station				
5. Hiring				
6. POL				
7. Research/ Action Research				
8. Faculty Development				
9. Exposure visit				
10. Library				
11. Consumable for Computer				
12. Maintenance of DIET				
14. TA				
15. FAX/Contingency				
Sub total				
C2 BRC				
1. BRC Construction				
2. Salary Coordinators	270			
3. Salary Astt. Coordinators	540			
4. Equipment/Furniture	300	300	300	
5. TA				
6. Maintenance of Equipment	20	20	20	
7. Books				
8. Consumable				
9. Monthly review meetings of CRC	126			
10. Contingency				
11. Salary of PARA Teacher				
Sub Total	**1256**	**300**	**300**	

A	B	C	D	E
C3 CRC (School Complex)				
1. Construction of CRC				
2. Salary Coordinator	2362.5			
3. Equipment/furniture	210	210	210	
4. Library				
5. Contingency	26.25			
6. Monthly review meeting at CRC				
7. Monitoring & Supervision	312.4	241		241
Sub Total	**3147.4**	**451**	**210**	**241**
C4 Library				
1. Equipment for BRC Library				
2. Honorarium				
3. News Paper & Magazine				
Sub Total				
C5 DPO				
1. Accountant	30			
2. Typist Clerk	21			
3. Peon	09			
4. Consultant	03			
5. Coordinators	120			
6. Books				
7. TA	20	20	20	
8. Consumables	25	25	25	
9. Telephone & FAX	30	30	30	
10. Vehicle				
11. Vehicle maintenance & POL	50	25		25
12. Honorarium of JE & AE				

13. Maintenance of Equipment	10	10		10
14. Hiring				
15. Supervision & Monitoring PS & UPS				
16. Contingency				
17. Equipment	50	50	50	
18. Furniture & Fixture	50	50	50	
19. Research & Evaluation	468.6	362.5		362.5
Sub Total	**1526.4**	**1069.5**	**135**	**898.5**
C6 MIS				
1. MIS Cell furnishing	50	50	50	
2. Salary of Computer operator	21			
3. MIS Equipment	460	333.9	333.9	
4. Printing & Data Formats	20	20	20	
5. Maintenance of Equipment	20			
6. Computer Consumables	25			
7. AWPB Formation				
Sub Total	**596**	**403.9**	**403.9**	**1139.5**
Total	6525.8	2224.4	**913.9**	**1139.5**
Grand Total	*46965.77*	*21662.85*	*20487.35*	*1175.5*

1. बी0आर0सी0 2002–03

क्र. सं.	बी.आर.सी. का नाम
1.	हवालबाग
2.	द्वाराहाट
3.	नगर क्षेत्र
4.	ताड़ीखेत
5.	सल्ट
6.	लमगड़ा

प्रस्तावित नवीन प्राथमिक विद्यालय 2002–2003

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम सभा का नाम	प्रस्तावित बस्ती का नाम	अनुमानित जनसंख्या	निकटतम विद्यालय से दूरी (कि.मी.)	अनुमानित छात्र संख्या
1.	ताकुला	चौड़ा	फल्यारी	272	1.5	30
2.	ताड़ीखेत	लछीना	मनारी नवीन	323	1.5	58
3.	द्वाराहाट	कुंवाली	बूंगा	213	1.5	25
4.	धौला देवी	धनाड़	धनाड़	225	2.0	35
5.	भिकियासैण	थापला	थापला	500	2.0	35
6.	भैंसियाछाना	दियारी	दियारीकूना	250	2.0	40
7.	लमगड़ा	ढैली	ढैली	253	2.0	45
8.	स्याल्दे	कफलगैर	भावर	280	2.0	30
9.	सल्ट	रिक्वासी	रिक्वासी	250	1.5	50
10.	सल्ट	खोल्यों	खोल्यों	300	1.5	60
11	हवालबाग	सिमल्टा	क्वैराली	200	1.5	30

प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय 2002–2003

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम सभा का नाम	प्रस्तावित बस्ती का नाम	अनुमानित जनसंख्या	निकटतम विद्यालय से दूरी (कि.मी.)	अनुमानित छात्र संख्या
1.	चौखुटिया	टिमटा	टिमटा	500	5.5	45
2.	ताकुला	वामनीगाड़	वामनीगाड़	500	5.0	34
3.	ताड़ीखेत	अल्मियाकांडे	अल्मियाकांडे	734	4.0	50
4.	द्वाराहाट	उडुलीखान	उडुलीखान	650	5.0	40
5.	धौलादेवी	विरकोला	विरकोला	1115	5.5	65
6.	भिकियासैण	इन्डा	इन्डा	550	4.0	40
7.	भैंसियाछाना	दन्यौरा	ल्वैटा	500	5.0	45
8.	लमगड़ा	सैजमाटकोट	कपिलेश्वर	500	5.0	35
9.	स्याल्दे	कल्याणपुर	कल्याणपुर	1080	5.5	45
10	सल्ट	मैठाणी	मैठाणी	1500	4.5	40
11.	हवालबाग	सिद्धपुर	सिद्धपुर	400	4.0	25
12.	नगरक्षेत्र	डुबकिया	डुबकिया	500	4.0	35

VIII. प्रस्तावित अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक विद्यालय) 2002–2003

क्र0सं0	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	
1.	चौखुटिया	चौखुटिया	जमणिया
		गोदी	धामदेवल
		पटलगॉव	मांसी
2.	भौसियाछाना	नाली	अलई
		धन्यान	कनारीछीना
3.	लमगड़ा	लमगड़ा	पौधार
		जाखनकाने	फूटा
		जयन्ती	शहरफाटक
		देवीथल	दाड़िमी
4.	स्याल्दे	चक्करगॉव	देघाट
		उदयपुर	जसपुर
		बसई	मटखाली
5.	द्वाराहाट	रियूनी	डडोली
		बगवालीपोखर	रवाड़ी
		सलना	बटुलिया
		जालली	कुवाली
6.	ताकुला	सोमेश्वर	सुनोली
		भैसडगॉव	गंगलाकोटुली
		झिझाड	
7.	धौलादेवी	दूनाथल	धसपड़
		अंडोली	भनोली
		ध्याड़ी	चगेठी
		मेलगॉव	कोटुली
		बाड़ीकोटयूड़ा	
8.	भिकियासैण	भिकियासैण	रापड़ रंगीड़ा
		नौंवाड़ा	तकुल्टी
		सिनोंडा	
9.	ताड़ीखेत	चिलियानौला	पीपली
		टाना	पनघट
		उड़ूली	विश्वा
10.	हवालबाग	खत्याड़ी–1	खत्याड़ी–2
		वल्टा	ग्वालाकोट
		ओडला	शीतलाखेत
		नौला	सिद्धपुर
		मोमडछीना	
11.	सल्ट	डंगोला	हरड़ा
		खुनाड	भ्याड़ी
		देवायल	पैसिया, मछोड़
12.	नगरक्षेत्र	एन0टी0डी0	गोपालधारा

तालिका

जनपद अल्मोड़ा में विकलांग बच्चों की स्थिति

क्र.स.	विकासखण्ड का नाम	अपग		गूगे / बहरे		नेत्रहीन		अधापन		मंदबुद्धि		योग	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	ताकुला	3	3	–	3	–	–	–	–	–	1	3	7
2.	ताडीखेत	4	4	1	2	–	–	–	–	2	1	8	2
3	हवालबाग	6	6	3	–	–	–	2	1	2	10	13	17
4.	स्याल्दे	14	10	1	1	–	–	1	–	4	–	20	11
5.	लमगड़ा	–	3	3	–	–	–	1	–	–	3	3	9
6.	चौखुटिया	1	2	7	2	–	1	–	–	2	2	10	7
7.	धौलादेवी	6	1	–	–	1	–	–	–	2	2	9	3
8.	भैसियाछाना	9	2	4	6	–	–	3	1	2	2	18	11
9.	द्वाराहाट	2	3	–	1	–	–	1	–	–	–	3	4
10	सल्ट	4	1	–	–	–	–	1	–	3	2	8	3
11	भिकियासैण	2	2	–	–	–	–	1	–	3	3	6	5
12	नगरक्षेत्र												
	योग	51	34	19	16	1	1	10	2	20	26	101	79

स्रोत– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा

प्रस्तावित भवनहीन/ध्वस्त प्राथमिक विद्यालय 2002–2003

क्रम.सं.	विकासखण्ड	भवनहीन/ध्वस्त प्राथमिक विद्यालय
1.	चौखुटिया	सीमलखेत
2.	ताकुला	बैगनिया
3.	ताड़ीखेत	कनार
4.	द्वाराहाट	बटुलिया
5.	धौलादेवी	काभड़ी
6.	भिकियासैण	पीपल गांव
7.	भैंसियाछाना	धौलनेली
8.	लमगड़ा	पितना
9.	स्याल्दे	पपड़िया
10.	सल्ट	पीपना, तराड़
11.	हवालबाग	सेमधार

प्रस्तावित भवनहीन/ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय 2002–2003

क्रम.सं.	विकासखण्ड	भवनहीन/ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	चौखुटिया	लालुरी, कबडोली
2.	ताड़ीखेत	खडगोली
3.	द्वाराहाट	खलना
4.	भिकियासैण	मुनियाचौरा, पन्तगांव
5.	भैंसियाछाना	सल्ला
6.	लमगड़ा	गौना
7.	स्याल्दे	मसमौली
8.	सल्ट	मजगांव, अजोली
9.	हवालबाग	रैलाकोट, बड़सीमी

LIBRARY & DOCUMENTATION CEN...
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-11901
Date 27-01-2003.